ANNEXURE-A

CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL

LUCKNOW BENCH LUCKNOW

....

INDEX SHEET

Cause Title T.A. No. 1010 (T.L.) of 1988

Name of the parties J.P. PANDEY Applicants.

Versus

D.R.S. Lucknow & Others Respondents.

Part A.B.C.

Sl.No.	Description of documents	Page
	File A	
(1)	Check list	A1 – A2
(2)	Order Sheet	A3 – A6
(3)	Judgment	A7 – A8
(4)	Petition	A9 – A16
(5)	Annexure	A17 – A35
(6)	Power	A36
(7)	C.A. Annexure	A37 – A52
(8)	R.A.	A53
(9)	M.P.	A54 – A56
	File B	B57 – B99
	C. File	C100 – 105

14/11/88

Removal

(A)

CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL
ADDITIONAL BENCH,
23-A, Thornhill Road, Allahabad-211001

Registration No. 1219 of 1988

APPLICANT (s) Jaihind Prakash Pandey

RESPONDENT(s) D.P.S. Lucknow and another

Particulars to be examined	Endorsement as to result of Examination
1. Is the appeal competent ?	yes
2. (a) Is the application in the prescribed form ?	yes
(b) Is the application in paper book form ?	yes
(c) Have six complete sets of the application been filed ?	four sets have been filed
3. (a) Is the appeal in time ?	yes
(b) If not, by how many days it is beyond time ?	—
(c) Has sufficient case for not making the application in time, been filed ?	—
4. Has the document of authorisation/Vakalatnama been filed ?	yes
5. Is the application accompanied by B. D./Postal-Order for Rs. 50/-	yes
6. Has the certified copy/copies of the order (s) against which the application is made been filed ?	yes
7. (a) Have the copies of the documents/relied upon by the applicant and mentioned in the application, been filed ?	yes
(b) Have the documents referred to in (a) above duly attested by a Gazetted Officer and numberd accordingly ?	Attested by Advocate

192

Particulars to be Examined	Endorsement as to result of Examination
(c) Are the documents referred to in (a) above neatly typed in double space ?	Photostat copies have been filed
8. Has the index of documents been filed and paging done properly ?	yes
9. Have the chronological details of representation made and the outcome of such representations been indicated in the application ?	yes
10. Is the matter raised in the application pending before any Court of law or any other Bench of Tribunal ?	No
11. Are the application/duplicate copy/spare copies signed ?	yes
12. Are extra copies of the application with Annexures filed ?	
(a) Identical with the origninal ?	yes
(b) Defective ?	No
(c) Wanting in Annxures Nos................../Pages Nos.......... ?	No
13. Have file size envelopes bearing full addresses, of the respondents been filed ?	No
14. Are the given addresses, the registered addresses ?	yes
15. Do the names of the parties stated in the copies tally with those indicated in the application ?	yes
16. Are the translations certified to be true or supported by an Affidavit affirming that they are true ?	NA
17. Are the facts of the case mentioned in item No. 6 of the application ?	
(a) Concise ?	yes
(b) Under distinct heads ?	No
(c) Numbered consectively ?	yes
(d) Typed in double space on one side of the paper ?	yes
18. Have the particulars for interim order prayed for indicated with reasons ?	No
19. Whether all the remedies have been exhaused.	yes

Registrar
24/10/88

May be listed on 14/11/88
Mahendra Singh
24/10/88

Order Sheet
OA 1219-88

14.11.88 No sitting due to holiday. The case is adjourned to 6.12.88 for admission.
[signature]

A3

6/12/88

Hon. D.S. Misra-AM.
Hon. G.S. Sharma-JM

Amendment incorporated in all the 4 copies on 7/12/88 as she supplied me extra copy duly ... for U.O.
[signature]
7/12/88

An application for amendment of the claim petition has been filed. The same is allowed. It may incorporated in the claim petition within a week.

[signature] JM   [signature] AM

[signature]
7/12/88
S.O./Jud

8.12.88. SO

Required amendment has already been incorporated
List before court for admission on 19.12.88
[signature]
DR

19/12/88

Hon. A. Banerjee. C. (J)
Hon. Ajay Johri — AM

Mr. R.K. Tiwari, learned counsel for the applicant wanted a short adjournment to prepare the case. Shri K.C. Sinha files his vakalat-nama on behalf of the respondents. List on 22/12/88 for hearing on admission. The copies of petition meant for the respondents be given to Shri Sinha.

[signature] AM   [signature] Chairman (J)

(A4)

Serial number of order & date	Brief Order, mentioning reference, if necessary	How complied with and date of compliance
2/3/90	DR The case is adjourned to 23/4/90 before DR(J) for fixing a date for hearing. [signature] DR(J)	
OD CA and RR filed submitted below. DR (J) on 23-4-90 for fixing a date for hearing [signature] 17/4	23.4.90 DR Adjourned to 17-8-90 before DR(J) for fixing a date for hearing. [signature] DR(J)	
	17-8-90 DR The case is ripe for hearing, but as of the year 1988 adjourned sine die [signature] DR(J)	
	24/12/91 The case relates to territorial Jurisdiction of Lucknow bench, hence is being transferred to Lucknow bench vide Hon. V.C's order dated 18.12.91 [signature] S.O. 24/12/91 S.O.(J)	

Amit/

T.A. 100/92 T.L

9.4.92

D.R.

Register the case as T.A.

This case has been received after transfer to this Bench from CAT. Alld.

Issue notice to both the ld. counsels for both the parties. List the case for hearing before the Hon. Bench on 29.6.92

OR
Notices Issued
21/4/92

29.6.92 No Sitting of D.B. adj to 24.8.92

24.8.92 Case not reached adj to 28.8.92

O.R.
Case is S.F.H.
27/8/92

A6

LUCKNOW BENCH

T.A.No.100/92

O.A.No.1219 of 1988

28/8/92 Hon.Mr.Justice U.C.Srivastava, V.C.
Hon.Mr. K. Obayya, A.M.

Judgoment has been dictated in tho open Court.

(tgk)

A.M.

V.C.

(A7)

CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL

LUCKNOW BENCH

LUCKNOW.

T.A. No.100/92 (T.L.)

(O.A.No.1219/88)

J.P. Pandey ... ... Applicant.

Vs.

Union of India & Others .. ... Respondents.

Hon.Mr. Justice U.C.Srivastava, V.C.

Hon. Mr. K. Obayya, A.M.

(By Hon. Mr. Justice U.C.Srivastava, V.C.)

The applicant was an Extra Departmental Branch Post Master, Neerpur Khayla, Gonda District. A charge-sheet was issued to him levelling a number of charges. An Enquiry Officer was appointed. The Enquiry Officer, after concluding the enquiry, held that one charge was proved against the applicant i.e. the applicant kept Rs.150/- and odd at his residence instead of keeping the same in the Post Office. The Inspector also appeared in the enquiry. Before the Enquiry Officer it was disclosed that an amount of Rs.600 was kept in the Post Office and the balance was kept at his residence. Immediately on demand he brought the money back from his house. Acting on the report of the Enquiry Officer, the disciplinary authority removed the applicant from the service. He filed an appeal. The appeal was also dismissed. Thereafter this appeal was filed.

2. The learned Counsel for the applicant contended that in view of para 215 and 217 of the Postal Manual, Vol. V, the Extra Departmental Branch Post Master is entitled to keep the amount at his residence. For the purpose of safety he kept a lesser amount at his residence and immediately on demand he brought it back. As such it is not a case of temporary misappropriation. In case

(A8)

he was given an opportunity for personal hearing, he would have explained this in the appeal. It was obligatory on the part of the appellate authorities to give personal hearing to the applicant. But the same was not done. Accordingly this application is allowed and the appellate order dated 14-12-86 is quashed. The appellate authorities are directed to re-hear the appeal giving a personal hearing to the applicant. In case the departmental appeal is dismissed, this application will be deemed to be dismissed. The appellate authorities shall pass a speaking order. In case, even thereafter the appellate authorities come to the conclusion that the applicant is entitled to the very same punishment this application shall be deemed to have been dismissed. Let the appeal be disposed of within a period of 3 months from the date of communication of this order. No order as to the cost.

Member (A)

Vice-Chairman.

Dated: 28th August, 1992, Lucknow.

(tgk)

A9

Application under Section 19 of Adminstrative Tribunal Act

Filed On 21-10-1988

Regn. No. 1219 Of 1988

Signature Of Registrar

In The Central Adminstrative Tribunal, Allahabad-1

Between

Jai Hind Prakash Pandey .... Applicant

A N D

(1) D.P.S. Lucknow I
I .... Respondents
(2) PMG UP Lucknow I
(3) Union of India through the Secretary Ministry of Communications, New Delhi-1

Amended as per orders of the Tribunal 6/12/88

I N D E X

Sl. No.	Annexure Marked	Date Of Documents	Documents Relied upon	Page No.
1	-	21-10-88	Application	02-to 08
2	A-1	17-12-85	Enquiry Report	09 to 16
3	A-2	20-1-86	Punishment Order	17 to 19
4	A-3	04-2-86	Appeal to DPS Lko.	20 to 24
5	A-4	14-12-86	Appellate order	25 & 26
6	A-5	30-05-85	Order passed by PMG UP	27

R.K. Tewari
(R.K.Tewari)
Advocate
154,Purushottamnagar,
Allahabad-16

जयहिन्द प्रकाश पाण्डेय

Filed today
date of admission
noticed for 14-10-88
R.K. Tewari
21/x/88

Central Administrative Tribunal
(Allahabad Bench)
Date of filing 21/10/88
Date fixed 14.11.88
21.10.88

Details of Application

1—Particulars of the Applicant :

(i) Name of Applicant JAI HIND PRAKASH PANDEY

(ii) Name of Father/Husband Shri Ram Behari Pandey

(iii) Age of Applicant 39 years

(iv) Designation & Particulars of Office where employed or was last employed Ex ED BPM Neerpur Khyala Bhelsa, Dist. Gonda

(v) Office Address Nil

(vi) Address for service of Notice Vill. P.O. Neerpur Khyala, Bhelsa District Gonda

2—Particulars of the Respondents :

(i) Name &/or Designation (1) DPS Lucknow-1

(ii) Official Address (2) PMG, UP Circle, Lucknow-1

(iii) Address for service of all notices (3) Union of India through the Secretary Ministry of Communication New Delhi

Amended as per Court's order dated 6/11/88

3—Particulars of the order against which application is made :

(i) Order No. ~~ANI /74/84-85~~ L-312 | NIDAL /Staff/A-3/86/3

(ii) Date 20-1-86 at pp 17-19 | 14-9-86 at pp 25-26 | Vig/H-3/9/87/4 dated 30-5-88

(iii) Passed by Sr. Supdt Posts | DPS Lucknow | PMG UP Lucknow at page 27

(iv) Subject in brief Removal from Service

4—Jurisdiction of the Tribunal :

The applicant declares that the subject matter of the order against which he wants redressal is within the Jurisdiction of this Tribunal.

5—Limitation :

The applicant further declares that the application is within the limitation prescribed in Section 21 of the Administrative Tribunal Act, 1985.

6—Facts of the case :

The facts of the case are given below.

R.K. Tewari

जय हिन्द प्रकाश पाण्डेय

(1) The applicant was served with a memo of charges by the learned Superintendent of Posts Gonda vide his No.L-Ani/71/84-85 dated 20.1.86 which has been reproduced verbetim in the enquiry report at pages 9 to 16. The applicant denied the charges hence an enquiry officer was deputed to hold enquiry into the matter. His report dated 17.12.85 is appended herewith as Annexure A-1 on pages 9 to 16. Agreeing with the findings of the Enquiry officer the learned superintendent of Posts Gonda vide his memo No.L-Ani/71/84-85 dated 20.1.86 awarded the applicant the punishment of removal from service. The said order is appended at Annexure A-2 on pages 17 to 19. The applicant preferred an appeal to D.P.S.Lucknow against the said punishment order on 4.2.86 vide copy at Annexure A-3 on pages 20 to 24. The same was rejected by the learned D.P.S.Lucknow. On 14.12.86 vide copy at Annexure A-4 on pages 25 & 26. The applicant then submitted a petition to the P.M.G.,U.P.Lucknow on 28.5.87 which too was partially rejected by the learned P.M.G. U.P. on 30.5.88 vide copy at Annexure A-5 on pages 27 Hence this application is submitted before the Hon'ble Tribunal.

(ii) The facts of the case are that the applicant while working as B.P.M.Neerpur Khayala is alleged to have committed (a) temporary misappropriation ~~xxxxxxxx~~ of Rs.150/= from S.B.Account No.871807 by withdrawing Rs.100/= on 10.1.83 and Rs.50/= on 10.2.83 ~~and~~

R.K.Tewari

A12

and then redepositing the entire amount of Rs.150/= on 28.2.84 (b) misappropriated a sum of Rs.90/= from S.B.account No.872263 on 28.8.84 when its holder expressed the desire of withdrawing Rs.300/= the applicant is alleged to have actually withdrew Rs.390/= from that account and paid only 300/= to the account holder (c) On 28.8.84 One Smt.Malti Devi tendered a sum of Rs.650/= for opening a new S.B.account, the applicant is alleged to have opened the account with Rs.60/= only and the rest Rs.590/= he is said to have misappropriated (d) on 13.10.86 when I.P.Os Gonda (south) checked his account a sum of Rs.155/34 was found short (e) The applicant is further charged to have presented incomplete records before the learned I.P.Os at the time of his check.

The enquiry officer held charges marked (a),(d) and (e) above as fully established and found charges marked B & C as unestablished. In the punishment order the learned Superintendent has fully agreed with the findings of the enquiry officer, in this way the charges marked (b) and (c) are completely dropped.

(iii) As far as the first charge is concerned the holder of S.B.account No.871807 in question was an illiterate lady (unable to sigh) Smt.Sitapati W/o Bhagwati Prasad. She had withdrawn Rs.100/= on 10.1.83 and Rs.50/= on 10.2.83 from her said account. On each

R. Tewari

[signature]

occassion Shri Kashi Prasad had identified and had scribed her thumb impression. The payment was witnessed by S/Shri Chandra Bhusan Pandey and Ghanshyam The prosecution did not produce Kashi Prasad before the enquiry officer (~~enquiry officer~~ IO in brief). And the enquiry officer rejected the evidence of S/Shri Chandra Bhushan Pandey and Ghanshyam on the ground that Chandra Bhusan was applicant's own son and Ghanshyam was his uncle's son and also his next door neighbour. No account holder brings witnesses with him when they come to withdraw money and the poor Branch Postmaster who arranges witness for them is thus charged. While holding this charge as proved on fake evidence the enquiry officer also missed to appriciate the fact that Shri Ram Anuj Pandey who was elected Gram Pradhan of the village in 1982 had fabricated this case against the applicant in collusion with Smt.Sitapati Devi and got the complaint lodged. It was all done with the clear motive of replacing the applicant by Gram Pradhan's own son. The learned P.M. G.U.P.(Respondent No.2) has appreciated this fact and has dropped this charge in the order passed by him on 30.5.88 at Annexure A-5 on page 27.

(iv) Thus only one single charge is left against the applicant. It is that the S.D.I.(Posts) Gonda East visited the Post Office on 13.10.84 and found the cash short by Rs.155/34. The applicant requ-

RN Tewari

[signature]

A/14

requested a few minutes time to bring thesame from his house where he had kept that amount as a safety measure. The S.D.I.(Posts) did not permit it and went a head to place the applicant under put off duty. This had been a in clear contravention of the provisions of Note 2 below Rule 217 of P & T Manual Vol V reproduced below:-

Rule 217. Note-2.

Note:2: In the case of a sub or branch office in charge of an Extra Departmental Agent when a deficiency in the cash or stamp balance is noticed by a supervising officer, time should be given to the Extra Departmental Agent to send for the cash, stamps etc".

The learned P.M.G.,U.P. while holding this charge proved has totally ignorred that the S.D.I. (Posts) did not permit the applicant to make good the dificiency as warrented by rule. This charge too is thus not established. It is therefore humbly prayed that the applicant may kindly be ~~declared charge free.~~ granted the following reliefs.

7. Reliefs sought for:

The applicant prays for the grant of ~~fixx~~ following reliefs:-

(i) That the punishment order dated 20.1.86, at Annexure A-2 on pages 17 to 19 , the appellate order dated 14.12.86 at Annexure A-4 on pages 25 & 26 & the order dated 30.5.88 passed by the learned P.M.G., U.P. at Annexure A-5 on page 27 may all be set aside and the applicant may be ordered to be put back to duty.

A15

(ii) He may be paid the cost of this suit together with any other reliefs deemed fit by the Hon'ble Tribunal.

R.Tewari — [Hindi signature]

(iii) In case the relief sought for in sub para (i) can not be granted the punishment may be suitably reduced in consideration of the fact that out of 5 charges imposed upon the applicant 4 charges including those involving moral turpitude have already been treated as not established leaving only one minor charge which too can hardly be said as proved.

added as per court's order dt 6/3/89

R.Tewari
7/3/89.

A16

8 – Interim order—If Prayed for—NIL

9 – Details of the remedies exhausted :

The applicant declares that he has availed of all the remedies available to him under relevant service rules.

He preferred an appeal to DPS LUcknow on 4-2-99 which was rejected on 14-12-86 vide Ann. A-4 on Pages 25-26 He then submitted a petition to the PMG UP on 28-5-87 which too was rejected by the PMG UP on 30-5-88 vide copy at Annn. A-5 on Page 27.

10 – Matters not previously filed or pending with any court :

The applicant further declares that he had not previously filed any application, writ petit on or suit regarding the matter in respect of wh ch this application has been made before any court of law or any other authority or any other Bench of the Tribunal and nor any such application, writ petition or suit is pending before any of them.

11 – If application is sent by Regd. Post, does the applicant desire to have oral hearing at the Admission stage if so he must attach a self addressed P. C.

12—Particulars of the Postal Order in respect of the application :

(i) No. of I. P. O. DD3/630149

(ii) Name of Issuing P. O. Allahabad H.P.O.

(iii) Date of Issue 12-10-88

(iv) P. O. at which payable— Allahabad Head Post Office

13 – List of enclosures :

(i) Vakalatnama

(ii) One I. P. O. for Rs. 50/-

(iii) Five documents to be relied upon

In verification

I, Jai Hind Prakash S/O Shri Ram Behari Pandey aged 39 years R/O Vill. Post Neerpur Khyala Gond and working as Ex EDBPM do hereby verify that the contents from Paras 1 to 13 are true to my personal knowledge and belief and that I have not suppressed any material facts.

Place—Allahabad

Date 21-10-88

जयहिन्द प्रकाश पाण्डेय

Signature of applicant

To

The Registrar, Central Administrative Tribunal, Allahabad -211001

R. K. Tewari

(R. K. Tewari)
Advocate
154, Purushottam Nagar,
Allahabad—16

-9-

Annexure A-1

(A17)

भारतीय डाक तार विभाग

प्रेषक :- कैलाश
जाँच अधिकारी

सेवा में : अधीक्षक डाकघर
गोण्डा मंडल गोण्डा

पत्रांक कु०ओ०-7/जयहिन्द प्रकाश - गोण्डा दि. 17.12.85

विषय : श्री जयहिन्द प्रकाश पाण्डेय कार्यवाहक शाखा डाकपाल नरेन्दुरदपाला के विरुद्ध नियम 8 के अन्तर्गत जाँच।

संदर्भ : डाक-अनु/61/84-85 दि. 22.5.85

जाँच रिपोर्ट

अधीक्षक डाकघर गोण्डा के ज्ञापन सं. डाक-अनु 61/84-85 दिनांक 22-5-85 के द्वारा श्री जयहिन्द प्रकाश पाण्डेय के विरुद्ध लगाये गये आरोप शाखा डाकपाल नरेन्दुरदपाला के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जाँच हेतु जाँच अधिकारी नियुक्त हुआ। अभियोजन पक्ष की पैरवी हेतु श्री के.वी. सिंह परतोया [illegible] के बतौर नियुक्त हुए। श्री जयहिन्द प्रकाश पाण्डेय ने अपने बचाव पक्ष में श्री एस.पी. उपाध्याय [illegible] की सी. को रखा।

श्री जयहिन्द प्रकाश पाण्डेय कार्यवाहक शाखा डाकपाल के विरुद्ध लगाये गये आरोपों के अनुच्छेदों का विवरण निम्न प्रकार है।

अनुच्छेद - 2

जब श्री जयहिन्द प्रकाश पाण्डेय ने शा० डा० पा० नरेन्दुरदपाला के पद पर कार्य करते हुए दिनांक 10.1.83 तथा 10.2.83 को [illegible] रसीद सं. 87/80 रु. कुल 100/तथा 50/ की [illegible] की जानकारी के बिना उनके [illegible] होने का लाभ उठाते हुए अपने नाबालिग पुत्र श्री [illegible] पाण्डेय तथा अपने चचेरे भाई श्री कालीप्रसाद पाण्डेय का एक एक संयुक्त [illegible] खाता खोलकर [illegible] एवं [illegible] स्वयं अपने हाथों से भर उन्होंने उस खाते की [illegible] सीतापति को उस बोगस राशि के 10/ का भुगतान बिना जमाकर्ता को [illegible] गलती छिपाने के लिए उन्होंने कालम [illegible] में 15/ अपने चचेरे भाई श्री कालीप्रसाद पाण्डेय से [illegible] दिनांक 28.2.84 को उक्त रसीद सं. 87/80 में जमा करदिया। इस प्रकार यह आरोपित है कि उक्त

जयहिन्द प्रकाश पाण्डेय

218

श्री उपेन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने वित्तीय नि० के नियम 134 तथा 133 के नोट 3 में वर्णित प्राविधानों का उल्लंघन किया तथा कर्तव्यनिष्ठा व सत्यनिष्ठा न बनाए रखकर भ० नि० रा० "आचरण" एवं सेवा" नियमावली 1964 के नियम 17 के प्राविधानों का उल्लंघन किया

अनुच्छेद - 2.

उक्त श्री उपेन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने उप डाकपाल मैरुट उपडाकघर के पद पर कार्य करते हुए दिनांक 28.2.84 को बचत बैंक खाता सं. 87/607 में जमाकर्ता से रुपया प्राप्त किए बिना खाते पर रु. 150/ रुपये अपने चचेरे भाई श्री काशीप्रसाद पाण्डेय से जमाकर्ता बनकर जमा किया उक्त रुपये को उठाने अपने पास रख लिया जबकि उक्त खाते के जमाकर्ता की जानकारी के बिना फर्जी निकासी फार्म तैयार करके निकाल चुके थे।

इस प्रकार यह आरोपित है कि उक्त श्री उपेन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने डा० डा० नि० के नि० 134 के प्राविधानों का उल्लंघन किया तथा सत्यनिष्ठा एवं कर्तव्यनिष्ठा न बनाए रखकर भा० डि० रा० तथा सेवा नियमावली 1964 के नियम 17 के प्राविधानों का उल्लंघन किया।

अनुच्छेद - 3

दिनांक 28.8.84 को मैरुट उपडाकघर आर० डी० बचत खाता सं. 87/2263 के जमाकर्ता ने 300/ निकालने हेतु निकासी फार्म जमा किए परन्तु श्री उपेन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने निकासी फार्म अपने हाथ से भरा तथा अपने चचेरे भाई श्री जगदीश प्रसाद पाण्डेय से नि० डा० प्रमाणित करवाकर तथा जमाकर्ता के आरोपित हस्ताक्षर बनाकर जमाकर्ता के स्थान पर 350/ तीन सौ पचास रुपये करते हुए 300/ के स्थान पर 350/ का निकासी फार्म उपडाकपाल को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया वहाँ से स्वीकृति प्राप्त होने पर दिनांक 13.9.84 को श्री राधाकिशन पाण्डेय से नि० डा० प्रमाणित करवा 350/ का भुगतान करा दिया लेकिन जमाकर्ता को 300/ का भुगतान किया

अतः यह आरोपित है कि उक्त श्री उपेन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने डा० डा० नि० के 134 तथा 133 के नोट 3 में वर्णित प्राविधानों का उल्लंघन किया तथा कर्तव्यनिष्ठा एवं सत्यनिष्ठा न बनाए रखकर भा० नि० रा० सेवा तथा आचरण नियमावली 1964 के नियम 17 के प्राविधानों का उल्लंघन किया।

अनुच्छेद - 4

उक्त श्री उपेन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने उप डा० डा० मैरुट उपडाकघर के पद पर कार्य करते हुए दि० 26.8.83 को श्रीमती मालती देवी पत्नी श्री वैजनाथ पाण्डेय से नया बचत खाता खोलने के लिए 650/ प्राप्त किए परन्तु उन्होंने 60/ से ही खाता खोला और जमाकर्ता से प्राप्त 590/ को पास बुक में नहीं लिखा इस प्रकार यह आरोपित है कि उक्त श्री उपेन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने डा० डा० नि० के नियम 125 के प्राविधानों का उल्लंघन किया तथा कर्तव्यनिष्ठा व सत्यनिष्ठा न बनाए रखकर भा० नि० रा० सेवा तथा आचरण नियमावली 1964 के नियम 17 के प्राविधानों का उल्लंघन किया।

— उपेन्द्र प्रकाश पाण्डेय

4 A19

अनुच्छेद - 5

दिनांक 13/4/84 को उपनिदेशक नागपुर दशहरी ने ... इलाहाबाद का निरीक्षण किया। उनके द्वारा निरीक्षण के लिए मांगे जाने पर डाक घर लेखा के हिसाब से शा० पा० का० के पास 878-73 पैसे होने चाहिए थे परन्तु उक्त श्री जयहिन्द प्रकाश ने उपनिदेशक के सामने केवल निम्नलिखित रकम प्रस्तुत किया

नकदी	602-72
डाक टिकट	45-45
रेवेन्यू टिकट	9-20
अप्राप्य वस्तुओं की रसीद	66-
कुल योग	723-37

शेष राशि रु 155-36

प्रस्तुत नहीं कर सके। तत्पश्चात उक्त श्री जयहिन्द प्रकाश पाण्डेय के पास सरकारी नकदी बकाया में 155-36 पैसे की कमी पायी गयी जिसे उप निरीक्षक ने उपरोक्त भुगतान मद में दिखाने का निर्देश दिया।

इस प्रकार यह आरोपित है कि उक्त श्री जयहिन्द प्रकाश पाण्डेय ने डा० का० नि० के नियम 11 के प्रावधानों का उल्लंघन किया तथा केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली 1964 के नियम 17 के प्रावधानों का उल्लंघन किया।

अनुच्छेद - 6

उक्त श्री जयहिन्द प्रकाश पाण्डेय ने शा० पा० का० सिधु इलाहाबाद के पद पर कार्य करते हुए दिनांक 13-10-84 को उप निरीक्षक डाक घर दशहरी की जांच के समय जुलाई रिकार्ड प्रस्तुत किया। जांच के समय निम्नलिखित त्रुटियाँ पायी गयीं।

1) भारत सरकार लेखा दि० 28-9-84 तक भरा नहीं गया था।

2) दिनांक 1/10/84 को लेखा कार्यालय से प्राप्त रकम को जर्नल में अंकित नहीं किया गया।

3) 5-10-84, 8-10-84 तथा 12-10-84 को पर्याप्त नकदी होते हुए भी शा० डा० 2 का वितरण लेखा को भुगतान नहीं किया गया था।

4) 5-9-84, 8-9-84, 20-9-84 तथा 3-10-84 को उक्त श्री जयहिन्द प्रकाश पाण्डेय ने कार्यालय में आवश्यकता से अधिक नकदी रोक रखी।

इस प्रकार यह आरोपित है कि उक्त श्री जयहिन्द प्रकाश पाण्डेय ने शा० डा० नि० के नियम 106, 107, 169, 173, 174, तथा शा० पा० भाग को यह काम नहीं करना चाहिए। विभागीय निर्देश सं० 11 के प्रावधानों का उल्लंघन किया तथा कर्तव्यनिष्ठा व सत्यनिष्ठा न बनाए रखकर के० सि० से० (आचरण) नियमावली 1964 के नियम 17 के प्रावधानों का उल्लंघन किया।

जयहिन्द प्रकाश पाण्डेय

(4) A20

उपर्युक्त कारणों की जांच हेतु निम्न तारीख निरीक्षण की जाती रही.

30.5.85 बेलदार उपस्थित थे
18.6.85 पुष्कल नाजिम जांच
22.7.85 बेलदार उपस्थित थे
22.8.85 बेलदार उपस्थित थे
20.9.85 बेलदार उपस्थित थे
28-10-85 अधिकारी अनुपस्थित

जांच में निम्न अभिलेख हेल्थ के रूप में प्रस्तोता अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये।

(i) क-1 खाता सं. 87/180) से दि. 10-1-81 का 100/का निकासी
(ii) क-2 खाता सं. ,, से दिनांक 10.2.83 को 50/का निकासी
(iii) क-3 श्रीमती शीला पति का लिखित बयान दि 24/8
(iv) क-4 श्रीमती शीला पति का लिखित बयान दि 18.2.85
(v) क-5 श्रीमती सुशीला पति का बयान दि. 3-11-84
(vi) क-6 आवेदन पत्र खाता सं. 87/180) की 150/की 28/8 की
(vii) क-7 मूल पासबुक खाता सं. 87/180)
(viii) क-8 खाता सं. 87/2263 से दिनांक 28/8/84 का 390/का निकासी फार्म
(ix) क-9 खाता सं. 87/2263 की मूल पासबुक
(x) क-10 श्री रामसुरेश पाण्डेय का लिखित बयान दि. 24/8
(xi) क-11 श्री रामसुरेश पाण्डेय का लिखित बयान 13/8
(xii) क-12 श्री रामसुरेश पाण्डेय का शिकायत पत्र 3-11-84
(xiii) क-13 आवक डाक रजिस्टर 1/84 से 13/84
(xiv) क-14 बी.ओ. जर्नल 1-9.84 से 13-10.84 तक
(xv) क-15 पोस्ट रजिस्टर 18.8.84 से 13-10.84
(xvi) क-16 श्री ओमप्रकाश प्रसाद का लिखित बयान दि 13/84
(xvii) क-17 श्रीमती मालती देवी का लिखित बयान 24/8

निम्न गवाह अभियोजन पक्ष की तरफ से प्रस्तुत किए गये।
(i) श्रीमती शीला पति पत्नी ओमप्रकाश प्रसाद ग्राम गोपालपुर
(ii) श्री रामसुरेश पाण्डेय नीरपुर उपवाला
(iii) श्री जी.सी. सिंह तत्कालीन निरीक्षक डाकघर दक्षिणी
(iv) श्रीमती मालती देवी पत्नी [illegible] नीरपुर उपवाला

बचाव पक्ष की तरफ से निम्न गवाह प्रस्तुत किए गये।
(i) श्री उमाशंकर पाण्डेय पुत्र श्री रामाधार पाण्डेय नीरपुर उपवाला
(ii) श्री [illegible] पुत्र [illegible] श्री रामाधार ग्राम गोरहा उपवाला
(iii) श्री [illegible] पाण्डेय पुत्र श्री महादेव प्रसाद पाण्डेय
(iv) श्री चन्द्रप्रकाश पाण्डेय पुत्र जगदीश प्रसाद पाण्डेय

जितेन्द्र प्रकाश पाण्डेय

(4)

दिनांक 22.7.85 को निम्न रूप से महत्व ... के ... हुआ।

श्रीमती सीतापती पत्नी मथुरा प्रसाद ग्राम पैसरा पोस्ट नीरपुर रुद्रपाला ने अपने बयान दिनांक 22.7.85 को अपने द्वारा वर्ष 1981 में इन्डाराख सं. 47/407 खोलना स्वीकार किया है तथा अपनी पासबुक ब्याज लगाने के लिए जनवरी 83 में बिना रसीद दिए बाबा डाकपाल नीरपुर रुद्रपाला श्री जयहिन्द प्रकाश पाण्डेय को देना स्वीकार किया है अपनी पासबुक श्री जयहिन्द प्रकाश से बार बार मांगने पर न देने से अधीक्षक डाकघर को शिकायत पत्र देना स्वीकार किया है शिकायत पत्र की जानकी 23/84 का पाना स्वीकार किया इसके 4 या पांच दिन के बाद अपनी पासबुक भी श्री जयहिन्द प्रकाश से पाना स्वीकार किया है। पासबुक पाने पर दिनांक 10/83 को 100/ तथा 10/83 को 50/ की निकासी अपने द्वारा करना तथा दिनांक 28/84 को 150/ श्री कालिप्रसाद पाण्डेय के द्वारा जमा कराना स्वीकार किया है प्रदर्श क-1, प्रदर्श क-2 तथा प्रदर्श क-6 को देखने के बाद भी अपने द्वारा निकासी करना व जमा कराना अस्वीकार किया है। अपने पूर्व के बयान प्रदर्श क-3 तथा प्रदर्श क-4 को भी सत्य माना है।

नि० फा० के लेखक श्री चन्द्रभूषण पाण्डेय जी श्री जयहिन्द प्रकाश पाण्डेय के भाई हैं दिनांक 10/80 से 10.80 को तब्दील करना तथा अपने सामने रखना भी देना स्वीकार किया है। गवाह कालिप्रसाद के पिता श्री मातावदल ने अपने बयान दिनांक 28/8 को अपने लड़के को वापिस करने के लिए भेजना स्वीकार किया है परन्तु समय व तारीख याद न होने का बताया है। श्री मातावदल के लड़के को रुपया चाचा श्री जयहिन्द प्रकाश का कारण है। गवाह श्री घनश्याम पाण्डेय जो प्रदर्श क-2 के निकासी फार्म के दोनों तरफ के नि० फा० के लेखक हैं के अपने बयान दिनांक 28.8.85 को अपने द्वारा नि० फा० लिखना स्वीकार किया है लेकिन लिखते समय कोई कहि या बतलाया है नोटों की बात न लिखने पर भी 10x5 की नोट देना स्वीकार किया है जबकि चन्द्रभूषण पाण्डेय ने 20x2 तथा 10x1 की नोट देना स्वीकार किया है।

प्रदर्श क-1 तथा क-6 पर श्री कालिप्रसाद के हस्ताक्षर में भी समानता नहीं है। यद्यपि नियम यह कहता है कि जमाकर्ता Known to P.O. को होनी चाहिए परन्तु यहां पर तो निकासी जमाकर्ता उपभोक्ता स्वयं हुई नहीं पासबुक उसके पास थी भी नहीं। श्री जयहिन्द प्रकाश ने अवधि अपने लाने तथा सगे लोगों का के लिए उसके भी ... ... है जो स्पष्ट करता है कि श्रीमती सीतापती

जयहिन्द प्रकाश पाण्डेय

A22

ने द्वारा दिनांक 10/82 को 100/ तथा 10/83 को 50/ न निकालना स्वीकार करता है तथा दिनांक 28/84 को 150/ जमा करना श्रीमती शिलापती के खाता लिखा नहीं है।

वस्तुस्थिति यह प्रतीत आ रही है कि श्री अपीलेन्द्र प्रकाश ने 10/83 तथा 10/83 को 100/ तथा 50/ क्रमशः निकालकर पासबुक देने से पूर्व दिनांक 28/84 पासबुक 150/ [illegible] के साथ जमा कराया दिखाकर पासबुक वापस किया जिससे शिलापती को अपने बैलेंस में सन्देह न हो।

इस प्रकार श्री अपीलेन्द्र प्रकाश पाण्डेय पर लगाये गये आरोप नं. 1 तथा 2 सिद्ध पाये जाते है।

2 गवाह नं. 2 श्री रामसुरेमन पुत्र श्री नरेंग पाण्डेय ग्राम व पोस्ट गीरपुरसपाल [illegible] ने अपने बयान दिनांक 22.9.85 में अपने द्वारा बचत खाता संख्या 872263 वर्ष 1982 में खोलना स्वीकार किया है तथा दिनांक 13-2-84 को 300/ जमा स्वीकार किया है निकासी फार्म के द्वारा 300/ धन स्वीकार किया है निकासी फार्म पर हस्ताक्षर किया तथा अपना निशानी अंगूठा होना भी स्वीकार किया है श्री रामसुरेमन के [illegible] बयान में [illegible] 300/ निकालने के बाद पासबुक श्री अपीलेन्द्र प्रकाश से लेना स्वीकार किया है तथा बार बार मांगने पर [illegible] कापी स्वीकार किया है श्री अपीलेन्द्र प्रकाश के पुरस्कार होने पर अपनी पासबुक वर्तमान शाखा डाकपाल के हाथ जमा तथा बैलेन्स 10.65 बताने पर जानना स्वीकार किया है। प्रदर्श क-2 देखने के बाद 300/ की निकासी स्वीकार किया तथा अपने पूर्व के बयान प्रदर्श क-10 तथा क-11 को सही माना है। पासबुक प्रदर्श क-7 मे 390/ की निकासी अंकित है। दिनांक 21-1.84 का बयान प्रदर्श क-12 भी सत्य माना है।

गवाह निकासी फार्म के इसी तरह से श्री रामबिहारी पाण्डेय ने अपने बयान दिनांक 28.8.85 मे अपने द्वारा दिनांक 13-2.84 को खाता सं. 872263 से 390/ की निकासी पर गवाही करना स्वीकार किया है। [illegible] के [illegible] मे अपने लड़के श्री अपीलेन्द्र प्रकाश के द्वारा जो बोलते गए लिखना स्वीकार किया है तथा गवाही को बाद लिखना भी इसलिए स्वीकार किया है कि श्री अपीलेन्द्र प्रकाश ने ही ऐसा लिखने को कहा था। दिनांक 24-1.85 के अपने बयान जो प्रदर्श क-10 है मे इसीद पाना रामसुरेमन से स्वीकार किया है जिसमे 10-65 लिखा होना भी स्वीकार किया है जो 390/ की निकासी के बाद शेष इतना है

जगदीश प्रसाद पाण्डेय

(vii)

इस प्रकार के स्टेटमेन्ट के द्वारा यह कहना कि 390/ के बजाय 300/ ही निकाला है मात्र इस आधार को लेकर सही माना जा सकता है कि श्रीरामप्रेम आशिक्षित हैं अथवा श्री ओंकारनाथ प्रकाश के पिता हैं

अतः आरोप नं. 3 आंशिक रूप से

सिद्ध होता है।

3 श्रीमती मालती देवी पत्नी श्री बैजनाथ ग्राम नीरपुर स्थान ने अपने बयान दिनांक 28.8.85 में पहली बार 60/ जमा करना उसके बाद 50/ जमा करना स्वीकार किया है। दिनांक 24/8 का बयान पृष्ठ क्र.-17 को गलत लिखना बतलाया है बल्कि विवरण का आधार इसकी पासबुक न बनने से ओंकारनाथ प्रकाश के लिखित लिखना स्वीकार किया है तथा इस प्रश्न कि आपने 24/8 को इन्स्पेक्टर को बयान दिया है कि 650/ ओंकारनाथ को नयी पासबुक बनाने को दिया था तथा तीन चार माह पहले पुरानी पासबुक दे दिया है स्वतः निकालने के लिए कार्ड पर अंगूठा लगा दिया है समय निकालने के उत्तर जाने से समय सही चीज क्यों नहीं दी स्वीकार किया से इस समय उत्तरी अध्यक्ष नहीं। जो स्वीकार किया स्पष्ट है कि श्रीमती मालती देवी ने दिनांक 28/8 के बयान में तथ्य छिपाकर बयान दिया है पुनः इस सम्बन्ध में मूल S.B.3 तथा पासबुक प्रस्तुत नहीं की गयी है अतः आरोप नं. 4 आंशिक सिद्ध होता है।

4 श्री जी.पी.सिंह तत्कालीन निरीक्षक डाकघर बिजुआ ने अपने बयान दिनांक 22/8 में दिनांक 13/84 को शाखा डाकघर नीरपुर स्थान का वार्षिक निरीक्षण करना स्वीकार किया है तथा नकदी आदि की जांच करने पर 657-37 (निरीक्षण) रुपया 812-71 नकदी रिकार्ड आदि के स्थान पर पाया था तथा 155.34 रुपया कम पाया था जिसे अनधिकृत नुकसान के रूप में चार्ज कराया गया। तथा शाखा डाकघर का बी.ओ. जर्नल दि. 12-10.84 एवं 13.10.84 को शाखा डाक बटुओं का इन्द्राज नहीं किया गया था तथा 27/84 के बाद बी.ओ. स्लिप अप्राप्त पाया था। शाखा डाकपाल ने 5/84, 8/84, 10/84 को नकदी तथा अतिरेक होते हुए भी उपडाकघर को नहीं किया गया तथा 5/84, 6/84, 8/84, 9/84, 20/84 एवं 3/84 को देखने से अधिक नकदी रखना अर्थ की ओंकारनाथ प्रकाश का लिखित बयान भी प्राप्त किया, बयान में स्वीकार किया है जो प्रदर्श क-13 क-14 तथा क-15 है एवं प्रदर्श क-16 है। श्री ओंकारनाथ प्रकाश ने अपने स्वास्थ्य परीक्षण में नकदी कमी रहना स्वीकार किया है जिसे अपनी गलती बतलाया, रहना स्वीकार किया है

ओंकारनाथ प्रकाश पाण्डेय

A/24

(VIII)

तथा जो दिखाना वह अपने पिता के पास रखना स्वीकार किया है तथा अभिलेख में 155.34 निरीक्षक के कथनानुसार दिखाना स्वीकार किया अपना बयान प्रदर्श क-16 भी स्वीकार किया तथा अपना हस्ताक्षर भी स्वीकार किया है लेकिन निरीक्षक के बोलने के अनुसार लिखना स्वीकार किया है

5. श्री ज्योतिन्द्र प्रकाश कुछ नकदी अपने पिता के पास कुछ अपनी पत्नी के पास रखते हैं जो निरीक्षक को नकदी दिखाया वह 602.22 थी उसमें रकम तो अपने पास रखते हैं मात्र 155.34 ही दूसरे के पास यह बात ज्योतिन्द्र प्रकाश के पास नकदी 155.34 कम का प्रमाण है क्योंकि अधिक रकम अपने पास कम रकम दूसरे के पास रखने का प्रश्न नहीं उठता है जबकि निरीक्षक ने जांच किया उस समय तक नकदी पूरी नहीं की गयी नकदी इन्क्वायरी होने के बाद बाबा अरूप पाल ने पूरा किया है यद्यपि बाबा अरूप पाल कैशियर अपनी सुरक्षा के लिए पैसे रख सकता है परन्तु निरीक्षण के दौरान मांगने पर उसे प्रस्तुत भी करना चाहिए। पुनः अपने बयान दिनांक 13/84 में श्री ज्योतिन्द्र प्रकाश ने अपने द्वारा स्वयं बयान स्वीकार किया है जबकि 10 या 12 दिन पहले से नहीं स्वीकार किया है। इससे यह कहना कि नकदी निरीक्षक को दिखाया था सही नहीं है यह मनगढ़ंत है क्योंकि नकदी लेने के बाद अभिलेख में प्रविष्ट कर लेने के बाद यदि निरीक्षक द्वारा मनमानी की गयी थी तो भी ज्योतिन्द्र प्रकाश उच्चाधिकारी को लिखने के समय से पहले ऐसा कुछ नहीं किया जो उनकी नकदी को सिद्ध करता है। अतः आरोप न. 5 पूर्णतया प्रमाणित पाया जाता है।

6. आरोप नं. 6 स्पष्टतः श्री ज्योतिन्द्र प्रकाश के सामान्य परीक्षण एवं बयान से ही सिद्ध है श्री ज्योतिन्द्र प्रकाश का यह कहना स्वास्थ्य ठीक नहीं था मानने योग्य नहीं है क्योंकि यदि स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो श्री ज्योतिन्द्र प्रकाश को अवकाश लेना चाहिए था। आरोप नं. 6 प्रमाणित है।

TRUE COPY

(R. K. Tewari Advo.)

जांच अधिकारी

ज्योतिन्द्र प्रकाश पाण्डेय

Annexure A-2

भारतीय डाक विभाग
कार्यालय अधीक्षक डाकघर, गोंडा मंडल,
गोंडा-271001.

ज्ञापन सं0- एल-अनि/71/84-85 :गोंडा: दिनांक 20.1.86.

श्री जय हिन्द प्रकाश पाण्डेय कार्य नियुक्त शा.पो.मा. नीरपुर ख्याला (बलसर) को इस कार्यालय के सम संख्यक पत्रांक दिनांक 20.4.85 द्वारा यह सूचित किया गया था कि उनके विरुद्ध अ.वि.ए.(सेवा तथा आचरण) नियमावली 1964 के नियम 8 के अन्तर्गत जाँच कार्यवाही प्रस्तावित है उनके विरुद्ध विरचित अवचार एवं कदाचारों के लाँछनों का विवरण निम्नलिखित है ।

1. उक्त श्री जयहिन्द के प्रकाश पाण्डेय ने शा.पो.मा. नीरपुरख्याला के पद पर कार्य करते हुए दिनांक 10.1.83 तथा 10.2.83 को बचत बैंक खाता सं0- 871807 से क्रमश: 100/- तथा 50/- को जमाकर्ता की जानकारी के बिना उसके अशिक्षित होने का लाभ उठाते हुए अपने नाबालिग पुत्र श्री चन्द्रभूषण पाण्डेय तथा अपने चचेरे भाई श्री काशी प्रसाद पाण्डेय को एवं एक अन्य स्थानीय व्यक्ति श्री घनश्याम से गवाही कराकर निकासी एवं निकासी फार्म ~~[illegible]~~ स्वयं अपने हाथों से भरा उन्होंने उक्त खाते की जमाकर्ता श्रीमती सीतापती को उक्त दोनों राशि के 150/- रु. का भुगतान नहीं किया जमाकर्ता से अपनी गलती छिपाने के लिए उन्होंने अपने पास से 150/- रु. अपने चचेरे भाई श्री काशी प्रसाद पाण्डेय से जमापर्ची भराकर दिनांक 28.2.84 को उक्त खाता सं0- 871807 में जमा कर दिया ।

अत: यह आरोपित है कि उक्त श्री जय हिन्द प्रकाश पाण्डेय नेशाडा. नि. के नियम 134 तथा 133 ~~[illegible]~~ के नोट 3 में वर्णित प्राविधानों का उल्लंघन किया तथा कर्तव्यनिष्ठा व सत्यनिष्ठा न बनाये रखकर अ.वि.ए. (आचरण एवं ~~सेवा) नियमावली 1964 के नियम 17 के प्राविधानों का उल्लंघन किया।~~

2- उक्त श्री जयहिन्द प्रकाश पाण्डेय ने शा.पो.मा. नीरपुर ख्याला के पद पर कार्य करते हुए दिनांक 28.2.84 को बचत बैंक खाता संख्या 871807 में जमाकर्ता से रुपया प्राप्त किये बिना अपने पास से 150/- रुपये अपने चचेरे भाई श्री काशी प्रसाद पाण्डेय से जमापर्ची भराकर जमा किया । उक्त रुपये को उन्होंने अपने पास से इस-लिए जमा किया कि उसे वे जमाकर्ता की जानकारी के बिना फर्जी निकासी फार्म तैयार करके निकाल चुके थे ।

इस प्रकार यह आरोपित है कि उक्त श्री जयहिन्द प्रकाश पाण्डेय ने शा.डा.नि. के नि0-131 के प्राविधानों का उल्लंघन किया तथा सत्यनिष्ठा व ~~[illegible]~~ कर्तव्यनिष्ठा न बनाये रखकर अ.वि.ए.(आचरण तथा सेवा) नियमावली 1964 के नियम 17 के प्राविधानों का उल्लंघन किया .

3- दिनांक 28.8.84 को नीरपुर ख्याला शा.डाकघर बचत खाता संख्या 872263 के जमाकर्ता ने 300/- रु. निकालने की इच्छा व्यक्त की परन्तु श्री जयहिन्द प्रकाश पाण्डेय ने निकासी फार्म स्वयं अपने हाथों से भरा तथा अपने सगे भाई श्री जनार्दन प्रसाद पाण्डेय से नि.अ. प्रमाणित कराकर तथा गवाही कराकर जमाकर्ता के अशिक्षित होने का लाभ उठाते हुए 300/- रु.के स्थान पर 390/-रु. (तीन सौ नब्बे रुपये) का निकासी फार्म लेखा कार्यालय को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया वहाँ से स्वीकृति वापस आने पर दिनांक 13.9.84 को श्री राम बिहारी पाण्डेय से नि.अ. प्रमाणित कराकर 390/-रु. का भुगतान करना दिखाया लेकिन जमाकर्ता को केवल 300/-रु. का भुगतान किया ।

अत: यह आरोपित है कि उक्त श्री जयहिन्द प्रकाश पाण्डेय ने शा.डा.नि.

जयहिन्द प्रकाश पाण्डेय

A26

के नियम 134 तथा 133 के नोट 3 में वर्णित प्राविधानों का उल्लंघन किया तथा कर्तव्यनिष्ठा एवं सत्यनिष्ठा न बनाये रखकर अ·वि·ए· (सेवा तथा आचरण) नियमावली 1964 के नियम 17 के प्राविधानों का उल्लंघन किया।

4- उक्त श्री जयहिन्द प्रकाश पाण्डेय ने शा·पो·मा· नोरपुर छ्याला के पद पर कार्य करते हुए दिनांक 26·8·83 को श्रीमती मालती देवी पत्नी श्री बैजनाथ पाण्डेय से नया बचत खाता खोलने के लिए 650/- रु·प्राप्त किये परन्तु उन्होंने केवल 60/- से ही खाता खोला और जमाकर्ता से प्राप्त शेष 590/-रु· को डाकघर के हिसाब में नहीं लिया।

इस प्रकार यह आरोपित है कि उक्त श्री जयहिन्द प्रकाश पाण्डेय ने शाखा डा·नि· के नियम 125 के प्राविधानों का उल्लंघन किया तथा कर्तव्यनिष्ठा व सत्यनिष्ठा न बनाये रखकर अ·वि·ए· (सेवा तथा आचरण) नियमावली 1964 के नियम 17 के प्राविधानों का उल्लंघन किया

5- दिनांक 13·10·84 को डाक निरीक्षक गोंडा दक्षिणी ने नोरपुर छ्याला डाकघर का निरीक्षण किया। उनके द्वारा निरीक्षण के लिए मांगे जाने पर डाकघर लेखा के हिसाब से शा·पो·मा· के पास कुल 878·71 पैसे होने चाहिए थे परन्तु उक्त श्री जयहिन्द प्रकाश ने डाक निरीक्षक के सामने केवल निम्नलिखित रकम प्रस्तुत की-

नकदी	602-72
डाक टिकट	45-45
रसीदी टिकट	9·20
अदा किये गये बिलों की रसीद	66·00
कुल योग=	723·37

शेष राशि रु· 155-34 प्रस्तुत नहीं कर सके·

इस प्रकार उक्त श्री जय हिन्द प्रकाश पाण्डेय के द्वारा सरकारी नकदी बकाये में 155-34 पैसे की कमी पायी गये जिसे डाक निरीक्षक ने अवर्गीकृत भुगतान मद में दिखाने का निर्देश दिया।

इस प्रकार यह आरोपित है कि उक्त श्री जयहिन्द प्रकाश पाण्डेय ने शा·डा·नि· के नियम 11 के प्राविधानों का उल्लंघन किया तथा कर्तव्यनिष्ठा न बनाये रखकर अ·वि·ए·(आचरण तथा सेवा) नियमावली 1964 के नियम 17 के प्राविधानों का उल्लंघन किया।

6- उक्त श्री जयहिन्द प्रकाश पाण्डेय ने शा·पो·मा· नीरपुर छ्याला के पद पर कार्य करते हुए दिनांक 13·10·84 को डाक निरीक्षक गोंडा दक्षिणी की जाँच के समय अधूरा रिकार्ड प्रस्तुत किया। जाँच के समय निम्नलिखित कमियाँ पायी गयी:-

1- शा·खा डाकघर लेखा दिनांक 29·9·84 से भरा नहीं गया था।

2- दिनांक 12·10·84 को लेखा कार्यालय से प्राप्त सामान बी·ओ· जर्नल में अंकित नहीं किये गये थे।

3- 5·10·84, 8·10·84 तथा 12·10·84 को पर्याप्त नकदी होते हुए भी अ·वि·वि·ए· को वितरण के लिए धनादेश नहीं दिया गया था·

4- 5·9·84, 8·9·84, 29·9·84 तथा 3·10·84 को उक्त श्री जय हिन्द प्रकाश पाण्डेय ने अपने डाकघर में आवश्यकता से अधिक नकदी रोके रखा·

इस प्रकार यह आरोपित है कि उक्त श्री जय हिन्द प्रकाश पाण्डेय ने शा·डा·नि· के नियम 106, 107, 109, 173, 174 तथा "शा·पो·मा· को

जयहिन्द प्रकाश पाण्डेय

यह काम नहीं करना चाहिए "शीर्षक के अन्तर्गत निर्धारित निर्देश सं0-1। के प्राविधानों का उल्लंघन किया तथा कर्तव्यनिष्ठा व सत्यनिष्ठा न बनाये रखकर अ·वि·ए·(सेवा तथा आचरण) नियमावली 1964 के नियम 17 के प्राविधानों का उल्लंघन किया।

उक्त आरोप पत्र उक्त श्री जयहिन्द प्रकाश पाण्डेय को सिविल लाइन उप डाकघर पंजीकृत पत्र सं0- 52 दिनांक 22·4·85 द्वारा भेजा गया था जो उन्हें दिनांक 24·4·85 को प्राप्त हुआ जिसके द्वारा कर्मचारी को उक्त आरोप पत्र के विरुद्ध अपना लिखित अभ्यावेदन/ प्रतिवेदन भेजने हेतु 10 दिन का समय दिया गया था। कर्मचारी ने अपना लिखित प्रतिवेदन इस कार्यालय में दिनांक 30·4·85 को स्वयं आकर प्रस्तुत किया। अपने प्रतिवेदन में कर्मचारी ने लगाये गये सम्पूर्ण आरोपों को अस्वीकार किया था। अतः मामले की जाँच के लिए श्री कैलाश उप मण्डलीय निरीक्षक (पूर्वी) उप मण्डल को इस कार्यालय के सम संख्यक पत्रांक दिनांक 22·5·85 द्वारा जाँच अधिकारी तथा श्री के·बी· सिंह उप मण्डलीय निरीक्षक (दक्षिणी) उप मण्डल गोंडा को प्रस्तोता अधिकारी नियुक्त किया गया था। जाँच अधिकारी ने उक्त मामले में जाँच कार्यवाही हेतु विभिन्न तिथियाँ निश्चित करके जाँच प्रक्रिया समाप्त करके अपनी जाँच रिपोर्ट सम्पूर्ण सम्बन्धित अभिलेखों तथा सम्बन्धित कर्मचारियों के बयान के साथ दिनांक 17·12·85 को भेजी जो इस कार्यालय में दिनांक 18·12·85 को प्राप्त हुई।

मैंने उक्त श्री जय हिन्द प्रकाश पाण्डेय कार्य निमुक्त शा·पो·मा·नीरपुर ख्याला के विरुद्ध लगाये गये आरोपों, जाँच अधिकारी की जाँच आख्या तथा सम्बन्धित अभिलेखों का सूक्ष्म परीक्षण किया। मैं जाँच अधिकारी की आख्या से पूर्णतः सहमत हूँ। कर्मचारी के विरुद्ध लगाये गये आरोप सं0- 1 एवं 2 आरोप सं0- 5 तथा 6 पूर्णतः सिद्ध होते हैं। कर्मचारी के विरुद्ध लगाये गये आरोप गम्भीर हैं। ~~आरोपों से सिद्ध होता है कि उक्त कर्मचारी की~~ निष्ठा (Integrity) संदिग्ध है तथा सरकारी कार्य में गम्भीर अनियमितताएं बरती गयी है। ऐसे निष्ठाहीन एवं लापरवाह कर्मचारी को विभाग में कार्य करने का कोई औचित्य नहीं है। अतः मैं श्री जय हिन्द प्रकाश पाण्डेय (कार्य निमुक्त) शाखा पोस्टमास्टर नीरपुर ख्याला को सेवा से हटाए जाने का आदेश देता हूँ।

(मो·यामीन)
अधीक्षक डाकघर
गोंडा मंडल,
गोंडा-271001·

प्रतिलिपि-
Regd A/D 1- श्री जय हिन्द प्रकाश पाण्डेय, कार्य निमुक्त·शा·पो·मा· नीरपुर ख्याला (बिलसर) गोंडा को जाँच अधिकारी की जाँच रिपोर्ट की एक प्रति के साथ।
2- पोस्टमास्टर गोंडा·
3- स्थापना सहायक·
4- कार्य निमुक्त विवरणी·
5- उप मण्डलीय निरीक्षक दक्षिणी गोंडा·
6-7· अतिरिक्त·

Photo
TRUE COPY
(R. K. Tewari Advo.)
21/x

जयहिन्द प्रकाश पाण्डेय

Annexure A-3

A28

PL/AN 3172 5/2/86

सेवा में,

श्रीमान डाकघर अधीक्षक महोदय, गोण्डा मण्डल, गोण्डा

द्वारा उचित माध्यम ।

श्रीमान निदेशक डाक सेवायें,

लखनऊ क्षेत्र लखनऊ 226001

द्वारा उचित माध्यम

PL/AN 3173 5/2/86

विषय :- श्रीमान अधीक्षक डाक घर गोंडा के ज्ञापन सं0

एल - अनि/ 71/84- 85 दिनांक 20.1.86 के विरुद्ध

प्रतिवेदन ।

---0---0---

आदरणीय महोदय,

प्रार्थी शा0 पे0 का0 नीरपुर उपाला [बेलसर] गोण्डा के पद पर कार्यरत था । प्रार्थी के विरुद्ध कार्यालय अधीक्षक गोण्डा के सम संख्यक पत्रांक दिना0 20.4.85 द्वारा अ0 पि0 ए0 [सेवा तथा आचरण] नियमावली 1964 के नियम 8 के अन्तर्गत जांच कार्यवाही की गई थी । प्रार्थी के जांच कार्यवाही के दौरान साक्ष्य प्रस्तुत किया था । प्रार्थी के न्यायोचित साक्ष्य को ठुकरा दिया गया है । इसी तथ्य को हृदयंगम करके प्रार्थी ने श्रीमान जी की सेवा में न्याय हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत कर न्याय की याचना कर रहा है ।

प्रार्थी के विरुद्ध विरचित आरोप की प्रतिलिपि संलग्न है । इन आरोपों की जांच कार्यवाही में प्रार्थी ने अपनी सफाई पेश किया था प्रार्थी ने प्रस्तोता अधिकारी द्वारा सारांश [Brief] प्राप्त किया था इस सारांश के प्रत्युत्तर में प्रार्थी अपना बचाव सारांश प्रस्तुत किया था बचाव सारांश की प्रतिलिपि संलग्न है । श्रीमान जांच अधिकारी ने बचाव सारांश में वर्णित तथ्यों की अनदेखी करते हुए आरोप पत्र में निर्दिष्ट आरोपों को मूल रूप में अंकित करते हुए अपनी जांच रिपोर्ट श्रीमान जी

कृ० प० उ०

(हस्ताक्षर) ज्योति प्रकाश पाण्डेय

(2)

A29

अनुशासनिक (Desciplinery officer) अधिकारी को दिनांक - 17.12.85 को प्रेषित किया था जिसकी सत्य प्रतिलिपि संलग्न है। श्रीमान अनुशासनिक अधिकारी ने भी प्रार्थी के बचाव सारांश, जाँच में अंकित बयान व तथ्यों का सही आंकलन न करके घोर अन्याय किया है। वस्तुस्थिति श्रीमान जी की सेवार्थ सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए निम्न रूप में स्पष्ट किया जाता है। प्रार्थी को पूर्ण विश्वास है कि उसके साथ न्याय अवश्य किया जायेगा।

आरोप सं0 (1) सन्दर्भ में यह कहना है कि श्रीमतीसीता पती पत्नी श्री भगवती प्रसाद ग्राम मैंसहा पो0 सीरपुर जनपद द्वारा ही दिनांक 10.1.83 तथा दि0 10.2.83 को व0 बैं0 खाता सं0 871807 से निकाले गये उक्त व0 बैं0 में से निकासी हेतु भुगतान पत्रों पर स्वयं श्रीमती सीतापती नि0 अं0 लगाई थी। उक्त जमाकर्ता के नि0अं0 यदि पुष्टि किया जाय तो स्पष्ट हो जायेगा। श्रीमती सीता पती यद्यपि अशिक्षित हैं तथापि वे भुगतान संबन्धी प्रकरण से अनभिज्ञ नहीं है जहाँ तक चचेरे भाई काशीप्रसाद पाण्डेय से जमा पर्ची भराने की बात कही गई है और रू0 150/- जमा करने संबंधी विचार व्यक्त किया गया है यह कार्य कोई भी जमाकर्ता को आंशिक्षित हो कर सकता है। जमाकर्ता की इच्छा के अनुकूल जमाराशि की प्रविष्टि जमा पर्ची में किसी व्यक्ति द्वारा कर देना अत्युक्ति नहीं है।

अतः प्रार्थी ने डा0का0 नि0 के नियम 134 तथा 133 के नोट 3 में वर्णित प्राविधानों का उल्लंघन नहीं किया है।

आरोप सं0 (2) के संबंध में यह कथन है कि दि0 28.8.84 को व0 बैं0 खाता सं0 872263 के जमाकर्ताने रू0 390/- (तीनसौ नब्बे) निकालने की इच्छा व्यक्त की थी और तदनुसार जमाकर्ता ने आवेदन पत्र में 390/- ही

कृ. प. उ.

जयशिव प्रकाश पाण्डेय

मरे थे । यहाँ ${3}$ यह भी विचार करने के योग्य है कि जहाँ जमाकर्ता अशिक्षित है उसकी गवाही ली जाती है और उसी परिपेक्ष्य में गवाही [illegible] ली गयी थी जो नियमानुकूल है । सगेभाई से ही [illegible] गवाही कराई गई यह जमाकर्ता के लिए विचारणीय है और न कि प्रार्थी के। प्रार्थी को तो मात्र ऐसे गवाह ही मान्य थे जिसे प्रार्थी या डाकघर का कोई सदस्य जानता था । ऐसी स्थिति में सगेभाई का प्रश्न ही नहीं है । इस टिप्पणी से जाँच अधिकारी का एक तरफा द्वेष [illegible] परिलक्षित होता है । यथा, प्रार्थी जमाकर्ता द्वारा प्रार्थी के ही सगे भाई को गवाह के रूप में प्रस्तुत करना नकार सकता था । ऐसा विभागीय नियम में कहीं भी विवरण नहीं है। अतः प्रार्थी ने कोई प्रतिवाद नहीं किया जमाकर्ता को वस्तुतः 390/- दिए गये थे । उसी के कथन को सत्य मान लेना जाँच अधिकारी का [illegible] अदूरदर्शी विचार है ।

अतः प्रार्थी ने शा0डा0 नि0 के नियम 134 तथा 133 के नोट 3 में वर्णित प्राविधानों का उल्लंघन नहीं किया है ।

आरोप क्रमांक {3} के संबन्ध में श्रीमती मालती देवी ने स्वतः स्वीकार किया है कि उन्होंने अकल न होने तथा क्रोध में शिकायत प्रस्तुत किया था । उन्होने पुनः जोर देकर जाँच के दौरान कहा था कि उनकी इस प्रकार की शिकायत निरस्त किया जाय ।

अतः शा0डा0 नि0 के नियम 125 के प्राविधानों का उल्लंघन कत्तई नहीं हुआ है ।

आरोप क्रमांक {4} के संबन्ध में प्रार्थी ने सत्यता को कभी नहीं छिपाया है कि दि0 13.10.84 को डाक निरीक्षक गोण्डा दक्षिणी की जाँच में प्रार्थीनि शेष राशि रु0 155-34 पै0 उनके निर्देशानुसार ही अवर्गी कृत में जमा दिखाया था । उस धनराशि को प्रार्थी ने निजी खर्च में न तो उपयोग किया था और

कृ. प. उ.

ज्योतिष प्रकाश माथुर

(4)

A-31

न ही कहीं अन्यत्र रखा था यह वस्तुतः सुरक्षा की दृष्टि से रखा गया था और यही कारण था कि निरीक्षक महोदय के कहने के अनुसार उक्त धनराशि को शीघ्र प्रस्तुत किया गया था ।

अतः यह आरोप कि सरकारी नकदी बकाये में 155-34पैसे की कमी पायी गयी थी सत्य नहीं है । इस प्रकार प्रार्थी ने मा0स0 नि0 के नियम 11 के प्राविधानों का उल्लंघन नहीं किया है।

दिन0 13 . 10. 84 को डाक निरीक्षक गोण्डा दक्षिणी की जांच के समय पाई गई कमियों के लिए प्रार्थी ने निरीक्षक महोदय का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था निरीक्षक महोदय ने स्वास्थ्य को देखते हुए कार्य को धीरे - धीरे पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया था ।

यह कथन कि चिकित्सा प्रमाण पत्र नहीं दिया गया था यह सत्यक है । बीमारी इतनी भयंकर नहीं थी कि अवकाश पर रहकर ही चिकित्सा करानी अनिवार्य हो अत्यधिक कार्य करने की स्थिति में ही प्रार्थी नहीं था । यही कारण था कि निरीक्षक महोदय के निर्देशानुसार प्रार्थी ने कार्य पर उपस्थिति रहते हुए संचालन किया था यह वस्तुतः लापरवाही नहीं कही जा सकती है ।

श्रीमान जी अनुशासनिक अधिकारी ने साक्ष्यों, परिस्थितियों एवं बयानों का सही ढंग से अध्ययन न करके प्रार्थी को जो ईमानदार कर्मचारी रहा है को सेवा से हटा दिया ।

प्रार्थना
=======

उपरोक्त परिपेक्ष्य में प्रार्थी श्रीमान जी से विनम्र प्रार्थना करता है कि यह एक गरीब व असहाय व्यक्ति है उसके प्रति सहानुभूति प्रकट की जाय । ताकि न्याय के प्रति आश्रित प्रार्थी के साथ अन्याय न हो

(5)

उठ सके यह कार्य आप जैसे ईमानदार व सक्षम अधिकारी से ही सम्भव है ।

अतः प्रार्थी श्रीमान जी से पुनः अनुरोध करता है कि उक्त कार्य -भार ग्रहण करने हेतु श्रीमान अधीक्षक डाकघर गोण्डा को निर्देशित करें । एवं उनके आदेश ज्ञापन सं० स्था अनि/71/84-85 दिनांक 20.1.86 को निरस्त करने की कृपा करें।xxxxx

प्रार्थी इस दया सहानुभूति एवं न्याय के लिए जीवन में सदैव ऋणी रहेगा ।

प्रार्थी

जयहिन्द प्रकाश पाण्डेय

जयहिन्द प्रकाश पाण्डेय

ग्रा० पो० मा० नारपुर

ग्वाला (बेलसर)

गोण्डा (सेवा मुक्त)

दिनांक 4-2-86

दिनांक 4-2-86

संलग्नक (4)

Photo
TRUE COPY
R K Tewari
(R. K. Tewari Advo.) 21/x

जयहिन्द प्रकाश पाण्डेय

-25-
Annexure A-4

<u>भारतीय डाक विभाग</u>

कार्यालय निदेशक डाक सेवाएँ. लखनऊ क्षेत्र लखनऊ

ज्ञापन संख्या निडाल स्टाफ/ए-3/86/3

दिनांक :लखनऊ: दिसम्बर14, 1986

प्रस्तुत मामला श्री जय हिन्द प्रकाश पाण्डेय भूतपूर्व शाखा डाक पाल नीरपुर खयाला ‡गोण्डा‡ की अपील दिनांक 4-2-86 से संबंधित है। अपील कर्ता को डाक अधीक्षक गोण्डा के ज्ञापन सं0 एल अनि0/61/84-85 दिनांक 20-1-86 से शाखा डाक पाल नीरपुर खयाला के पद से हटाए जाने का आदेश पारित किया गया था। इसी आदेश के विरुद्ध प्रस्तुतअपील दायर की गयी है।

2- अपीलकर्ता के विरुद्ध लगाए गए आरोपों का सारांश निम्न लिखित है।

‡क‡ अपीलकर्ता नें बचत बैंक खाता संख्या 871807 से दिनांक 10-1-83 तथा 10-2-83 को क्रमश: 100/- तथा 50/- रूपये जमाकर्ता की जानकारी के बिना निकाल लिया और 28-2-84 को उन्होंनें 150/- एक सौ पचास रूपया अपनें पास से जमा कर दिया।

‡ख‡ बचत बैंक खाता संख्या 872263 के जमाकर्ता नें दिनांक 28-8-84 को 300/- तीन सौ रूपये निकालनें की इच्छा व्यक्त की। अपीलकर्ता नें उक्त खाते से दिनांक 13-9-84 को 390/- रु0 की निकासी किया किन्तु हिसाबदार को केवल 300/- तीन सौ रूपये ही भुगतान किए।

‡ग‡ अपीलकर्ता नें दिनांक 26-8-83 को श्रीमती मालती देवी से 650/- छ:सौ पचास रूपये एक नया खाता खोलनें के लिए प्राप्त किए लेकिन केवल 60/- रूपये जमा करके ही खाता खोला।

‡घ‡ दिनांक 13-10-84 को डाक निरीक्षक गोण्डा ‡दक्षिणी के अचानक निरीक्षण करनें पर सरकारी हिसाब में ~~134-55~~ 155.34 रु0 एक सौ पचपन ~~चौंतिस~~ चौंतिस रूपये ~~पचपन~~ पैसे कम पाए गए।

‡ङ‡ डाक निरीक्षक नें और भी बहुत सी अनियमताएँ पाई जिनका वर्णन आरोप संख्या छ: में किया गया है।

उक्त आरोप अपीलकर्ता को डाक अधीक्षक गोण्डा के ज्ञापन सं0 एल /अनि/61/84-85 दिनांक 20-4-85 के साथ भेजे गए जो उन्हें 24-4-85 को प्राप्त हुए। अपीलकर्ता नें अपनें प्रतिवेदन दिनांक 30-4-85 द्वारा इन्हें अस्वीकार किया। परिणामस्वरूप डाक अधीक्षक गोण्डा नें अपनें ज्ञापन सम सं0 दिनांक 20-5-85 द्वारा श्री कैलास निरीक्षक गोण्डा पूर्व को जाँच अधिकारी नियुक्त किया। जांच अधिकारी नें जांच के पश्चात् अपनी आख्या दिनांक 17-12-85 को प्रस्तुत की। जांच आख्या के अनुसार आरोप संख्या 1,2,5 तथा 6 अपीलकर्ता के विरुद्ध पूर्ण रूप से सिद्ध पाए गए। अतएव डाक अधीक्षक गोण्डा नें अपनें ज्ञापन संख्या सम दिनांक 20-1-86 के द्वारा अपीलकर्ता को सेवा से हटाए जाने का आदेश पारित किया।

3- मैनें आरोप पत्र, जांच आख्या तथा दण्डादेश एवं संबंधित अभिलेखों का भलिभांति अध्ययन किया और निम्नलिखित निष्कर्ष पर पुहुँचा:

‡क‡ अपीलकर्ता नें अपनी अपील में मुख्य रूप से यह मुद्दा

जयहिन्द प्रकाश पाण्डेय

उठाया है कि जांच अधिकारी नें जांच आख्या प्रस्तुत करनें में निष्पक्ष दृष्टिकोण नहीं अपनाया है। उनके अनुसार बचत बैंक खाता सं0 871807 में दोनों निकासी तथा 150/- एक सौ पचास रुपये की बाद में जमा खातेदार नें ही किया है। इसकी पुष्टि में उन्होंनें कोई प्रमाण नहीं दिया है। इसके विपरीत खातेदार नें जांच अधिकारी के समक्ष अपनें दिए गए बयान दिनांक 22-7-85 में स्पष्ट रूप से कहा है कि न तो उसनें उक्त दोनों निकासियाँ ही की है और न तो उसनें बाद में 150/- एक सौ पचास रुपया जमा ही किया है। जांच अधिकारी के सम्मुख दिए गए बयान पर विश्वास न करनें का कोई समुचित कारण अपील में नहीं दर्शाया गया है। इसी प्रकार बचत बैंक खाता संख्या 872263 के खातेदार नें भी केवल 300/- तीन सौ रुपया निकालना स्वीकार किया है। अतएव ये दोनों आरोप अपीलकर्ता के विरुद्ध सिद्ध होते हैं।

(ख) जहां तक श्रीमती मालती देवी से सम्बन्धित मामले का संबंध है मालती देवी की स्वीकारोक्ति के उपरान्त इस पर कोई विवाद नहीं है। न ही इसको दृष्टिगत रखकर दण्ड दिया गया है।

(ग) निरीक्षक डाकघर के द्वारा रु0 155/34 एक सौ पचपन रु0 चौंतिस पैसे की कमी दिनांक 13-10-84 को पाया जाना तथा अन्य अनियमिततायें डाकघर के अभिलेखों से ही सिद्ध है। अतएव इनपर भी कोई विवाद नहीं है। इन्हें अन्यथा सिद्ध करने के लिए अपील में कोई प्रभावकारी दलील नहीं दी गयी है जिसपर विचार करना अनिवार्य हो।

4- उपरोक्त विवेचन से कोई ऐसा तथ्य प्रकाश में नहीं आया जो मुझे अनुशासनिक अधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय से भिन्न निर्णय लेनें के लिए प्रेरित करे। अतएव मैं डाक अधीक्षक गोण्डा द्वारा दिये गये आदेश में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी का औचित्य और अपील स्वीकार करनें का कोई कारण नहीं पा सका।

5- मैं, भानु प्रताप सिंह, निदेशक डाक सेवायें लखनऊ, एतद्द्वारा श्री जय हिन्द प्रकाश पाण्डे भूतपूर्व शाखा डाक पाल नीरपुर ख्याला (गोण्डा) की दिनांक 4-2-86 की अपील अस्वीकार करता हूँ तथा अधीक्षक डाक गोण्डा के दिनांक 20-1-86 के दण्डादेश की पुष्टि करता हूँ।

(signature)

(भानु प्रताप सिंह)
निदेशक डाक सेवायें, लखनऊ क्षेत्र,
लखनऊ-226007

Photo
TRUE COPY
(signature)
(R. K. Tewari Advo.)

जयहिन्द प्रकाश पाण्डेय

A35

डाक विभाग

कार्यालय पोस्टमास्टर जनरल, उ0प्र0 परिमण्डल, लखनऊ-226001.

ज्ञापन संख्या:: विज/एम-3/9/87/4, लखनऊ दिनांक 30 मई, 1988.

यह अधीक्षक डाकघर, गोण्डा के ज्ञापन संख्या एल.एन./161/84-85 दिनांक 19-10-84 द्वारा सेवा से निष्कासन के दिए गए दण्ड जिसको निदेशक, डाक सेवा, लखनऊ ने ज्ञापन संख्या आर.डी.एल./स्टाफ/ए-3/86/3 दिनांक 14-12-86 के द्वारा अपील निरस्त करके बहाल रखा के विरुद्ध श्री जयहिन्द प्रकाश पाण्डे, भू.पू. अ.वि. शाखा डाकपाल नीरपुर ध्याला, वेलसर गोण्डा का पटीशन है।

श्री जयहिन्द प्रकाश पाण्डे को जब वह नीरपुर ध्याला डाकघर में अ.वि. शाखा डाकपाल के पद पर कार्य कर रहे थे, रू0 155.34 के अस्थाई गमन का दोषी पाया गया। यह रकम दिनांक 13-10-84 को डाक निरीक्षक गोण्डा साउथ द्वारा डाकघर की नकदी की गिनती करने पर कम पाई गई। इसे अस्वीकृत भुगतान में दिखाया गया और बाद को श्री पाण्डे ने इसे जमा किया। श्री पाण्डे [पटीशनर] का तर्क कि यह रकम उन्होंने घर पर रखी थी विश्वास करने योग्य नहीं है। पटीशनर जब रू0 600/- डाकघर में रख सकता था तो रू0 155.34 घर पर रखने का कोई कारण नहीं। डाक निरीक्षक के निरीक्षण करते वक्त इस रकम को प्रस्तुत करने में भी पटीशनर असफल रहा है। इसके अलावा जब पटीशनर पुट आफ ड्यूटी किया गया एवं उसके पिछले कार्य का सत्यापन किया गया तब उसके खिलाफ तमाम शिकायते भी प्राप्त हुई। इससे पता चलता है कि कुल मिलाकर पटीशनर का कार्य सन्तोष जनक नहीं था। उसके द्वारा किया गया अस्थाई गमन साबित हो गया है।

मैंने पटीशन एवं संबंधित कागजात ध्यान से देखे है। त्रुटियां गम्भीर है और पटीशनर की ईमानदारी पर अपना साया डालती है जिसे माफ नहीं किया जा सकता। दिया गया दण्ड ठीक है, पटीशन निरस्त किया जाता है।

[एस.पी. राय]
पोस्टमास्टर जनरल, उ0प्र0।

17/6/88 को प्राप्त किया।
—जयहिन्द प्रकाश पाण्डे

Photo
TRUE COPY
R. K. Tewari
(R. K. Tewari Advo.)

—जयहिन्दप्रकाश पाण्डेय

5 Rs. COURT FEE भारत INDIA FIVE RUPEES

A36

वकालतनामा

बअदालत The Central Administrative Tribunal Allahabad

नम्बर मुकदमा .... सन् १९ ई०

नम्बर इजरा OA Regn. No of सन् 1988 ई०

मुद्दई

अपीलान्ट

Jai Hind Prakash Pandey बनाम Union of India & others

मुद्दालेह

मैं Jai Hind Prakash Pandey aged 33 yrs रेस्पान्डेन्ट

मैं, हम S/o Shri Ram Behari Pandey

निवासी Vill & P.O. Nirpur Khijla Via Bhilsa Dist Gonda

श्री R.K. Tewari, Advocate 154, Purshottamnagar, Allahabad-16

उपरोक्त मुकदमे की पैरवी के लिये मेहनताना अदा करने को वचन देकर / हम अपना वकील नियुक्त करता हूँ / करते हैं। उन वकील महोदय को मैं / हम ... ह अधिकार देता हूँ / देते हैं कि वह मुकदमे में मेरी ओर से पैरवी करें ...वश्यक सवाल पूछें, जवाब दें और बहस करें दस्तावेज व कागजात अदालत ...दाखिल करें, व वापस लेवें पंचनामा उपस्थित करें, पंच नियुक्त करें यदि ...वश्यकता हो तो पंच निर्णय का लिखित विरोध करें, सुलहनामा दाखिल करें, दावा ...कार करें, उठा लेवें और डिग्री प्राप्त हो जाय तो उसे जारी करावे, डिग्री का रुपया ...खर्चा, हर्जाना का रुपया या किसी दूसरे तरह का रुपया व खर्चा जो अदालत से मुझे / हमें मिलने वाला हो वसूल करें मेरी / हमारी ओर से अदालत में दाखिल करें, कोर्टफीस व स्टाम्प देवें या वापिस लेवें रसीद लेवें व प्रमाणित करें, नकल प्राप्त करें, अदालत की अनुमति से मिसिल का मुआयना करें, आवश्यकता होने पर मुकदमा स्थापित करावें व इस मुकदमे के सम्बन्ध में दूसरे काम जो जरूरी समझें पैरवी के लिए अपनी ओर से कोई दूसरा वकील नियुक्त करें यदि आवश्यकता हो तो अपील या निगरानी दायर करें और अपील निगरानी की अदालत में पैरवी करें और यह भी वचन देता हूं / देते हैं कि यदि मैं / हम पूरी फीस या खर्च न अदा करूं / करें तो वकील साहेब व उनके क्लर्क बहस व पैरवी के लिये बाध्य न होगें।

इस अधिकार पत्र के अनुसार उक्त वकील महोदय इस मुकदमे के सम्बन्ध में जो कुछ काम करेंगे वह सब अदालत में स्वयं मेरा/हमारा किया हुआ समझा जायेगा और वह मुझे हम सदैव ही मेरे/हमारे किये के समान सर्वथा मान्य होगा।

सन् १९ / बनाम / अदालत / मुकदमा नं०

तारीख 17 माह 10 - 1988 सन् १९ ई०

स्वीकार है

Accepted
RKTewari

हस्ताक्षर R. K. TEWARI
Advocate
154, Purshottam Nagar
(Khuldabad)
Allahabad-16

A-57

IN THE CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL ALLAHABAD.

CIVIL MISC. APPLICATION NO.__________/Of 1989

On behalf of the Respondents.

IN

REGISTRATION O.A. NO. 1219 of 1988/

Received copy.
20/3/89

Jai Hind Prakash Pandey ..... Applicant.

Versus

Union of India & others ..... Respondents.

To

The Hon'ble the Vice-Chairman and his other companion Members of the Hon'ble Tribunal

The humble application on behalf of the respondent Most Respectfully Showeth as under:-

1. That the full facts and circumstances have been set out in the accompanying counter-affidavit.

2. That for the reasons disclosed in the accompanying

A-38

counter-affidavit, it is expedient in the interest of justice that the petition/Original Application mentioned above may kindly be dismissed with costs.

PRAYER

It is, therefore, most respectfully prayed that this Hon'ble Tribunal may kindly be pleased admit this application alongwith the accompanying counter-affidavit filed on behalf of the respondents and dismiss the petition with costs.

(K. C. SINHA)
ADDITIONAL STANDING COUNSEL
COUNSEL FOR THE RESPONDENTS.

Dt/ 20.3.89 /

A39

Commissioner for Oaths High Court Allahabad
AFFIDAVIT
HIGH COURT ALLAHABAD
सत्यमेव जयते

IN THE CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL ALLAHABAD.

COUNTER AFFIDAVIT

IN

REGISTRATION O.A.NO.1219 of 1988/

Jai Hind Prakash Pandey ...... Applicant

Versus

Union of India & others .... Respondents.

Affidavit of R S Singh
aged about 46 years son of
Raj Br Singh posted as
Supdt of Post Offices Gonda

(Deponent)

Commissioner for Oaths High Court Allahabad
सत्यमेव जयते

I, the deponent abovenamed do hereby solemnly affirm and state on oath as under:-

1. That the deponent is posted as Supdt. of Post Offices Gonda and as such is fully acquainted with the facts of the case deposed to below.

2. That before giving a parawise reply, the

R S Singh

following facts are being asserted in order to facilitate this Hon'ble Tribunal in administering justice.

3. That the applicant was working as Extra Departmental Branch Post Master,Neerpur Khyala. At the time of surprise inspection a sum of Rs. 155.34 was found short in the government cash on 13.10.1984 and the said amount was shown undet the head unclassified amount and on making it good by the the appli cant it was shown credited under the head U.C.R. Not only this, certain other irregularities came to the light in respect of non delivery of Money Orders to Extra Departmental Delivery Agents for its payment inspite of availability of sufficient cash, retention of excess cash against the liabilities were also found and as such on 22.10.1984, order for putting him of duty was passed.

4. That thereafter, certain other irregularities were also came to the light against the applicant that he has misappropriate the government money by making fraudulent withdrawal from Saving Bank Accounts.Ultimately the petitioner was served with a charge sheet on 20.4.1985 under the provisions of rule 8 of the

EDAs(Conduct & Service) Rules,1964. A photo stat copy of the Charge sheet is being filed herewith and marked as Annexure-CA-I to this affidavit.

5\. That thereafter, after the receipt of the reply of the petitioner to the said charge sheet, a regular enquiry under the rules were conducted and the petitioner participated in the said enquiry actively and the Enquiry Officer submitted his report holding that the charges which were levelled against the petitioner were found proved and as such on 20.1.1986, punishment order was passed for removal from service. The said order was followed by an appeal which was also rejected on 14.12.1986. A petition was also submitted to the PMG, U.P.Circle,Lucknow which was also rejected on 30.5.1988.

6\. That the contents of para-1,2,3,4 and 5 of the petition are the matters of record,hence need no comments.

7\. That the contents of para.6(i)(ii) of the petition are the matters of record,hence need no comments except that enquiry against the petitioner fully established the charges levelled against him and found the charges marked as B and C partially proved and and charges marked as A.D. and E were fully established. It

is absolutely wrongto allege that the Supdt. of Post Offices,Gonda while agreeing with the findings of the enquiry Officer in the punishment order dropped the charges marked H and C in the para under reply.

8. That the contents of para-6(iii) of the petition are not correct as stated,hence denied. It is further submitted that PMG,U,P.Circle,Lucknow has never dropped the charges relating to fraudulent withdrawals of Rs. 100/- on 10.1.1983 and Rs. 50/- on 10.2.83 from the Saving Bank Account no. 871807 standing in the name of illiterate lady Smt. Sitapati W/o Bhagwati Prasad while passing the order dated 30.5.1988. A perusal of the aforesaid order dated 30.5.1988 would itself reveal the facts correctly.

Commissioner For Oaths High Court, Allahabad सत्यमेव जयते

9. That the contents of para-6(iv) of the petition are not correct as stated,hence denied. It is further submitted that there were other charges against the petitioner except the charge of shortage of government cash. As stated above, charges marked as A.D.E stood fully proved and charges B and C were partly proved against the petitioner. It is absolutely

R.S.Singh

wrong to allege that the petitioner requested certain time as referred in para under reply to bring the short amount from his house, where he kept that amount as safe measure. In fact, in the written statement which has been filed by the petitioner on 13.10.84, he has clearly mentioned that the said shortage of the amount was accepted to him and was expended for his treatment purposes and on 24.10.85 during personal examination by the Enquiry Officer, he had stated that the short found was kept with her wife and rest amount Rs. 602.72 was kept with his father which was shown to Inspector of Post Offices. A photo stat copy of the writt en statement dated 13.10.84 of the petitioner is being filed herewith and marked as Annexure-CA-II to this affidavit. In view of the aforesaid contradictory stand of the petitioner, the contention that he requested for sometime to make good the short amount, is absolutely an after thought plea and it has got no value in the eye of law. The petitioner was given sufficient time for the purposes of making the said amount good, But it could not yield the fruitful result.

10. That in reply to the contents of para-7 of the

A44

petition, it is submitted that in view of the facts and circumstances mentioned in foregoing paragraphs, it is established that the petitioner is not entitled to any of the reliefs as referred in para under reply.

11. That the contents of para-8 of the petition need no comments.

12. That the contents of para-9 of the petition are the matters of record, hence need no comments.

13. That the contents of para-10 are not within the knowledge of answering respondents, hence no positive reply is being ~~fm~~ offered.

14. That the contents of para-11, 12 and 13 of the petition are matters of record, hence need no comments. petition is devoid of merits, hence liable to be dismissed with costs.

...for Oaths

I, the deponent ab verify that the conte affidavit are of par

RSSingh

A45

paras ________ are based on legal advice to which I believe to be true; that no part of it is false and nothing material has been concealed. So help me God.

R S Singh
Deponent

I, D.S.Chaubey, Clerk to Shri K.C.Sinha, Advocate, High Court, Allahabad do hereby declares that the person making this affidavit and alleging himself to be the same is known to me personally. ~~from perusal of papers.~~

Clerk

Solemnly affirmed before me on this 7th day of March ~~February~~, 1989 at 9.00 am/~~pm~~ by the deponent who has been identified by the aforesaid Clerk.

I have satisfied myself by examining the deponent that he has understood the contents of this affidavit which have been read over and explained to him by me.

R S Singh

OATH COMMISSIONER.

BHARAT SINGH
OATH COMMISSIONER
High Court, Allahabad
No. 51428
Date 7/3/89

Commissioner for Oaths
सत्यमेव जयते
High Court, Allahabad

A 46

भारतीय डाक-तार विभाग
कार्यालय- अधीक्षक डाकघर गोण्डा मण्डल गोण्डा 271001.

ज्ञापन सं0- [illegible] दिनांक - [illegible]

अधोहस्ताक्षरी भा.डा.ता. अतिरिक्त विभाग ऐजेन्ट (सेवा और आचरण) नियमावली 1964 के नियम 8 अन्तर्गत श्री [illegible] (नाम) पद [illegible] के विरुद्ध जाँच करने का प्रस्ताव करते है । अवचार अथवा कदाचार के लाँछन का सारांश जिसके सम्बन्ध में जाँच करना प्रस्तावित किया गया आरोप के अनुच्छेद अथवा विवरण अनुबन्ध-I में दिया गया है । आरोप के प्रत्येक अनुच्छेद के समर्थन में अवचार अथवा कदाचार के लाँछनों का एक विवरण संलग्न है अनुबन्ध-II(उन प्रलेखों की एक सूची तथा उन साक्षियों की एक सूची भी संलग्न है जिनके द्वारा आरोपों को पुष्ट किया जाना है (अनुबन्ध-III तथा)

2- श्री [illegible] को यह निदेश किया जाता है कि वह इस ज्ञापन की प्राप्ति के 10 दिन के अन्दर अपना लिखित प्रतिरक्षा पत्र प्रस्तुत करें तथा यह भी बताएं कि क्या व्यक्तिगत रूप से सुनवाई चाहते हैं ।

3. उन्हें यह सूचित किया जाता है कि आरोप के उन्हीं अनुच्छेदों के सम्बन्ध में केवल जाँच की जाएगी जो स्वीकार नहीं किए गए हैं अतः उन्हें विशिष्ट रूप से आरोप के प्रत्येक अनुच्छेद को स्वीकारना या नकारना चाहिए ।

4- श्री [illegible] को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि उपर्युक्त अनुच्छेद 2 में निर्दिष्ट तारीख को अथवा उससे पहले अपना लिखित प्रतिरक्षा-पत्र प्रस्तुत नहीं करते हैं अथवा जाँच अधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होते हैं अथवा नियम के अनुसरण में जारी आदेशों/निर्देशों का पालन करने में असमर्थ रहता है अथवा इन्कार कर देता है तो जाँच अधिकारी उसके विरुद्ध एक पक्षीय जाँच कर सकता है ।

5- श्री [illegible] का ध्यान डा.ता.अ.वि.एजेन्ट (सेवा तथा आचरण) नियमावली 1964 के नियम (25) की ओर आकर्षित किया जाता है जिसके अन्तर्गत कोई भी सरकारी कर्मचारी सरकार के अधीन अपनी सेवा से सम्बन्धित मामलों के सम्बन्ध में अपनी हित सिद्धि के लिए किसी वरिष्ठ प्राधिकारी पर कोई राजनैतिक बाहरी दबाव नहीं डालेगा अथवा डालने का प्रयास नहीं करेगा । अगर किसी अन्य व्यक्ति से उसकी ओर से कोई अभ्यावेदन न कार्यवाहियों में चल रहे किसी मामले के सम्बन्ध में प्राप्त होता है तो यह माना जाएगा कि श्री [illegible] को ऐसे अभ्यावेदन की जानकारी है तथा यह उसके अनुरोध पर किया गया है तथा डा.ता. अ.वि. एजेन्ट (सेवा तथा आचरण) नियमावली 1964 के नियम (25) के अतिक्रमण के लिए उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी ।

6- कृपया इस ज्ञापन की पावती भेजें ।

[signature] [illegible]
अनुशासनिक प्राधिकारी
अधीक्षक डाकघर
गोण्डा मण्डल
गोण्डा 271001

सेवा में-
श्री [illegible]
[illegible]

प्रतिलिपि :-
1- स्थापना अनुभाग मण्डलीय कार्यालय गोण्डा
2. निरीक्षक डाकघर (उत्तरी) उप मण्डल गोण्डा
3. अ०वि०ए० कार्मिक फाइल हेतु आदि के विवरणी हेतु ।
4-6 अतिरिक्त

(01)

(A47)

अनुबन्ध-1

श्री जय हिन्द प्रकाश पाण्डेय [कार्य नियुक्त] शाखा डाकपाल नीरपुर छ्याला [किसर] के विरुद्ध विरचित आरोपों के अनुच्छेदों का विवरण ।

अनुच्छेद-1

उक्त श्री जय हिन्द प्रकाश पाण्डेय ने शा॰पो॰मा॰ नीरपुर छ्याला के पद पर कार्य करते हुए दिनांक 10·1·83 तथा 10·2·83 को बचत बैंक खाता संख्या 871807 से क्रमशः 100/- तथा 50/- की निकासी जमाकर्ता की जानकारी के बिना डाकघर के अभिलेखों में दिखाया । इस प्रकार यह आरोपित है कि उक्त श्री जय हिन्द प्रकाश पाण्डेय ने उक्त अवधि के दौरान उक्त पद पर कार्य करते हुए शा॰डा॰नि॰ के नियम 134 तथा 133 के नोट 3 में वर्णित प्राविधानों का उल्लंघन किया तथा कर्तव्य निष्ठा व सत्यनिष्ठा न बनाये रखकर अ॰वि॰ब॰[आचरण तथा सेवा] नियमावली 1964 के नियम 17 के प्राविधानों का उल्लंघन किया ।

अनुच्छेद-2

उक्त श्री जय हिन्द प्रकाश पाण्डेय ने शा॰पो॰मा॰ नीरपुर छ्याला के पद पर कार्य करते हुए दिनांक 29·2·84 को बचत बैंक खाता संख्या 871807 में जमाकर्ता से रुपया प्राप्त किये बिना ही 150/- रु जमा दिखाया । इस प्रकार यह आरोपित है कि उक्त श्री जय हिन्द प्रकाश पाण्डेय ने उक्त अवधि के दौरान उक्त पद पर कार्य करते हुए शा॰डा॰नि॰ के नियम 131 के प्राविधानों का उल्लंघन किया तथा कर्तव्यनिष्ठा व सत्यनिष्ठा न बनाये रखकर अ॰वि॰ए॰[आचरण तथा सेवा] नियमावली 1964 के नियम 17 के प्राविधानों का उल्लंघन किया ।

अनुच्छेद-3

दिनांक 28·8·84 को नीरपुर छ्याला शा॰डा॰ बचत बैंक खाता संख्या 872263 के जमाकर्ता ने 300/- की निकासी के लिए आवेदन पत्र भेरा परन्तु उक्त श्री जय हिन्द प्रकाश पाण्डेय ने अभिलेखों में खाते से 390/- रु॰ निकालने की कार्यवाही की । दिनांक 13·9·84 को उक्त जमाकर्ता को केवल 300/- रु॰ दिये जब कि उक्त खाते से 390/- रु॰ की निकासी अभिलेखों में अंकित थी । इस प्रकार यह आरोपित है कि उक्त श्री जय हिन्द प्रकाश पाण्डेय ने उक्त अवधि के दौरान उक्त पद पर कार्य करते हुए शा॰डा॰नि॰ के नियम 134 तथा 133 के नोट 3 में वर्णित प्राविधानों का उल्लंघन किया तथा कर्तव्यनिष्ठा एवं सत्यनिष्ठा न बनाये रखकर अ॰वि॰ए॰[सेवा तथा आचरण] नियमावली 1964 के नियम 17 के प्राविधानों का उल्लंघन किया ।

अनुच्छेद-4

उक्त श्री जय हिन्द प्रकाश पाण्डेय ने शा॰पो॰मा॰ नीरपुर छ्याला के पद पर कार्य करते हुए दिनांक 26·8·83 को श्रीमती मालती देवी पत्नी श्री बैजनाथ पाण्डेय से बचत बैंक खाता सं0- 872472 खोलने के लिए 650/- रुपये प्राप्त किये परन्तु डाकघर के हिसाब में केवल 60/- रु॰ से खाता खोला । इस प्रकार यह आरोपित है कि उक्त श्री जय हिन्द प्रकाश पाण्डेय ने उक्त अवधि के दौरान उक्त पद पर कार्य करते हुए शा॰डा॰नि॰ के नियम 125 के प्राविधानों का उल्लंघन किया तथा कर्तव्यनिष्ठा व सत्यनिष्ठा न बनाये रखकर अ॰वि॰ए॰[सेवा तथा आचरण] नियमावली 1964 के नियम 17 के प्राविधानों का उल्लंघन किया ।

क्रमशः 2

(84) (A-48)

अनुच्छेद-5

उक्त श्री जय हिन्द प्रकाश पाण्डेय शा॰पो॰मा॰ नीरपुर छ्याला के पद पर कार्य करते हुए दिनांक 13•10•84 को डाक निरीक्षक के आकस्मिक निरीक्षण के समय पूरी नकदी नहीं प्रस्तुत कर सके एवं उनके पास डाकघर के अवशेषों में से 155•34 पैसे की कमी पायी गयी । इस प्रकार यह आरोपित है कि उक्त श्री जय हिन्द प्रकाश पाण्डेय ने उक्त अवधि के दौरान उक्त पदपर कार्य करते हुए शा॰डा॰नि॰के नियम 11 के प्राविधानों का उल्लंघन किया तथा कर्तव्यनिष्ठा व सत्यनिष्ठा न बनाये रखकर अ॰वि॰ए॰[आचरण]तथा सेवा] नियमावली 1964 के नियम 17 के प्राविधानों का उल्लंघन किया ।

अनुच्छेद-6

उक्त श्री जय हिन्द प्रकाश पाण्डेय ने उक्त अवधि के दौरान शा॰पो॰मा॰ नीरपुर छ्याला के पद पर कार्य करते हुए दिनांक 13•10•84 को डाक निरीक्षक दक्षिणी के जाँच के समय यह पाया गया कि शा॰डाकघर लेखा दिनांक 28•9•84 से नहीं भरा गया था तथा 12•10•84 को लेखा कार्यालय से प्राप्त वस्तुएं शाखा डाकघर जर्नल में नहीं चढ़ायी गयी थी । 5•10•84 8•10•84 तथा 12•10•84 को पर्याप्त नकदी होते हुए भी वितरण के लिए कोई भी धनादेश और नकदी अ॰वि॰वि॰ए॰ को नहीं दिये गये थे । 5•9•84, 8•9•84 29•9•84 तथा 3•10•84 को आवश्यकता से अधिक नकदी अपने पास रोक रखी थी । इस प्रकार यह आरोपित है कि उक्त श्री जयहिन्द प्रकाश पाण्डेय के उक्त अवधि के दौरान उक्त पद पर कार्य करते हुए शा॰डा॰नि॰ के नियम नियम 106,107,169,173,174 तथा शा॰पो॰मा॰ को यह कार्य नहीं करना चाहिए ? शीर्षक के अन्तर्गत निर्धारित निर्देश सं0-11 के प्राविधानों का उल्लंघन किया तथा कर्तव्य निष्ठा व सत्यनिष्ठा न बनाये रखकर अ॰वि॰ए॰ [आचरण तथा सेवा] नियमावली 1964 के नियम 17 के प्राविधानों का उल्लंघन किया ।

अनुबन्ध-2

श्री जयहिन्द प्रकाश पाण्डेय[कार्य नियुक्त][शाखा पोस्टमास्टर नीरपुर छ्याला के विरुद्ध विरचित अवचार एवं कदाचार के आरोपों का विवरण ।

अनुच्छेद-1

उक्त श्री जयहिन्द प्रकाश पाण्डेय ने शा॰पो॰मा॰ नीरपुर छ्याला के पद पर कार्य करते हुए दिनांक 10•1•83 तथा 10•2•83 को बचत बैंक खाता सं0- 871807 से क्रमशः 100/- तथा 50/- रु॰ को जमाकर्ता की जानकारी के बिना उसके अशिक्षित होने का लाभ उठाते हुए अपने नाबालिग पुत्र श्री चन्द्रभूषण पाण्डेय तथा अपने चचेरे भाई श्री काशी प्रसाद पाण्डेय कोएवं एक अन्य स्थानीय व्यक्ति श्री धनश्याम से गवाही कराकर निकासी एवं निकासी फार्म स्वयं अपने हाथों से भरा उन्होंने उक्त खाते की जमाकर्ता श्रीमती सीतापती को उक्त दोनों राशि के 150/-रु॰ का भुगतान नहीं किया जमाकर्ता से अपनी गलती छिपाने के लिए उन्होंने अपने पास से 150/-रु॰ अपने चचेरे भाई श्री काशी प्रसाद पाण्डेय से जमापर्ची भराकर दिनांक 28•2•84 को उक्त खाता सं0- 871807 में जमा कर दिया ।

अतः यह आरोपित है कि उक्त श्री जय हिन्द प्रकाश पाण्डेय ने शा॰डा॰नि॰ के नियम 134 तथा 133 के नोट 3 में वर्णित प्राविधानों का उल्लंघन किया तथा कर्तव्यनिष्ठा व सत्यनिष्ठा में बनाये रखकर अ॰वि॰ए॰[आचरण एवं तथा सेवा] नियमावली 1964 के नियम 17 के प्राविधानों का उल्लंघन किया ।

अनुच्छेद-2

उक्त श्री जयहिन्द प्रकाश पाण्डेय ने शा०पो०मा० नीरपुर ब्याला के पद पर कार्य करते हुए दिनांक 28•2•84 को बचत बैंक खाता संख्या 871897 में जमाकर्ता से रुपया प्राप्त किये बिना अपने पास से 150/-रुपये अपने चचेरे भाई श्री काशी प्रसाद पाण्डेय से जमापर्ची भराकर जमा किया। उक्त रुपये को उन्होंने अपने पास से इसलिए जमा किया कि उसे वे जमाकर्ता की जानकारी के बिना फर्जी निकासी फार्म तैयार करके निकाल चुके थे।

इस प्रकार यह आरोपित है कि उक्त श्री जयहिन्द प्रकाश पाण्डेय ने शा०डा०नि० के नि0- 131 के प्राविधानों का उल्लंघन किया तथा सत्यनिष्ठा व कर्तव्यनिष्ठा न बनाये रखकर अ०दि०ए० (आचरण तथा सेवा) नियमावली 1964 के नियम 17 के प्रविधानों का उल्लंघन किया।

अनुच्छेद-3

दिनांक 28•8•84 को नीरपुर ब्याला शा०डाकघर बचत खाता संख्या 872263 के जमाकर्ता ने 300/- रु० निकालने की इच्छा व्यक्त की परन्तु श्री जयहिन्द प्रकाश पाण्डेय ने निकासी फार्म स्वयं अपने हाथों से भरा तथा अपने सगे भाई श्री जनार्दन प्रसाद पाण्डेय से नि०अ० प्रमाणित कराकर तथा गवाही कराकर जमाकर्ता के अशिक्षित होने का लाभ उठाते हुए 300/- रु० के स्थान पर 390/-रु० (तीन सौ नब्बे रुपये) का निकासी फार्म लेखा कार्यालय को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया वहाँ से स्वीकृति वापस आने पर दिनांक 13•9•84 को श्री राम बिहारी पाण्डेय से नि०अ० प्रमाणित कराकर 390/- रु0 का भुगतान करना दिखाया लेकिन जमाकर्ता को केवल 300/- रु0 का भुगतान दिया।

अतः यह आरोपित है कि उक्त श्री जयहिन्द प्रकाश पाण्डेय ने शा०डा०नि० के नियम 134 तथा 133 के नोट 3 में वर्णित प्राविधानों का उल्लंघन किया तथा कर्तव्यनिष्ठा एवं सत्यनिष्ठा न बनाये रखकर अ०दि०ए० (सेवा तथा आचरण) नियमावली 1964 के नियम 17 के प्राविधानों का उल्लंघन किया।

अनुच्छेद-4

उक्त श्री जयहिन्द प्रकाश पाण्डेय ने शा०पो०मा० नीरपुर ब्याला के पद पर कार्य करते हुए दिनांक 26•8•83को श्रीमती मालती देवी पत्नी श्री बैजनाथ पाण्डेय से नया बचत खाता खोलने के लिए 650/-रु० प्राप्त किये परन्तु उन्होंने केवल 60/-रु० से खाता खोला और जमाकर्ता से प्राप्त शेष 590/-रु० को डाकघर के हिसाब में नहीं लिया।

इस प्रकार यह आरोपित है कि उक्त श्री जयहिन्द प्रकाश पाण्डेय ने शाखा डा०नि० के नियम 125 के प्राविधानों का उल्लंघन किया तथा कर्तव्यनिष्ठा व सत्यनिष्ठा न बनाये रखकर अ०दि०ए० (सेवा तथा आचरण) नियमावली 1964 के नियम 17 के प्राविधानों का उल्लंघन किया।

अनुच्छेद-5

दिनांक 13•10•84 को डाक निरीक्षक गोंडा दक्षिणी ने नीरपुर ब्याला डाकघर का निरीक्षण किया। उनके द्वारा निरीक्षण के लिए मांगे जाने पर डाकघर लेखा के हिसाब से शा०पो०मा० के पास कुल 878•71 पैसे होने चाहिए थे परन्तु उक्त श्री जयहिन्द प्रकाश ने डाक निरीक्षक के सामने केवल निम्नलिखित रकम प्रस्तुत की-

नकदी 602•72

डाक टिकट 45•45
रसीदी टिकट 9•20
अदा किये गये 66•00
बिलों कीरसीद

कुल योग = 723•37 शेष राशि रु• 155-34 प्रस्तुत नहीं कर सके•

इस प्रकार उक्त श्री जय हिन्द प्रकाश पाण्डेय के द्वारा सरकारी नकदी बकाये में 155•34 पैसे की कमी पायी गयी जिसे डाक निरीक्षक ने अप्राधिकृत भुगतान मद में दिखाने का निर्देश दिया।

इस प्रकार यह आरोपित है कि उक्त श्री जयहिन्द प्रकाश पाण्डेय ने शा•डा•नि• के नियम 11 के प्राविधानों का उल्लंघन किया तथा कर्तव्यनिष्ठा न बनाये रखकर अ•वि•ए•(आचरण तथा सेवा) नियमावली 1964 के नियम 17 के प्राविधानों का उल्लंघन किया।

अनुच्छेद-6

उक्त श्री जयहिन्द प्रकाश पाण्डेय ने शा•पो•मा• नीरपुर ब्याला के पद पर कार्य करते हुए दिनांक 13•10•84 को डाक निरीक्षक गोंडा दक्षिणी की जाँच के समय अधूरा रिकार्ड प्रस्तुत किया। जाँच के समय निम्नलिखित कमियाँ पायी गयी:-

1- शाखा डाकघर लेखा दिनांक 28•9•84 से भरा नहीं गया था•
2- दिनांक 12•10•84 को लेखा कार्यालय से प्राप्त सामान बी•ओ• जर्नल में अंकित नहीं किये गये थे।
3- 5•10•84,8•10•84 तथा 12•10•84 को पर्याप्त नकदी होते हुए भी अ•वि•वि•ए• को वितरण के लिए को धनादेश नहीं दिया गया था•
4- 5•9•84,8•9•84 ,29•9•84 तथा 3•10•84 को उक्त श्री जय हिन्द प्रकाश पाण्डेय ने अपने डाकघर में आवश्यकता से अधिक नकदी रोके रखा•

इस प्रकार यह आरोपित है कि उक्त श्री जय हिन्द प्रकाश पाण्डेय ने शा•डा•नि• के नियम 106,107,169,173,174 तथा "शा•पो•मा• को यह काम नहीं करना चाहिए" शीर्षक के अन्तर्गत निर्धारित निर्देश सं0-11 के प्राविधानों का उल्लंघन किया तथा कर्तव्यनिष्ठा व सत्यनिष्ठा न बनाये रखकर अ•वि•ए•(सेवा तथा आचरण) नियमावली 1964 के नियम 17 के प्राविधानोंक का उल्लंघन किया।

अनुबन्ध-3

उन प्रलेखों की सूची जिनके आधारपर श्री जय हिन्द प्रकाश पाण्डेय के विरुद्ध विरचित आरोपों की पुष्टि करने का प्रस्ताव है।

1- शाखा डाकघर लेखा नीरपुर ब्याला 1•3•84 से 13•10•84 तक
2- अ•वि•वि•ए• डाक वाहक का रजिस्टर 12•8•84 से 13•10•84 तक
3- शाखा डाकघर जर्नल नीरपुर ब्याला 1•9•84 से 13•10•84 तक
4- नीरपुर ब्याला बचत खाता संख्या 871807 की पासबुक•
5- नीरपुर ब्याला बचत खाता संख्या 871807 की जमापर्ची दि0 8•9•84
6- बचत खाता सं0- 871807 का निकासी फार्म दिनांक 10•1•83 तथा 10•2•83•
7- श्रीमती सीतापती पत्नी श्री भगौती प्रसाद का बयान दिनांक 19•2•85 24•1•85 तथा 21•11•84•

8- बचत खाता सं०- 072263 की पासबुक।

9- बचत खाता सं०- 072263 का रुपया निकालने का आवेदन पत्र दि० 28·8·84 जिसका भुगतान 13·9·84 को दिखाया गया।

10- बयान श्री राम सुरेमन दिनांक 19·2·85 24·1·85 तथा 31·11·84

11- श्रीमती मालती देवी पत्नी श्री बैजनाथ पाण्डेय का बयान दि० 24·1·85।

12- श्री जयहिन्द प्रकाश पाण्डेय का बयान दिनांक 13·10·84।

अनुबन्ध-4

उन गवाहों की सूची जिनके आधार पर श्री जयहिन्द प्रकाश पाण्डेय के विरुद्ध विरचित आरोपों को पुष्ट करने का प्रस्ताव है :-

1- श्री पी·पी· सिंह डाक निरीक्षक (दक्षिणी) गोंडा।

2- श्रीमती सोनापती पत्नी श्री रूपपती प्रसाद ग्राम बेलहुआ पो० नीरपुर ब्याला गोंडा।

3- श्री काशी प्रसादपाण्डेय ग्राम व पो० नीरपुर ब्याला, गोंडा।

4- श्री राम सुरेमन पाण्डेय पुत्र श्री नवरंग पाण्डेय ग्राम ·पो० नीरपुर ब्याला, गोंडा।

5- श्रीमती मालती देवी पत्नी श्री बैजनाथ पाण्डेय, ग्राम पो० नीरपुर ब्याला गोंडा।

6- मेल ओवरसियर हेड क्वार्टर-2 गोंडा।

20/4/85

(डी०पी०सी० पाण्डेय)
अधीक्षक डाकघर,
गोंडा मंडल,
गोंडा-271001।

Received all the listed document except that the document at sl. 9 relates not for the period from 12-8-84 but from 18-8-84

29/5/85

लिखित बयान श्री ज्ञानेन्द्र प्रकाश पाण्डेय शाखा डाकपाल (1)

श्री [illegible] सहायक अधीक्षक डाकघर [illegible]

[illegible] सामने

A52

मैं श्री ज्ञानेन्द्र प्रकाश पाण्डेय शाखा डाकपाल मोरपुर (गोण्डा) ऐसा [illegible] एवं यह बयान करता हूँ कि आज दिनांक 13.10.84 को अचानक श्री निरीक्षक महोदय गोण्डा [illegible] के निरीक्षण के समय मेरे पास उपलब्ध सरकारी कोष में रु० 155-34 (रु० एक सौ पचपन रुपया चौंतीस नया पैसा) कम पाया गया जिसे निरीक्षक महोदय ने तुरन्त अनधिकृत भुगतान मद में चार्ज कराया मेरे पास जाँच के समय नगदी 602-72 डाकटिकट 45-45 व स्टाम्प टिकट 9.20 पैसे के कुल अवशेष 657-37 पैसे उपलब्ध थे। जब कि अभिलेखों के अनुसार कुल 878-71 रु० आठ अठत्तर इकहत्तर पैसे अवशेष होना चाहिए था। जिसमें से मैं 66-00 का अपना कमीशन बिल भुगतान लिया था। इस प्रकार सरकारी कोष में एक सौ पचपन रुपया, चौंतीस नया पैसा 155-34 की कमी पाई गई यह कमी इस कारण हुई क्योंकि यह रुपया मैंने [illegible] में अपनी [illegible] में खर्च कर दिया था। यह कमी लगभग 10-12 दिन से है।

मैंने किसी तरह उक्त कमी की धन राशि इन्तजाम करके पूरा करके इस डाक घर में आज दिनांक 13.10.84 को ही अनधिकृत प्राप्तियाँ मद में जमा करके ही खजाना पूरा कर दिया है।

दिनांक 28.9.84 से आज तक का एकाउन्ट खेती में कार्य अधिकता होने के कारण नहीं भर सका। तथा दिनांक 12.10.84 को B.O. जर्नल में प्राप्त वस्तुओं का इन्दराज व अमानत [illegible] नहीं किया तथा मैंने 5.10.84 तथा 8.10.84, 12.10.84 को ED MP को डिलिवरी नहीं दी व ~~[illegible]~~ नहीं। लाइबिल्टी होते हुए भी नहीं दिया क्यों कि आलस वश नहीं दे सका।

दिनांक 5.9.84, 6.9.84, 8.9.84, 29.9.84 ~~[illegible]~~ 30.9.84, तथा 3.10.84 को लाइबिल्टी से अधिक नगदी मैं लेखा कार्यालय को इस लिए वापस नहीं कर सका क्यों कि मेरे पास छोटी तराजू उपलब्ध नहीं है लेकिन बाँट मौजूद हैं।

आज दिनांक 13.10.84 को ED MP को डिलिवरी नहीं दिया था केवल पत्र बाँटने हेतु दिया था। लेकिन, निरीक्षक महोदय के आने पर ED MP को दूसरी डिलवरी आज ही निरीक्षक महोदय ने दिलवाई।

इन सब भूलों के लिए मैं जिम्मेदार हूँ तथा ऐसी गल्ती भविष्य में नहीं करूँगा।

F-16

[illegible]
13.10.84
Divisional Inspector
Post Offices (South)

(ज्ञानेन्द्र प्रकाश पाण्डेय)
शाखा डाकपाल [illegible]

A53

Before The Central Adminstrative Tribunal, Allahabad-1

O.A. REGN. No.1219 of 1988

J.H.P.Pandey versus U.O.I. & Others

REJOINDER

In response to Reply affidavit filed by the Respondents the applicant begs to state as under :-

(1) Paras 1 to 8 and 10 to 14 - Contents of all these paras are denied. It is submitted that the applicant filed a revision to PMG UP against the Punishment Order & the appellate order passed by The Supdt Posts Gonda & DPS Lucknow respectively. Although the said Revision was rejected by the learned PMG UP vide his order dated 30-5-86 copy at Page 27 of the paper-book application, he (the PMG) has dropped all charges against the applicant except one relating to shortage of cash of Rs.155/34 on 13-10-84. As such all averments in Paras 1 to 8 and 10 to 14 of the Reply affidavit are quite unwarrented and uncalled for, they desrve no Notice.

(2) Para 9 - Denied. The statement at Annexure II of the Reply affidavit was obtained by the IPOs concerned under pressure & duress. From saftey point of view the applicant had kept the amount viz. Rs.155/34 at his residence . He sought the permission of the IPOs to bring the same from his residence but he was not allowed any time but to give the dictated stt. as aforesaid.

(3) In view of facts narrated above the applicant is fully entitled to the reliefs sought for.

IN VERIFICATION

I, JHP Pandey, the applicant do hereby verify that the contents 1 to 3 above are true to the best of my knowledge and belief. Nothing material has been concealed.

4-7-1989

R. K. TEWARI
Advocate
154, Purshottam Nagar
(Khuldabad)
Allahabad-16

Rejoinderist.

A-54

Before The Central Administrative Tribunal, Allahabad-1

Misc. Petition No. 38 of 1989

IN

O.A. Regn. No. 1219 of 1988

J.H.P. Pandey v/s Union Of India & Others

MOTION NOTICE

kindly take Notice that the undersigned (On behalf of Applicant) proposes to move the court on 23/1/89. ~~the date fixed for its next hearing,~~ at 10-30 hours or soon thereafter to consider and pass orders on the enclosed application. The subject matter of the same is briefly narrated below.

Received copy
Clerk A.C. Pandey
30/12/88

Dated :

R.K. Tewari
(R.K.Tewari)
Advocate for the Applicant

Enclosed One Application

Subject Matter Of The Motion

Amendment to the Plaint

List this application before Hon'ble Bench for 23.1.89

09.1.89

Sri A.C. Pandey for compliance
11/1/89

Filed today
noted for 23/1/89

A55

Before The Central Administrative Tribunal, Allahabad-1

Miss-30 of 89

O.A. Regn. No. 1219 Of 1988

Jai Hind Prakash Pandey v/s Union Of India & Others

Application for the amendment of the Plaint

* * * * * *

The applicant inadvertently omitted to add one more para to the Relief Sought for. It is, therefore humbly prayed :-

PRAYER

THAT THE SAME MAY KINDLY be permitted to be added now as sub para (iii) to main para no.7 on page of the Paper-Book Application just below sub para (ii)

"(iii) In case the relief sought for in sub para (i) can not be granted the punishment may be suitably reduced in consideration of the fact that out of 5 charges imposed upon the applicant 4 charges including those involving moral turpitude have already been treated as as not established leaving only one minor charge which too can hardly be said as proved."

IN VERIFICATION

I, J.H.P Pandey Applicant in this case do hereby verify that the contents of this amendment application are true to the best of my knowledgr and belief & that nothing material has been suppressed.

dated : 28-12-1988

Applicant/Deponent

(R.K.Tewari)
Advocate for the Applicant
154, Purushottamnagar, Allahabad-16

A56

Before The Central Adminstrative Tribunal, Allahabad-1

O.A. Regn. No. 1219 Of 1988

Jai Hind Prakash Pandey V/S Supdt. Posts Faizabad & Others

Application for the Amendment of Plaint.

* * * * *

The applicant respectfully begs to state that he inadvertently omitted to implead "Union of India" as a Respondent in this case. He, therefore prays that

PRAYER

He may kindly be permitted to do the same now & to amend the plaint thus :-

To add on pages 1 & 2 of the paper-book application

"Union Of India, Through The Secretary Ministry Of Communications, New Delhi"

Just after Item No. 2of the list of Respondents appearing on each Page.

IN VERIFICATION

I, J.H.P. Pandey aged 39 years S/O Shri R.B. Pandey r/o Village Post Neelpur khyde Dist. Faizabad & ex Employee of Faizabad Postal Division do hereby verify that the contents of this application are true to the best of my knowledge & belief. Nothing Material has been concealed.

dated : 6-12-1988

Deponent/Applicant

(R.K.Tewari)
Advocate for the Applicant
154, Purshottamnagar,
Allahabad-16

B57

Application under Section 19 of Administrative Tribunal Act

Filed On 21-10-1988

Regn. No. Of 1988

Signature Of Registrar

In The Central Administrative Tribunal, Allahabad-1

Between

Jai Hind Prakash Pandey .... Applicant

A N D

(1) D.P.S. Lucknow I
I .... Respondents
(2) PMG UP Lucknow I
(3) Union of India through the Secretary Ministry of Communication - New Delhi

INDEX

Sl. No.	Annexure Marked	Date Of Documents	Documents Relied upon	Page No.
1	-	21-10-88	Application	02 to 08
2	A-1	17-12-85	Enquiry Report	09 to 16
3	A-2	20-1-86	Punishment Order	17 to 19
4	A-3	04-2-86	Appeal to DPS Lko.	20 to 24
5	A-4	14-12-86	Appellate order	25 & 26
6	A-5	30-05-85	Order passed by PMG UP	27

R.K. Tewari
(R.K.Tewari)
Advocate
154,Purushottamnagar,
Allahabad-16

जयहिन्द प्रकाश पाण्डेय

Details of Application

1—Particulars of the Applicant :

(i) Name of Applicant — JAI HIND PRAKASH PANDEY

(ii) Name of Father/Husband — Shri Ram Behari Pandey

(iii) Age of Applicant — 39 years

(iv) Designation & Particulars of Office where employed or was last employed — Ex ED BPM Noorpur Khyala Bhelsa, Dist. Gonda

(v) Office Address — Nil

(vi) Address for service of Notice — Vill. P.O. Noorpur Khyala, Bhelsa District Gonda

2—Particulars of the Respondents :

(i) Name &/or Designation

(ii) Official Address

(iii) Address for service of all notices

(1) DPS Lucknow-1

(2) PMG, UP Circle, Lucknow-1

3—Particulars of the order against which application is made :

(i) Order No.	L-MI/74/84-85	NIDAL/Staff/A-3/86/3	Vig/M-3/9/87/4
(ii) Date	20-1-86	14-9-86	dated 30-5-88
(iii) Passed by	Sr. Supdt Posts	DPS Lucknow	PMG UP Lucknow
(iv) Subject in brief	Removal from Service		

4—Jurisdiction of the Tribunal :

The applicant declares that the subject matter of the order against which he wants redressal is within the Jurisdiction of this Tribunal.

5 –Limitation :

The applicant further declares that the application is within the limitation prescribed in Section 21 of the Administrative Tribunal Act, 1985.

6—Facts of the case :

The facts of the case are given below.

जयहिन्द प्रकाश पाण्डेय

1359

(i) The applicant was served with a memo of charges by the learned Superintendent of Posts Gonda vide his No.L-Ani/71/84-85 dated 20.1.86 which has been reproduced verbetim in the enquiry report at pages 9 to 16. The applicant denied the charges hence an enquiry officer was deputed to hold enquiry into the matter. His report dated 17.12.85 is appended herewith as Annexure A-1 on pages 9 to 16. Agreeing with the findings of the Enquiry officer the learned superintendent of Posts Gonda vide his memo No.L-Ani/71/84-85 dated 20.1.86 awarded the applicant the punishment of removal from service. The said order is appended at Annexure A-2 on pages 17 to 19. The applicant preferred an appeal to D.P.S.Lucknow against the said punishment order on 4.2.86 vide copy at Annexure A-3 on pages 20 to 24. The same was rejected by the learned D.P.S.Lucknow. On 14.12.86 vide copy at Annexure A-4 on pages 25 & 26. The applicant then submitted a petition to the P.M.G.,U.P.Lucknow on 28.5.87 which too was partially rejected by the learned P.M.G U.P. on 30.5.88 vide copy at Annexure A-5 on pages 27. Hence this application is submitted before the Hon'ble Tribunal.

(ii) The facts of the case are that the applicant while working as B.P.M.Neerpur Khayala is alleged to have committed (a) temporary misappropriation ~~xxxxxxxx~~ of Rs.150/= from S.B.Account No.871807 by withdrawing Rs.100/= on 10.1.83 and Rs.50/= on 10.2.83 ~~and~~

R.N.Tewari   [signature]

136

and then redepositing the entire amount of Rs.150/= on 28.2.84 (b) misappropriated a sum of Rs.90/= from S.B.account No.872263 on 28.8.84 when its holder expressed the desire of withdrawing Rs.300/= the applicant is alleged to have actually withdrew Rs.390/= from that account and paid only 300/= to the account holder (c) On 28.8.84 One Smt.Malti Devi tendered a sum of Rs.650/= for opening a new S.B.account, The applicant is alleged to have opened the account with Rs.60/= only and the rest Rs.590/= he is said to have misappropriated (d) on 13.10.86 when I.P.Os Gonda (south) checked his account a sum of Rs.155/34 was found short (e) The applicant is further charged to have presented incomplete records before the learned I.P.Os at the time of his check.

The enquiry officer held charges marked (a),(d) and (e) above as fully established and found charges marked B & C as unestablished. In the punishment order the learned Superintendent has fully agreed with the findings of the enquiry officer, in this way the charges marked (b) and (c) are completely dropped.

(iii) As far as the first charge is concerned the holder of S.B.account No.871807 in question was an illiterate lady (unable to sign) Smt.Sitapati W/o Bhagwati Prasad. She had withdrawn Rs.100/= on 10.1.83 and Rs.50/= on 10.2.83 from her said account. On each

R Tewari

occassion Shri Kashi Prasad had identified and had scribed her thumb impression. The payment was witnessed by S/Shri Chandra Bhusan Pandey and Ghanshyam The prosecution did not produce Kashi Prasad before the enquiry officer (~~enquiry officer~~ EO in brief). And the enquiry officer rejected the evidence of S/Shri Chandra Bhushan Pandey and Ghanshyam on the ground that Chandra Bhusan was applicant's own son and Ghan-Shyam was his uncle's son and also his next door neighbour. No account holder brings witnesses with him when they come to withdraw money and the poor Branch Postmaster who arranges witness for them is thus charged. While holding this charge as proved on fake evidence the enquiry officer also missed to appriciate the fact that Shri Ram Anuj Pandey who was elected Gram Pradhan of the village in 1982 had fabricated this case against the applicant in collusion with Smt.Sitapati Devi and got the complaint lodged. It was all done with the clear motive of replacing the applicant by Gram Pradhan's own son. The learned P.M. G.U.P.(Respondent No.2) has appreciated this fact and has dropped this charge in the order passed by him on 30.5.88 at Annexure A-5 on page 27.

(iv) Thus only one single charge is left against the applicant. It is that the S.D.I.(Posts) Gonda East visited the Post Office on 13.10.84 and found the cash short by Rs.155/34. The applicant requ-

requested a few minutes time to bring thesame from his house where he had kept that amount as a safety measure. The S.D.I.(Posts) did not permit it and went a head to place the applicant under put off duty. This had been a in clear contravention of the provisions of Note 2 below Rule 217 of P & T Manual Vol V reproduced below:-

Note:2: In the case of a sub or branch office in charge of an Extra Departmental Agent when a deficiency in the cash or stamp balance is noticed by a supervising officer, time should be given to the Extra Departmental Agent to send for the cash, stamps etc".

The learned P.M.G.,U.P. while holding this charge proved has totally ignorred that the S.D.I. (Posts) did not permit the applicant to make good the dificiency as warrented by rule. This charge too is thus not established. It is therefore humbly prayed that the applicant may kindly be ~~declared charge free~~. granted the following reliefs.

7. **Reliefs sought for:**

The applicant prays for the grant of ~~fiss~~ following reliefs:-

(1) That the punishment order dated 20.1.86, at Annexure A-2 on pages 17 to 19, the appellate order dated 14.12.86 at Annexure A-4 on pages 25 & 26 & the order dated 30.5.88 passed by the learned P.M.G., U.P. at Annexure A-5 on page 27 may all be set aside and the applicant may be ordered to be put back to duty.

R.Tewari

B63

(ii) He may be paid the cost of this suit together with any other reliefs deemed fit by the Hon'ble Tribunal.

R.N. Tewari [illegible]

(iii) In case the relief sought for in sub para (i) can not be granted the punishment may be suitably reduced in consideration of the fact that out of 5 charges imposed upon the applicant, 4 charges including those involving moral turpitude have already been treated as not established, leaving only one minor charge which too can hardly be said as proved.

added as per Court's order dt 6/3/05

R.N. Tewari
7/3/05

B64

8 – Interim order—If Prayed for—NIL

9 – Details of the remedies exhausted :

The applicant declares that he has availed of all the remedies available to him under relevant service rules.

He preferred an appeal to DPS Lucknow on 4-2-99 which was rejected on 14-12-86 vide Ann. A-4 on Pages 25-26 He then submitted a petition to the PMG UP on 28-5-87 which too was rejected by the PMG UP on 30-5-88 vide copy at Ann. A-5 on Page 27.

10 – Matters not previously filed or pending with any court :

The applicant further declares that he had not previously filed any application, writ petition or suit regarding the matter in respect of which this application has been made before any court of law or any other authority or any other Bench of the Tribunal and nor any such application, writ petition or suit is pending before any of them.

11 – If application is sent by Regd. Post, does the applicant desire to have oral hearing at the Admission stage if so he must attach a self addressed P. C.

12—Particulars of the Postal Order in respect of the application :

(i) No. of I. P. O. [illegible]3/650249

(ii) Name of Issuing P. O. Allahabad H.P.O.

(iii) Date of Issue 12-10-89

(iv) P. O. at which payable— Allahabad Head Post Office

13—List of enclosures :

(i) Vakalatnama

(ii) One I. P. O. for Rs. 50/-

(iii) Five documents to be relied upon

In verification

I, Jai Hind Prakash S/Shri Ram Behari Pandey aged 39 years R/O Vill. Post Neerpur Phyala Gonda working as Ex EDBPM do hereby verify that the contents from Paras 1 to 13 are true to my personal knowledge and belief and that I have not suppressed any material facts.

Place—Allahabad

Date 21-10-89

जयहिन्द प्रकाश पाण्डेय

Signature of applicant

To

The Registrar, Central Administrative Tribunal, Allahabad -211001

(R. K. Tewari)
Advocate
154, Purushottam Nagar,
Allahabad—16

Annexure A-1

भारतीय डाक तार विभाग

प्रेषक : कैलाश
जाँच अधिकारी

सेवा में : अधीक्षक डाकघर
गोण्डा मंडल गोण्डा

पत्रांक क्ष०जाँ०-7/ अरविन्द प्रकाश - गोण्डा दि. 17.12.85

विषय : श्री अरविन्द प्रकाश पाण्डेय कार्यवाहक शाखा डाकपाल नीरपुर रूपाला के विरुद्ध नियम 8 के अन्तर्गत जाँच

सन्दर्भ : स्टाफ - अनु / 61/84.85 दि. 22.5.85

जाँच रिपोर्ट

अधीक्षक डाकघर गोण्डा के ज्ञापन सं. स्टाफ-अनु 61/84.85 दिनांक 22.5.85 के द्वारा श्री अरविन्द प्रकाश पाण्डेय शाखाडाकपाल नीरपुर रूपाला के विरुद्ध लगाए गए आरोप की जाँच हेतु जाँच अधिकारी नियुक्त हुआ। अभियोजन पक्ष की पैरवी हेतु श्री के. पी. सिंह पलटोरा (?) के बारे नियुक्त हुए। श्री अरविन्द प्रकाश पाण्डेय ने अपने बचाव सहायक में श्री एस. पी. उपाध्याय उपनिरीक्षक पी. ओ. को को रखा।

श्री अरविन्द प्रकाश पाण्डेय कार्यवाहक शाखाडाकपाल के विरुद्ध लगाए गए आरोपों के अनुच्छेदों का विवरण निम्न प्रकार है।

अनुच्छेद - I

कि श्री अरविन्द प्रकाश पाण्डेय ने शा० डा० पा० नीरपुर रूपाला के पद पर कार्य करते हुए दिनांक 10.1.83 तथा 10.2.83 को क्रमशः बचत खाता सं. 871807 में क्रमशः 100/ तथा 50/ की जमाओं को जमाकर्ता के बिना उनके उपस्थित होने का लाभ उठाते हुए अपने नाबालिग पुत्र श्री अनुपम पाण्डेय तथा अपने चचेरे भाई श्री काशीप्रसाद पाण्डेय को स्वयं एक खाता आहरित कराया श्री रामअवतार से गवाही कराकर निकासी एवं निकासीकर्ता स्वयं अपने हाथों से भर उन्होंने उक्त खाते की जमाकर्ता श्रीमती सीतापति को उक्त दोनों राशि के 150/ का भुगतान नहीं किया जमाकर्ता से अपनी गलती छिपाने के लिए उन्होंने अपने पास से 150/ अपने चचेरे भाई श्री काशीप्रसाद पाण्डेय से जमापर्ची भरकर दिनांक 28.2.84 को उक्त खाता सं. 871807 में जमा करदिया। इनका यह आरोपित है कि इनका

अरविन्दप्रकाश पाण्डेय

श्री जयहिन्द प्रकाश पाण्डेय ने भा०डा० नि० के नियम 134 तथा 133 के नोट 3 में वर्णित प्राविधानों का उल्लंघन किया तथा कर्तव्यनिष्ठा व सत्यनिष्ठा न बनाए रखकर भा० नि० डा० व तारसेवा राजसेवा नियमावली 1964 के नियम 17 के प्राविधानों का उल्लंघन किया

अनुच्छेद - 2 :

उक्त श्री जयहिन्द प्रकाश पाण्डेय ने डा०पा० भा० गोरखपुर उपनगर के पद पर कार्य करते हुए दिनांक 28.2.84 को जमाकर्ता से [illegible] बचत बैंक खाता सं. 871607 में जमाकर्ता से रूपया प्राप्त किए बिना हमले पासबुक में रु 150/ रुपये छापे जबकि भाई श्री [illegible] पाण्डेय से जमाकर्ता सत्य उल्लेखित उक्त रूपये को जमा करने भेजा गया था इसलिए उल्लेखित कि उक्त के जमाकर्ता की जानकारी के बिना पर्याप्त निकासी फार्म तैयार करके निकाल चुके थे।

अतः यह आरोपित है कि उक्त श्री जयहिन्द प्रकाश पाण्डेय ने डा०डा०नि० के नि० 134 के प्राविधानों का उल्लंघन किया तथा सत्यनिष्ठा एवं कर्तव्यनिष्ठा न बनाए रखकर भा० नि० डा० तथा सेवा नियमावली 1964 के नियम 17 के प्राविधानों का उल्लंघन किया।

अनुच्छेद - 3

दिनांक 28.8.84 को गोरखपुर डाकघर बचत खाता सं. 872263 में जमाकर्ता ने 300/ निकालने के लिए निकासी फार्म उक्त को परन्तु श्री जयहिन्द प्रकाश पाण्डेय ने निकासी फार्म [illegible] तथा रूपये ले लिए गई थी [illegible] प्रसाद पाण्डेय से नि०डा० प्रमाणित करके तथा जमाकर्ता के आशंकित होने कारण आवेदन जमाकर्ता के [illegible] से 300/ के स्थान पर 350/ लेकर [illegible] का निकासी फार्म डाकघर को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जिससे स्वीकृति प्राप्त करने पर दिनांक 13.8.84 को श्री [illegible] पाण्डेय डा० नि० प्रमाणित करके 350/ का भुगतान लेकर दिखाया लेकिन जमाकर्ता को 300/ का भुगतान किया

अतः यह आरोपित है कि उक्त श्री जयहिन्द प्रकाश पाण्डेय ने डा० डा० नि० के 134 तथा 133 के नोट 3 में वर्णित प्राविधानों का उल्लंघन किया तथा कर्तव्यनिष्ठा एवं सत्यनिष्ठा न बनाए रखकर भा० नि० डा० सेवा तथा आचरण नियमावली 1964 के नियम 17 के प्राविधानों का उल्लंघन किया।

अनुच्छेद - 4

उक्त श्री जयहिन्द प्रकाश पाण्डेय ने डा०पा० भा० गोरखपुर उपनगर के पद पर कार्य करते हुए दि. 26.8.83 को अपनी [illegible] श्री [illegible] पाण्डेय से जमा बचत खाता खोलने के लिए 650/ प्राप्त किए परन्तु उसमें 60/ ही खाता खोला और जमाकर्ता से प्राप्त रुपये 590/ का भुगतान से [illegible] में नहीं लिया इस प्रकार यह आरोपित है कि उक्त श्री जयहिन्द प्रकाश पाण्डेय ने भारत डा० नि० के नियम 125 के प्राविधानों का उल्लंघन किया तथा कर्तव्यनिष्ठा व सत्यनिष्ठा न बनाए रखकर भा० नि० डा० सेवा तथा आचरण नियमावली 1964 के नियम 17 के प्राविधानों का उल्लंघन किया।

जयहिन्द प्रकाश पाण्डेय

B67

अनुच्छेद-5

दिनांक 13.9.84 को उप मण्डलीय निरीक्षक डाकघर ने शाखा डाकघर का निरीक्षण किया। उनके द्वारा निरीक्षण के लिए मांगे जाने पर नकद शेष के हिसाब से शा० पा० का० के पास 878-73 पैसे होने चाहिए थे परन्तु उक्त श्री जयानन्द प्रकाश ने उप मण्डलीय निरीक्षक के सामने केवल निम्नलिखित रकम प्रस्तुत किया

नकदी	602-72
डाक टिकट	45-45
रसीदी टिकट	9.20
कर्मचारियों की राशि	66-00
कुल योग	723-37

शेष राशि रु 155-36 प्रस्तुत नहीं कर सके। तत्पश्चात उक्त श्री जयानन्द प्रकाश पाण्डेय के पास सरकारी नकदी के रूप में 155-36 पैसे की कमी पायी गयी जिसे उप निरीक्षक ने भुगतान मद में दिखाने का निर्देश दिया।

इस प्रकार यह आरोपित है कि उक्त श्री जयानन्द प्रकाश पाण्डेय ने शा० डा० नि० के नियम 11 के प्रावधानों का उल्लंघन किया तथा कर्तव्यनिष्ठा न बनाए रख कर के० सि० से० आचरण तथा सेवा नियमावली 1964 के नियम 17 के प्रावधानों का उल्लंघन किया।

अनुच्छेद-6

उक्त श्री जयानन्द प्रकाश पाण्डेय ने शा० पा० का० के पद पर कार्य करते हुए दिनांक 13-10-84 को उप निरीक्षक डाकघर की जांच के समय अनुपस्थित रिकार्ड प्रस्तुत किया। जांच के समय निम्नलिखित त्रुटियाँ पायी गयीं।

1) शाखा डाकघर दि० 28-9-84 से खोला नहीं गया था।

2) दिनांक 1.10.84 को लेखा कार्यालय से प्राप्त सामान बी० का जर्नल में अंकित नहीं किया गया।

3) 5-10-84, 8-10-84 तथा 12-10-84 को पत्रादि होते हुए भी 2 का वितरण नहीं किया गया था।

4) 5-9-84, 8-9-84, 20-9-84 तथा 3-10-84 को उक्त श्री जयानन्द प्रकाश पाण्डेय ने अपने डाकघर में आवश्यकता से अधिक नकदी रोके रखा।

इस प्रकार यह आरोपित है कि उक्त श्री जयानन्द प्रकाश पाण्डेय ने शा० डा० नि० के नियम 106, 107, 165, 173, 174, तथा शा० पा० को यह काम नहीं करना चाहिए। विभागीय सं० 11 के प्रावधानों का उल्लंघन किया तथा कर्तव्यनिष्ठा व ईमानदारी न बनाए रख कर के० सि० से० (आचरण) नियमावली 1964 के नियम 17 के प्रावधानों का उल्लंघन किया।

जयानन्द प्रकाश पाण्डेय

B69

(4

उपरोक्त कारणों को आगे हेतु निम्न तारीख निश्चित की जाती रही.

30.5.85 वेलदार अनुपस्थित
18.6.85 पीठासीन अधिकारी अवकाश
22.7.85 वेलदार अनुपस्थित
22.8.85 वेलदार अनुपस्थित
20.9.85 वेलदार अनुपस्थित
28.10.85 [illegible]

आगे मे निम्न अभिलेख Exh. के रूप मे अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये जाय।

(i) क-1 खाता सं. 87/180 से दि. 10-1-81 का 150/का निकासी फार्म
(ii) क-2 खाता सं. ,, से दिनांक 10.2.82 को 50/का निकासी फार्म
(iii) क-3 श्रीमती लीलावती का लिखित बयान दि 24/8
(iv) क-4 श्रीमती लीलावती का लिखित बयान दि 18.2.85
(v) क-5 श्रीमती सुशीला देवी का बयान दि. [illegible]
(vi) क-6 अपराधी खाता सं. 87/180 से 150 की 28/8/84 की
(vii) क-7 खाता पासबुक खाता सं. 87/180
(viii) क-8 खाता सं. 87/2263 से दिनांक 28/8/84 का 390/का निकासी फार्म
(ix) क-9 खाता सं. 87/2263 की मूल पासबुक
(x) क-10 श्री रामसुरेश पाण्डेय का लिखित बयान दि. 24/8
(xi) क-11 श्री रामसुरेश पाण्डेय का लिखित बयान 13/9
(xii) क-12 श्री रामसुरेश पाण्डेय का शिकायतपत्र 24/10
(xiii) क-13 आरवाइब घार [illegible] 1/8 से 13/8/84
(xiv) क-14 [illegible] 1-9.84 से 13-10.84
(xv) क-15 पोस्ट मैन रजिस्टर 18.8.84 से 13.10.84
(xvi) क-16 श्री [illegible] प्रसाद का लिखित बयान दि 13/8/84
(xvii) क-17 श्रीमती मालती देवी का लिखित बयान 24/8

निम्न गवाह अभियोजन पक्ष की तरफ से प्रस्तुत किए जाये।

(i) श्रीमती सुशीला देवी पत्नी [illegible] प्रसाद ग्राम [illegible]
(ii) श्री रामसुरेश पाण्डेय नौरंग [illegible]
(iii) श्री [illegible] तत्कालीन निरीक्षक डाकघर [illegible]
(iv) श्रीमती मालती देवी पत्नी [illegible] नौरंग [illegible]

बचावपक्ष की तरफ से निम्न गवाह प्रस्तुत किए जाये।

(i) श्री [illegible] पाण्डेय पुत्र श्री [illegible] पाण्डेय नौरंग
(ii) श्री [illegible] पुत्र [illegible] श्री [illegible] ग्राम नौरंग
(iii) श्री [illegible] पाण्डेय पुत्र श्री महेश प्रसाद पाण्डेय
(iv) श्री [illegible] पाण्डेय पुत्र उपेन्द्र प्रसाद पाण्डेय

[illegible]

(V)

दिनांक 22.7.85 को निम्न साक्षी बहस गवाहों के बयान हुए।

"श्रीमती सीतापती पत्नी भगवती प्रसाद ग्राम पैलस बोदर नीरपुरखाला ने अपने बयान दिनांक 22.7.85 को अपने साक्ष्य वर्ष 1981 में इलाहाबाद 47/407 इलेक्शन स्वीकार किया है तथा अपनी पासबुक प्राप्त करने के लिए जनवरी 83 में [illegible] बिना रसीद दिए बाला डाकपाल नीरपुरखाला [illegible] जयहिन्द प्रकाश पाण्डेय को देना स्वीकार किया है अपनी पासबुक श्री जयहिन्द प्रकाश से बार बार मांगने पर न देने से अधीक्षक डाकघर को शिकायत पत्र देना स्वीकार किया है शिकायत पत्र की जनवरी 83/84 का [illegible] स्वीकार किया है इसके 4 या पांच दिन के बाद अपनी पासबुक मिलना स्वीकार किया है। श्री जयहिन्द प्रकाश से पाना स्वीकार किया है। पासबुक पाने पर दिनांक 10/83 को 100/ तथा 10/83 को 50/ की निकासी अपने द्वारा करना तथा दिनांक 28/84 को 150/ श्री कालिप्रसाद पाण्डेय के द्वारा जमा कराना स्वीकार किया है प्रदर्श क-1, प्रदर्श क-2 तथा प्रदर्श क-6 को देखने के बाद भी अपने हाथ निकासी करना व जमा कराना अस्वीकार किया है। अपने पूर्व के बयान प्रदर्श क-3 तथा प्रदर्श क-4 को भी सत्य माना है।

नि० भ० के लेखक श्री चन्द्रभूषण पाण्डेय जो श्री जयहिन्द प्रकाश पाण्डेय के पुत्र हैं दिनांक 10/[illegible] 150 की तहरीर करना तथा अपने [illegible] भी देना स्वीकार किया है। गवाह कालिप्रसाद ने पिता श्री मातावदल ने अपने बयान दिनांक 28/[illegible] को अपने लड़कों को गवाही करने के लिए भेजना स्वीकार किया है परन्तु इसका व तारीख याद न होने का बताया है। श्री मातावदल के भाई को सगा भाई श्री जयहिन्द प्रकाश का बताया है। गवाह श्री धनप्रताप पाण्डेय जो प्रदर्श क-2 के निकासी फार्म के दोनों तरफ के नि० भ० के लेखक हैं ने अपने बयान दिनांक 28.8.85 को अपने द्वारा नि० भ० लिखना स्वीकार किया है व [illegible] लिखते समय कोई नहीं था बतलाया है नोटों की [illegible] न लिखने पर भी 10×5 की नोट देना स्वीकार किया है जबकि चन्द्रभूषण पाण्डेय ने 20×2 तथा 10×1 की नोट देना स्वीकार किया है।

प्रदर्श क-1 तथा क-6 पर श्री कालीप्रसाद के के हस्ताक्षर में भी समानता नहीं है। यद्यपि नियम यह कहता है कि उसकी Known k.m.k. की होनी चाहिए परन्तु यहां पर तो निकासी जमाकर्ता [illegible] था ही नहीं पासबुक उसके पास थी भी नहीं। श्री जयहिन्द प्रकाश ने [illegible] अपने लड़के तथा सगे [illegible] का [illegible] उसके भी [illegible] [illegible] भी स्पष्ट होता है कि श्रीमती सीतापती

जयहिन्द प्रकाश पाण्डेय

(VI) B-69 B-70

ने द्वारा दिनांक 10/83 को 100/ तथा 10/83 को 50/ न निकालना स्वाहिश जाता है तथा दिनांक 28/84 को 150/ जमा करना श्रीमती लीलावती के द्वारा सिद्ध नहीं है।

वस्तुस्थिति यह प्रतीत आ रही है कि श्री अपीन्द्र प्रकाश ने 10/83 तथा 10/83 को 100/ तथा 50/ क्रमशः निकालकर पासबुक देखी से पूर्ति दिनांक 28/84 150/ [illegible] के द्वारा जमा कराना दिखाकर पासबुक वापस किया जिससे लीलावती को अपने बैलेंस में सन्देह न हो।

इस प्रकार श्री अपीन्द्र प्रकाश पाण्डेय पर लगाये गये आरोप नं. 1 तथा 2 सिद्ध पाये जाते हैं।

2 गवाह नं. 2 श्री रामसुरेमन पुत्र श्री नरेश पाण्डेय ग्राम [illegible] जिला [illegible] ने अपने बयान दिनांक 28.9.85 में अपने द्वारा बचत खाता संख्या 872263 लेन 1982 में खोलना स्वीकार किया है तथा दिनांक 13-9-84 को निकासी फार्म के द्वारा 300/ धन स्वीकार किया है निकासी करना स्वीकार किया तथा अपना निकासी कराना होना भी स्वीकार किया है श्री रामसुरेमन के अपने बयान में अकेला 300/ निकालने की बात पासबुक श्री [illegible] पाण्डेय के द्वारा ले लेना स्वीकार किया है तथा बार बार मांगने पर [illegible] स्वीकार किया है श्री अपीन्द्र प्रकाश के पुरआफ होने पर अपनी पासबुक [illegible] शाखा डाकपाल के द्वारा पाना तथा बैलेंस 10.65 बताने पर जानना स्वीकार किया है। प्रदर्श क-2 देखने के बाद 300/ की निकासी स्वीकार किया तथा अपने पूर्व के बयान प्रदर्श क-10 तथा क-11 को सिद्ध माना है। पासबुक प्रदर्श क-7 में 390/ की निकासी अंकित है। दिनांक 21.1.86 का बयान प्रदर्श क-12 भी सत्य माना है।

गवाह निकासी फार्म के इसी तरह के श्री रामबिहारी पाण्डेय ने अपने बयान दिनांक 28.9.85 में अपने द्वारा दिनांक 13-9-84 को खाता सं. 872263 से 390/ की निकासी पर गवाही करना स्वीकार किया है। [illegible] के [illegible] में अपने लड़के श्री अपीन्द्र प्रकाश के द्वारा जो बोलते गये लिखना स्वीकार किया है तथा गवाही के बाद लिखना भी इसलिए स्वीकार किया है कि श्री अपीन्द्र प्रकाश ने ही ऐसा लिखने को कहा था। दिनांक 24-1.85 के अपने बयान जो प्रदर्श क-10 है में रसीद पाना रामसुरेमन से [illegible] किया है जिसमें 10-65 लिखा होना भी स्वीकार किया है जो 390/ की निकासी के बाद शेष बचता है

अपीन्द्र प्रकाश पाण्डेय

(VII)

इस प्रकार के डाक्यूमेन्ट के द्वारा यह कहना कि 390/- के बजाय 300/- ही निकला है मात्र इस आधार को लेकर सही माना जा सकता है कि श्री रामदेव अशिक्षित है अथवा श्री जोगेन्द्र प्रकाश के पिता है अतः आरोप नं. 3 आंशिक रूप से सिद्ध होता है।

3 श्रीमती मालती देवी पत्नी श्री बैजनाथ ग्राम मीरपुर ने अपने बयान दिनांक 28.8.85 मे पहले बार 60/- जमा होना इसके बाद 50/- जमा कराना स्वीकार किया है। दिनांक 24/8 का बयान पृष्ठ क्र-17 को गलत लिखना बताया है बल्कि शिकायत का आधार दूसरी पासबुक न बनने को जोगेन्द्र प्रकाश के विरुद्ध लिखना स्वीकार किया है तथा इस प्रश्न कि आपने 24/8 को इन्सपेक्टर को बयान दिया है कि 650/- जोगेन्द्र को नयी पासबुक बनाने को दिया था तथा तीन चार माह पहले पुलिस को दिया है अथवा निकालने के लिए फार्म भी भरा था पैसा निकालने के उपर जांच के समय सही चीज क्यों नहीं बताया के उत्तर उस समय उसकी अक्ल नहीं थी स्वीकार किया है स्पष्ट है कि श्रीमती मालती देवी ने दिनांक 28/8 के बयान मे तथ्य छिपाकर बयान दिया है परन्तु इस सम्बन्ध मे फुल S.B.3 तथा पासबुक प्रस्तुत नहीं की गयी है अतः आरोप नं. 4 आंशिक सिद्ध होता है।

4 श्री जी.पी. सिंह (तत्कालीन निरीक्षक डाकघर) प्रतिवादी के अपने बयान दिनांक 22/8 मे दिनांक 13/4/84 को शाखा डाकघर मीरपुर शाखा का वार्षिक निरीक्षण करना स्वीकार किया है तथा नगदी आदि की जांच करने पर 657-37 (हिसाब से) रुपया 812-71 नगदी टिकट आदि के स्थान पर पाया था तथा 155.34 रुपया कम पाया था जिसे अप्रत्याशित नुकसान के रूप मे चार्ज कराया था। तथा शाखा डाकघर का बी.ओ. जर्नल मे 12-10.84 तथा 13.10.84 को प्राप्त नगद वसूली का इन्द्राज नहीं किया गया था तथा 27/9/84 के बाद की का इन्द्राज अधूरा पाया था। शाखाडाकपाल ने 5/84, 8/84, 10/84 को नगदी तथा अत्यधिक होते हुए भी डिस्ट्रिक्ट निरवशा को नहीं किया गया तथा 5/9/84, 6/9/84, 8/9/84, 9/9/84, 20/9/84 एवं 3/4/84 को देय से अधिक नगदी रखना और श्री जोगेन्द्र प्रकाश का लिखित बयान भी प्राप्त किया, बयान मे स्वीकार किया है जो प्रदर्श क्र-13 क्र-14 तथा क्र-15 है एवं पृष्ठ क्र-16 है। श्री जोगेन्द्र प्रकाश ने अपने इम्तहाना परीक्षण मे नगदी कमी रखना स्वीकार किया है जिसे उसकी पत्नी ने खर्च कर, रखना स्वीकार किया

(जयसिंह)

(VIII)

तथा जो दिखाया वह अपने पिता के पास रहना स्वीकार किया है तथा अभिलेख मे 155.34 निरीक्षक के कथनानुसार दिखाना स्वीकार किया अपना बयान प्रदर्श क-16 भी स्वीकार किया तथा कथना [illegible] भी स्वीकार किया है लेकिन बयान निरीक्षक के बोलने के अनुसार लिखना स्वीकार किया है

5, श्री जयेन्द्र प्रकाश कुछ नकदी अपने पिता के पास कुछ अपनी पत्नी के पास रखते हैं जो निरीक्षक को नकदी दिखाया वह 602.22 थी उसमें रकम को अपने पास रखते हैं मात्र 155.34 ही दूसरे के पास यह बात जयेन्द्र प्रकाश के पास नकदी 155.34 रकम का प्रमाण है क्योंकि अधिक रुपया अपने पास कम रुपया दूसरे के पास रखने का प्रश्न नहीं उठता है जबकि निरीक्षक ने जांच किया उस समय तक नकदी पूरी नहीं की गई नकदी इकट्ठा करने के बाद बाबा प्रकाश पाल ने पूरा किया है यद्यपि बाबा प्रकाश पाल कैश अपनी सुरक्षा के लिए रखते सब रखता है परन्तु निरीक्षण के दौरान पूछे पर उसे प्रस्तुत भी करना चाहिए। पुनः अपने बयान दिनांक 13/84 मे श्री जयेन्द्र प्रकाश ने अपने द्वारा [illegible] स्वीकार किया है जबकि 10 या 12 दिन पहले से नकदी स्वीकार किया है इससे यह कहना कि नकदी निरीक्षक को दिखाया था सही नहीं है यह मनगढ़ंत है क्योंकि नकदी लेने के बाद [illegible] लेने के बाद यदि निरीक्षक द्वारा [illegible] की थी तो श्री जयेन्द्र प्रकाश उपलब्धी को दिखाने मे सक्षम थे परन्तु ऐसा कुछ नहीं किया जो उनकी नकदी को सिद्ध करता है। अतः आरोप क्र. 5 पूर्णतया प्रमाणित पाया जाता है।

6. आरोप नं. 6 स्वतः श्री जयेन्द्र प्रकाश के सामान्य परिवेश एवं बयान से ही सिद्ध है। श्री जयेन्द्र प्रकाश का यह कहना स्वास्थ्य ठीक नहीं था मानने योग्य नहीं है क्योंकि यदि स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो श्री जयेन्द्र प्रकाश को अवकाश लेना चाहिए था। आरोप नं. 6 प्रमाणित है।

Photo
TRUE COPY
(R. K. Tewari [illegible]) 21/8

जांच अधिकारी
जयेन्द्र प्रकाश पाण्डेय

Annexure A-2

भारतीय डाक विभाग
कार्यालय अधीक्षक डाकघर, गोंडा मंडल,
गोंडा-271001.

ज्ञापन सं0- एफ-अनि/71/94-85 :गोंडा: दिनांक 20.1.86.

श्री जय हिन्द प्रकाश पाण्डेय कार्य नियुक्त शा.पो.मा. नीरपुर ख्याला (बैलसर) को इस कार्यालय के सम संख्यक पत्रांक दिनांक 20.4.85 द्वारा यह सूचित किया गया था कि उनके विरुद्ध अ.वि.ए. (सेवा तथा आचरण) नियमावली 1964 के नियम 8 के अन्तर्गत जाँच कार्यवाही प्रस्तावित है उनके विरुद्ध विरचित अवचार एवं कदाचारों के लांछनों का विवरण निम्नलिखित है ।

1. उक्त श्री जयहिन्द के प्रकाश पाण्डेय ने शा.पो.मा. नीरपुरख्याला के पद पर कार्य करते हुए दिनांक 10.1.83 तथा 10.2.83 को बचत बैंक खाता सं0- 871807 से क्रमशः 100/- तथा 50/- को जमाकर्ता की जानकारी के बिना उसके अशिक्षित होने का लाभ उठाते हुए अपने नाबालिग पुत्र श्री चन्द्रभूषण पाण्डेय तथा अपने चचेरे भाई श्री काशी प्रसाद पाण्डेय को एवं एक अन्य स्थानीय व्यक्ति श्री घनश्याम से गवाही कराकर निकासी एवं निकासी फार्म [illegible] स्वयं अपने हाथों से भरा उन्होंने उक्त खाते की जमाकर्ता श्रीमती सीतापती को उक्त दोनों राशि के 150/- रु. का भुगतान नहीं किया जमाकर्ता से अपनी गलती छिपाने के लिए उन्होंने अपने पास से 150/- रु. अपने चचेरे भाई श्री काशी प्रसाद पाण्डेय से जमापर्ची भराकर दिनांक 28.2.84 को उक्त खाता सं0- 871807 में जमा कर दिया ।

अतः यह आरोपित है कि उक्त श्री जय हिन्द प्रकाश पाण्डेय नेशाडा.नि. के नियम 134 तथा 133 [illegible] के नोट 3 में वर्णित प्राविधानों का उल्लंघन किया तथा कर्तव्यनिष्ठा व सत्यनिष्ठा न बनाये रखकर अ.वि.ए. (आचरण एवं सेवा) नियमावली 1964 के नियम 17 के प्राविधानों का उल्लंघन किया ।

2- उक्त श्री जयहिन्द प्रकाश पाण्डेय ने शा.पो.मा. नीरपुर ख्याला के पद पर कार्य करते हुए दिनांक 28.2.84 को बचत बैंक खाता संख्या 871807 में जमाकर्ता से रुपया प्राप्त किये बिना अपने पास से 150/- रुपये अपने चचेरे भाई श्री काशी प्रसाद पाण्डेय से जमापर्ची भराकर जमा किया । उक्त रुपये को उन्होंने अपने पास से इस-लिए जमा किया कि उसे वे जमाकर्ता की जानकारी के बिना फर्जी निकासी फार्म तैयार करके निकाल चुके थे ।

इस प्रकार यह आरोपित है कि उक्त श्री जयहिन्द प्रकाश पाण्डेय ने शा.डा.नि. के नि0-131 के प्राविधानों का उल्लंघन किया तथा सत्यनिष्ठा व ~~[illegible]~~ कर्तव्यनिष्ठा न बनाये रखकर अ.वि.ए. (आचरण तथा सेवा) नियमावली 1964 के नियम 17 के प्राविधानों का उल्लंघन किया ।

3- दिनांक 28.8.84 को नीरपुर ख्याला शा.डाकघर बचत खाता संख्या 872263 के जमाकर्ता ने 300/- रु. निकालने की इच्छा व्यक्त की परन्तु श्री जयहिन्द प्रकाश पाण्डेय ने निकासी फार्म स्वयं अपने हाथों से भरा तथा अपने सगे भाई श्री जनार्दन प्रसाद पाण्डेय से नि.अ. प्रमाणित कराकर तथा गवाही कराकर जमाकर्ता के अशिक्षित होने का लाभ उठाते हुए 300/- रु. के स्थान पर 390/- रु. (तीन सौ नब्बे रुपये) का निकासी फार्म लेखा कार्यालय को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया वहाँ से स्वीकृति वापस आने पर दिनांक 13.9.84 को श्री राम बिहारी पाण्डेय से नि.अ. प्रमाणित कराकर 390/- रु. का भुगतान करना दिखाया लेकिन जमाकर्ता को केवल 300/- रु. का भुगतान किया ।

अतः यह आरोपित है कि उक्त श्री जयहिन्द प्रकाश पाण्डेय ने शा.डा.नि..

जयहिन्द प्रकाश पाण्डेय

के नियम 134 तथा 133 के नोट 3 में वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन किया तथा कर्तव्यनिष्ठा एवं सत्यनिष्ठा न बनाये रखकर अ.वि.ए. [सेवा तथा आचरण] नियमावली 1964 के नियम 17 के प्रावधानों का उल्लंघन किया।

4- उक्त श्री जयहिन्द प्रकाश पाण्डेय ने शा.पो.मा. नीरपुर ख्याला के पद पर कार्य करते हुए दिनांक 26.8.83 को श्रीमती मालती देवी पत्नी श्री बैजनाथ पाण्डेय से नया बचत खाता खोलने के लिए 650/- रु.प्राप्त किये परन्तु उन्होंने केवल 60/- से ही खाता खोला और जमाकर्ता से प्राप्त शेष 590/-रु. को डाकघर के हिसाब में नहीं लिया।

इस प्रकार यह आरोपित है कि उक्त श्री जयहिन्द प्रकाश पाण्डेय ने शाखा डा.नि. के नियम 125 के प्राविधानों का उल्लंघन किया तथा कर्तव्यनिष्ठा व सत्यनिष्ठा न बनाये रखकर अ.वि.ए. [सेवा तथा आचरण] नियमावली 1964 के नियम 17 के प्राविधानों का उल्लंघन किया।

5- दिनांक 13.10.84 को डाक निरीक्षक गोंडा दक्षिणी ने नीरपुर ख्याला डाकघर का निरीक्षण किया। उनके द्वारा निरीक्षण के लिए माँगे जाने पर डाकघर लेखा के हिसाब से शा.पो.मा. के पास कुल 878.71 पैसे होने चाहिए थे परन्तु उक्त श्री जयहिन्द प्रकाश ने डाक निरीक्षक के सामने केवल निम्नलिखित रकम प्रस्तुत की-

नकदी	602-72
डाक टिकट	45-45
रसीदी टिकट	9.20
अदा किये गये बिलों की रसीद	66.00
कुल योग=	723.37

शेष राशि रु. 155-34 प्रस्तुत नहीं कर सके।

इस प्रकार उक्त श्री जय हिन्द प्रकाश पाण्डेय के द्वारा सरकारी नकदी बकाये में 155-34 पैसे की कमी पायी गये जिसे डाक निरीक्षक ने अवर्गीकृत भुगतान मद में दिखाने का निर्देश दिया।

इस प्रकार यह आरोपित है कि उक्त श्री जयहिन्द प्रकाश पाण्डेय ने शा.डा.नि. के नियम 11 के प्राविधानों का उल्लंघन किया तथा कर्तव्यनिष्ठा न बनाये रखकर अ.वि.ए.[आचरण तथा सेवा] नियमावली 1964 के नियम 17 के प्राविधानों का उल्लंघन किया।

6- उक्त श्री जयहिन्द प्रकाश पाण्डेय ने शा.पो.मा. नीरपुर ख्याला के पद पर कार्य करते हुए दिनांक 13.10.84 को डाक निरीक्षक गोंडा दक्षिणी की जाँच के समय अधूरा रिकार्ड प्रस्तुत किया। जाँच के समय निम्नलिखित कमियाँ पायी गयी:-

1- शा.खा डाकघर लेखा दिनांक 29.9.84 से भरा नहीं गया था।
2- दिनांक 12.10.84 को लेखा कार्यालय से प्राप्त सामान बी.ओ. जर्नल में अंकित नहीं किये गये थे।
3- 5.10.84, 8.10.84 तथा 12.10.84 को पर्याप्त नकदी होते हुए भी अ.वि.वि.ए. को वितरण के लिए धनादेश नहीं दिया गया था.
4- 5.9.84, 8.9.84, 29.9.84 तथा 3.10.84 को उक्त श्री जय हिन्द प्रकाश पाण्डेय ने अपने डाकघर में आवश्यकता से अधिक नकदी रोके रखा.

इस प्रकार यह आरोपित है कि उक्त श्री जय हिन्द प्रकाश पाण्डेय ने शा.डा.नि. के नियम 106, 107, 169, 173, 174 तथा "शा.पो.मा. को

जयहिन्दप्रकाशपाण्डेय

यह काम नहीं करना चाहिए "शीर्षक के अन्तर्गत [विभागीय] निर्धारित निर्देश सं0-11 के प्राविधानों का उल्लंघन किया तथा कर्तव्यनिष्ठा व सत्यनिष्ठा न बनाये रखकर अ०वि०ए० [सेवा तथा आचरण] नियमावली 1964 के नियम 17 के प्राविधानों का उल्लंघन किया ।

उक्त आरोप पत्र उक्त श्री जयहिन्द प्रकाश पाण्डेय को सिविल लाइन उप डाकघर पंजीकृत पत्र सं0- 52 दिनांक 22·4·85 द्वारा भेजा गया था जो उन्हें दिनांक 24·4·85 को प्राप्त हुआ जिसके द्वारा कर्मचारी को उक्त आरोप पत्र के विरुद्ध अपना लिखित अभ्यावेदन/ प्रतिवेदन भेजने हेतु 10 दिन का समय दिया गया था । कर्मचारी ने अपना लिखित प्रतिवेदन इस कार्यालय में दिनांक 30·4·85 को स्वयं आकर प्रस्तुत किया । अपने प्रतिवेदन में कर्मचारी ने लगाये गये सम्पूर्ण आरोपों को अस्वीकार किया था । अतः मामले की जाँच के लिए श्री कैलाश उप मण्डलीय निरीक्षक [पूर्वी] उप मण्डल को इस कार्यालय के सम संख्यक पत्रांक दिनांक 22·5·85 द्वारा जाँच अधिकारी तथा श्री के·बी· सिंह उप मण्डलीय निरीक्षक [दक्षिणी] उप मण्डल गोंडा को प्रस्तोता अधिकारी नियुक्त किया गया था ।जाँच अधिकारी ने उक्त मामले में जाँच कार्यवाही हेतु विभिन्न तिथियाँ निश्चित करके जाँच प्रक्रिया समाप्त करके अपनी जाँच रिपोर्ट सम्पूर्ण सम्बन्धित अभिलेखों तथा सम्बन्धित कर्मचारियों के बयान के साथ दिनांक 17·12·85 को भेजी जो इस कार्यालय में दिनांक 18·12·85 को प्राप्त हुई ।

मैंने उक्त श्री जय हिन्द प्रकाश पाण्डेय कार्य निमुक्त शा·पो·मा·नीरपुर ख्याला के विरुद्ध लगाये गये आरोपों ,जाँच अधिकारी की जाँच आख्या तथा सम्बन्धित अभिलेखों का सूक्ष्म परीक्षण किया । मैं जाँच अधिकारी की आख्या से पूर्णतः सहमत हूँ । कर्मचारी के विरुद्ध लगाये गये आरोप सं0- 1 एवं 2 आरोप सं0- 5 तथा 6 पूर्णतः सिद्ध होते है । कर्मचारी के विरुद्ध लगाये गये आरोप गम्भीर है । ~~आरोपों से सिद्ध होता है कि उक्त कर्मचारी की निष्ठा [विश्वसनीयता]~~ संदिग्ध है तथा सरकारी कार्य में गम्भीर अनियमितताएं बरती गयी है । ऐसे निष्ठाहीन एवं लापरवाह कर्मचारी को विभाग में कार्य करने का कोई औचित्य नहीं है । अतः मैं श्री जय हिन्द प्रकाश पाण्डेय[कार्य निमुक्त] शाखा पोस्टमास्टर नीरपुर ख्याला को सेवा से हटाए जाने का आदेश देता हूँ ।

[हस्ताक्षर]

[मो·यामीन]
अधीक्षक डाकघर
गोंडा मंडल,
गोंडा-271001·

प्रतिलिपि-

Regd AD 1- श्री जय हिन्द प्रकाश पाण्डेय,कार्य निमुक्त·शा·पो·मा· नीरपुर ख्याला [बलरामपुर] गोंडा को जाँच अधिकारी की जाँच रिपोर्ट की एक प्रति के साथ ।

2- पोस्टमास्टर गोंडा·

3- स्थापना सहायक ·

4- कार्य निमुक्त विवरणी·

5- उप मण्डलीय निरीक्षक दक्षिणी गोंडा·

6-7· अतिरिक्त·

Photo TRUE COPY
[हस्ताक्षर]
(R. K. Tewari Advo.)

जयहिन्द प्रकाश पाण्डेय

-20-

Annexure A-3

सेवा में,

श्रीमान डाकघर अधीक्षक महोदय, गोण्डा मण्डल, गोण्डा
द्वारा उचित माध्यम ।

श्रीमान निदेशक डाक सेवायें,

लखनऊ क्षेत्र लखनऊ 226001

द्वारा उचित माध्यम

विषय :- श्रीमान अधीक्षक डाक घर गोंडा के ज्ञापन सं० एल - अनि/ 71/84- 85 दिनांक 20.1.86 के विरुद्ध प्रतिवेदन ।

---o---o---

आदरणीय महोदया,

प्रार्थी शा० पे०० मा० नीरपुर बयाला (डेलटर) गोण्डा के पद पर कार्यरत था । प्रार्थी के विरुद्ध कार्यालय अधीक्षक गोण्डा के सम संख्यक पत्रांक दिना० 20.4.85 द्वारा आ० सि० ए० (सेवा तथा आचरण) नियमावली 1964 के नियम 8 के अन्तर्गत जांच कार्यवाही की गयी थी । प्रार्थी के जांच कार्यवाही के दौरान साक्ष्य प्रस्तुत किया था । प्रार्थी न्यायोचित साक्ष्य को ठुकरा दिया गया है । इसी तथ्य को हृदयंगम करके प्रार्थी ने श्रीमान जी की सेवा में न्याय हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत कर न्याय की याचना कर रहा है ।

प्रार्थी के विरुद्ध विरचित आरोप की प्रतिलिपि संलग्न है । इन आरोपों की जांच कार्यवाही में प्रार्थी ने अपनी सफाई पेश किया था प्रार्थी ने प्रस्तोता अधिकारी द्वारा सारांश (Brief) प्राप्त किया था इस सारांश के प्रत्युत्तर में प्रार्थी अपना बयान सारांश प्रस्तुत किया था बयान सारांश की प्रतिलिपि संलग्न है । श्रीमान जांच अधिकारी ने बयान सारांश में वर्णित तथ्यों को अनदेखी करते हुए आरोप पत्र में निर्दिष्ट आरोपों को मूल रूप में अंकित करते हुए अपनी जांच रिपोर्ट श्रीमान जी

कृ.प.उ.

PL-A-N 3172 5/2/86

PLADN 3173 5/2/86

के अनुशासनिक (Desciplinery officer) अधिकारी को दिनांक - 17.12.85 को प्रेषित किया था जिसकी सत्य प्रतिलिपि संलग्न है। श्रीमान अनुशासनिक अधिकारी ने भी प्रार्थी के बयान सारांश, जाँच में अंकित बयान व तथ्यों का सही आंकलन न करके घोर अन्याय किया है। वस्तुस्थिति श्रीमान जी की सेवा में सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए निम्न रूप में स्पष्ट किया जाता है। प्रार्थी को पूर्ण विश्वास है कि उसके साथ न्याय अवश्य किया जायेगा।

आरोप सं0 (1) सन्दर्भ में यह कहना है कि श्रीमती सीता पती पत्नी श्री भगवती प्रसाद ग्राम भैंसहा पो0 तीरपुर उधाला द्वारा ही दिनांक 10.1.83 तथा दि0 10.2.83 को व0 बै0 खाता सं0 871807 से निकाले गये उक्त व0/बै0 में से निकासी हेतु भुगतान पत्रों पर स्वयं श्रीमती सीतापती नि0 अं0 लगाई थी। उक्त जमाकर्ता के नि0अं0 यदि पुष्टि किया जाय तो स्पष्ट हो जायेगा। श्रीमती सीता पती यद्यपि अशिक्षित हैं तथापि वे भुगतान सम्बन्धी प्रकरण से अनभिज्ञ नहीं है जहाँ तक उनके भाई कालीप्रसाद पाण्डेय से जमा पर्ची भराने की बात कही गई है और रु0 150/- जमा करने संबंधी विचार व्यक्त किया गया है यह कार्य कोई भी जमाकर्ता जो अशिक्षित हो कर सकता है। जमा कर्ता भी इच्छा के अनुकूल जमाराशि की प्रविष्टि जमा पर्ची में किसी व्यक्ति द्वारा कर देना अनुचित नहीं है।

अतः प्रार्थी ने डा0ब0 नि0 के नियम 134 तथा 133 के नोट 3 में वर्णित प्राविधानों का उल्लंघन नहीं किया है।

आरोप सं0 (2) के संबंध में यह कथन है कि दि0 28.8.84 को व0 बै0 खाता सं0 872263 के जमाकर्ता ने रु0 390/- (तीन सौ नब्बे) निकालने की इच्छा व्यक्त की थी और तदनुसार जमाकर्ता ने आवेदन पत्र में 390/- की

कृ. पृ. उ.

B78

मरे थे । यहाँ §3§ यह भी विचार करने के योग्य है कि जहाँ जमाकर्ता अशिक्षित है उसको गवाही ली जाती है और उसी परिपेक्ष में गवाही [illegible] ली गयी थी जो नियमानुकूल है । सगेभाई से ही [illegible] गवाही कराई गई यह जमाकर्ता के लिए विचारणीय है और न कि प्रार्थी के। प्रार्थी को तो मात्र ऐसे गवाह ही मान्य थे जिसे प्रार्थी या डाकघर का कोई सदस्य जानता था । ऐसी स्थिति में सगेभाई का प्रश्न ही नहीं है । इस टिप्पणी से जांच अधिकारी का एक तरफा देष [illegible] परिलक्षित होता है । यथा, प्रार्थी जमाकर्ता द्वारा प्रार्थी के ही सगे भाई को गवाह के रूप में प्रस्तुत करना नकार सकता था । ऐसा विभागीय नियम में कहीं भी विवरण नहीं है। अतः प्रार्थी ने कोई प्रतिवाद नहीं किया जमाकर्ता को वस्तुतः 370/- दिए गये थे । उसी के कथन को सत्य मान लेना जांच अधिकारी का [illegible]अदूरदर्शी विचार है ।

अतः प्रार्थी ने डा०डा० नि० के नियम 134 तथा 133 के नोट 3 में वर्णित प्राविधानों का उलंघन नहीं किया है ।

आरोप क्रमांक §3§ के संबन्ध मे श्रीमती मालती देवी ने स्वतः स्वीकार किया है कि उन्होंने अक्ल न होने तथा क्रोध में शिकायत प्रस्तुत किया था । उन्होने पुनः जोर देकर जांच के दौरान कहा था कि उनकी इस प्रकार की शिकायत निरस्त किया जाय ।

अतः डा०डा० नि० के नियम 125 के प्राविधानों का उल्लंघन कतई नहीं हुआ है ।

आरोप क्रमांक §4§ के संबन्ध में प्रार्थी ने तथ्यता को कभी नहीं छिपाया है कि दि0 13.10.84 को डाक निरीक्षक गोण्डा दक्षिणी की जांच में प्रार्थीने शेष राशि रु0 155-34 पै0 उनके निर्देशानुसार ही अवर्गी कृत में जमा दिखाया था । उस धनराशि को प्रार्थी ने निजी कार्य में न तो उपयोग किया था और

कृ० प० उ०

जयहिन्दकुमारशुक्ल

B79

§4§

न ही कहीं अन्यत्र रखा था यह वस्तुतः सुरक्षा की दृष्टि से रखा गया था और यही कारण था कि निरीक्षक महोदय के कहने के अनुसार उस धनराशि को शीघ्र प्रस्तुत किया गया था ।

अतः यह आरोप कि सरकारी नकदी बकाये में 155-34पैसे की कमी पायी गयी थी सत्य नहीं है । इस प्रकार प्रार्थी ने शा0S0T0 नि0 के नियम 11 के प्रविधानों का उल्लंघन नहीं किया है।

दिन0 13 . 10. 84 को ST0 निरीक्षक गोण्डा दक्षिणी की जांच के समय पाई गई कमियों के लिए प्रार्थी ने निरीक्षक महोदय का ध्यान अपनी और आकर्षित किया था निरीक्षक महोदय ने स्वास्थ्य को देखते हुए कार्य को धीरे - धीरे पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया था ।

यह कथन कि चिकित्सा प्रमाण पत्र नहीं दिया गया था यह सत्य है । बीमारी इतनी भयंकर नहीं थी कि अवकाश पर रहकर ही चिकित्सा करानी अनिवार्य हो अत्यधिक कार्य करने की स्थिति में ही प्रार्थी नहीं था । यही कारण था कि निरीक्षक महोदय के निर्देशानुसार प्रार्थी ने कार्य पर उपस्थिति रहते हुए संचालन किया था यह वस्तुतः लापरवाही नहीं कही जा सकती है ।

श्रीमान जी अनुशासनिक अधिकारी ने साक्ष्यों, परिस्थितियों एवं बयानों का सही ढ़ग से अध्ययन न करके प्रार्थी को जो ईमानदार अधिकारी रहा है को सेवा से हटा दिया ।

प्रार्थना

=======

उपरोक्त परिपेक्ष्य में प्रार्थी श्रीमान जी से विनम्र प्रार्थना करता है कि यह एक गरीब व असहाय व्यक्ति है उसके प्रति सहानुभूति प्रकट की जाय । ताकि न्याय के प्रति आश्रित प्रार्थी के साथ अन्याय न हो

कृ0प0उ0

जयहिन्द प्रकाश पाण्डेय

B.O.

(5)

उठ सके यह कार्य आप जैसे ईमानदार व सक्षम अधिकारी से ही सम्भव है ।

अतः प्रार्थी श्रीमान जी से पुनः अनुरोध करता है कि उक्त कार्य -भार ग्रहण करने हेतु श्रीमान अधीक्षक डाकघर गोण्डा को निर्देशित करें । एवं उनके आदेश ज्ञापन सं0 एल अनि/71/84-85 दिनांक 20.1.86 को निरस्त करने की कृपा करें।xxxxx

प्रार्थी इस दया सहानुभूति एवं न्याय के लिए जीवन में सदैव ऋणी रहेगा ।

प्रार्थी

जयहिन्द प्रकाश पाण्डेय

जयहिन्द प्रकाश पाण्डेय

ग्रा0 पो0 मा0 नीरपुर

(थाना (बेलसर)

गोण्डा(सेवा मुक्त)

दिनांक 4.2.86

दिनांक 4-2-86

संलग्नक (4)

Photo
TRUE COPY
R. K. Tewari
(R. K. Tewari Advo.) 2/x

जयहिन्द प्रकाश पाण्डेय

-25-

Annexure A-4

भारतीय डाक विभाग

कार्यालय निदेशक डाक सेवायें, लखनऊ क्षेत्र लखनऊ

ज्ञापन संख्या निडाल स्टाफ/ए-3/86/3

दिनांक :लखनऊ: दिसम्बर 14, 1986

प्रस्तुत मामला श्री जय हिन्द प्रकाश पाण्डेय भूतपूर्व शाखा डाक पाल नीरपुर खयाला [गोण्डा] की अपील दिनांक 4-2-86 से संबंधित है। अपील कर्ता को डाक अधीक्षक गोण्डा के ज्ञापन सं0 एल अनि0/61/84-85 दिनांक 20-1-86 से शाखा डाक पाल नीरपुर खयाला के पद से हटाए जाने का आदेश पारित किया गया था। इसी आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपील दायर की गयी है।

2- अपीलकर्ता के विरुद्ध लगाए गए आरोपों का सारांश निम्न लिखित है।

[क] अपीलकर्ता नें बचत बैंक खाता संख्या 871807 से दिनांक 10-1-83 तथा 10-2-83 को क्रमश: 100/- तथा 50/- रूपये जमाकर्ता की जानकारी के बिना निकाल लिया और 28-2-84 को उन्होंनें 150/- एक सौ पचास रूपया अपनें पास से जमा कर दिया।

[ख] बचत बैंक खाता संख्या 872263 के जमाकर्ता नें दिनांक 28-8-84 को 300/- तीन सौ रूपये निकालनें की इच्छा व्यक्त की। अपीलकर्ता नें उक्त खाते से दिनांक 13-9-84 को 390/- रु0 की निकासी किया किन्तु हिसाबदार को केवल 300/- तीन सौ रूपये ही भुगतान किए।

[ग] अपीलकर्ता नें दिनांक 26-8-83 को श्रीमती मालती देवी से 650/- छ:सौ पचास रूपये एक नया खाता खोलनें के लिए प्राप्त किए लेकिन केवल 60/- रूपये जमा करके ही खाता खोला।

[घ] दिनांक 13-10-84 को डाक निरीक्षक गोण्डा [दक्षिणी के अचानक निरीक्षण करनें पर सरकारी हिसाब में ~~134-55~~ 155.34 रु0 एक सौ ~~चौंतिस~~ पचपन रूपये ~~पचपन~~ चौंतिस पैसे कम पाए गए।

[ङ] डाक निरीक्षक नें और भी बहुत सी अनियमताएं पाई जिन-का वर्णन आरोप संख्या छ: में किया गया है।

उक्त आरोप अपीलकर्ता को डाक अधीक्षक गोण्डा के ज्ञापन सं0 एल /अनि/61/84-85 दिनांक 20-4-85 के साथ भेजे गए जो उन्हें 24-4-85 को प्राप्त हुए। अपीलकर्ता नें अपनें प्रतिवेदन दिनांक 30-4-85 द्वारा इन्हें अस्वीकार किया। परिणामस्वरूप डाक अधीक्षक गोण्डा नें अपनें ज्ञापन सम सं0 दिनांक 20-5-85 द्वारा श्री कैलाश निरीक्षक गोण्डा पूर्व को जाँच अधिकारी नियुक्त किया। जांच अधिकारी नें जांच के पश्चात् अपनी आख्या दिनांक 17-12-85 को प्रस्तुत की। ~~इस~~ जांच आख्या के अनुसार आरोप संख्या 1, 2, 5 तथा 6 अपीलकर्ता के विरुद्ध पूर्ण रूप से सिद्ध पाए गए। अतएव डाक अधीक्षक गोण्डा नें अपनें ज्ञापन संख्या सम दिनांक 20-1-86 के द्वारा अपीलकर्ता को सेवा से हटाए जाने का आदेश पारित किया।

3- मैनें आरोप पत्र, जाँच आख्या तथा दण्डादेश एवं संबंधित अभिलेखों का भलिभांति अध्ययन किया और निम्नलिखित निष्कर्ष पर पुहुंचा:

[क] अपीलकर्ता नें अपनी अपील में मुख्य रूप से यह मुद्दा

जयहिन्द प्रकाश पाण्डेय

उठाया है कि जांच अधिकारी नें जांच आख्या प्रस्तुत करनें में निष्पक्ष दृष्टिकोण नहीं अपनाया है। उनके अनुसार बचत बैंक खाता सं0 871807 में दोनों निकासी तथा 150/- एक सौ पचास रूपये की बाद में जमा खातेदार नें ही किया है। इसकी पुष्टि में उन्होंनें कोई प्रमाण नहीं दिया है। इसके विपरीत खातेदार नें जांच अधिकारी के समक्ष अपनें दिए गए बयान दिनांक 22-7-85 में स्पष्ट रूप से कहा है कि न तो उसनें उक्त दोनों निकासियाँ ही की है और न तो उसनें बाद में 150/- एक सौ पचास रूपया जमा ही किया है। जांच अधिकारी के सम्मुख दिए गए बयान पर विश्वास न करनें की कोई समुचित कारण अपील में नहीं दर्शाया गया है। इसी प्रकार बचत बैंक खाता संख्या 872263 के खातेदार नें भी केवल 300/- तीन सौ रूपया निकालना स्वीकार किया है। अतएव ये दोनों आरोप अपीलकर्ता के विरूद्ध सिद्ध होते हैं।

(ख) जहां तक श्रीमती मालती देवी से सम्बन्धित मामले का संबंध है मालती देवी की स्वीकारोक्ति के उपरान्त इस पर कोई विवाद नहीं है। न ही इसको दृष्टिगत रखकर दण्ड दिया गया है।

(ग) निरीक्षक डाकघर के द्वारा रु0 155/34 एक सौ पचपन रु0 चौंतिस पैसे की कमी दिनांक 13-10-84 को पाया जाना तथा अन्य अनियमिततायें डाकघर के अभिलेखों से ही सिद्ध है। अतएव इनपर भी कोई विवाद नहीं है। इन्हें अन्यथा सिद्ध करने के लिए अपील में कोई प्रभावकारी दलील नहीं दी गयी है जिसपर विचार करना अनिवार्य हो।

4- उपरोक्त विवेचन से कोई ऐसा तथ्य प्रकाश में नहीं आया जो मुझे अनुशासनिक अधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय से भिन्न निर्णय लेनें के लिए प्रेरित करे। अतएव मैं डाक अधीक्षक गोण्डा द्वारा दिये गये आदेश में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी का औचित्य और अपील स्वीकार करनें का कोई कारण नहीं पा सका।

5- मैं, भानु प्रताप सिंह, निदेशक डाक सेवायें लखनऊ, एतद्द्वारा श्री जय हिन्द प्रकाश पाण्डे भूतपूर्व शाखा डाक पाल नीरपुर हयाला (गोण्डा) की दिनांक 4-2-86 की अपील अस्वीकार करता हूँ तथा अधीक्षक डाक गोण्डा के दिनांक 20-1-86 के दण्डादेश की पुष्टि करता हूँ।

(भानु प्रताप सिंह)
निदेशक डाक सेवायें, लखनऊ क्षेत्र,
लखनऊ-226007

TRUE COPY
(R. K. Tewari Advo

डाक विभाग

कार्यालय पोस्टमास्टर जनरल, उ०प्र० परिमण्डल, लखनऊ-226001।

ज्ञापन संख्या:: वि/एम-3/9/87/4, लखनऊ दिनांक 30 मई, 1988।

यह अधीक्षक डाकघर, गोण्डा के ज्ञापन संख्या एस.एन./161/84-85 दिनांक 19-10-84 द्वारा सेवा से निष्कासन के दिए गए दण्ड जिसको निदेशक, डाक सेवा, लखनऊ ने ज्ञापन संख्या आर.डी.एल./स्टाफ/ए-3/86/3 दिनांक 14-12-86 के द्वारा अपील निरस्त करके बहाल रखा के विरुद्ध श्री जयहिन्द प्रकाश पाण्डे, भू.पू. अ.वि. शाखा डाकपाल नीरपुर बयाला, डेलसर गोण्डा का पटीशन है।

श्री जयहिन्द प्रकाश पाण्डे को जब वह नीरपुर बयाला डाकघर में अ.वि. शाखा डाकपाल के पद पर कार्य कर रहे थे, रू0 155.34 के अस्थाई गबन का दोषी पाया गया। यह रकम दिनांक 13-10-84 को डाक निरीक्षक गोण्डा साउथ द्वारा डाकघर की नकदी की गिनती करने पर कम पाई गयी। इसे अनाधिकृत भुगतान में दिखाया गया और बाद को श्री पाण्डे ने इसे जमा किया। श्री पाण्डे [पटीशनर] का तर्क कि यह रकम उन्होंने घर पर रखी थी विश्वास करने योग्य नहीं है। पटीशनर जब रू0 600/- डाकघर में रख सकता था तो रू0 155.34 घर पर रखने का कोई कारण नहीं। डाक निरीक्षक के निरीक्षण करते वक्त इस रकम को प्रस्तुत करने में भी पटीशनर असफल रहा है। इसके अलावा जब पटीशनर पुट आफ ड्यूटी किया गया एवं उसके पिछले कार्य का सत्यापन किया गया तब उसके खिलाफ तमाम शिकायतें भी प्राप्त हुई। इससे पता चलता है कि कुल मिलाकर पटीशनर का कार्य सन्तोष जनक नहीं था। उसके द्वारा किया गया अस्थाई गबन साबित हो गया है।

मैंने पटीशन एवं संबंधित कागजात ध्यान से देखे है। त्रुटियाँ गम्भीर है और पटीशनर की ईमानदारी पर धब्बा साया डालती है जिसे माफ नहीं किया जा सकता। दिया गया दण्ड ठीक है, पटीशन निरस्त किया जाता है।

[एस.पी. राय]
पोस्टमास्टर जनरल, उ०प्र०।

17/6/88 को प्राप्त किया।
जयहिन्द प्रकाश पाण्डे

TRUE COPY
(R. ... Advo.)

B84

IN THE CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL ALLAHABAD.

CIVIL MISC. APPLICATION NO.__________/Of 1989

On behalf of the Respondents.

IN

REGISTRATION O.A. NO. 1219 of 1988/

Jai Hind Prakash Pandey ..... Applicant.

Versus

Union of India & others ..... Respondents.

To

The Hon'ble the Vice-Chairman and his other companion Members of the Hon'ble Tribunal

The humble application on behalf of the respondent Most Respectfully Showeth as under:-

1. That the full facts and circumstances have been set out in the accompanying counter-affidavit.

2. That for the reasons disclosed in the accompanying

B05

counter-affidavit, it is expedient in the interest of justice that the petition/Original Application mentioned above may kindly be dismissed with costs.

P R A Y E R

It is, therefore, most respectfully prayed that this Hon'ble Tribunal may kindly be pleased admit this application alongwith the accompanying counter-affidavit filed on behalf of the respondents and dismiss the petition with costs.

(K. C. SINHA)
ADDITIONAL STANDING COUNSEL
COUNSEL FOR THE RESPONDENTS.

Dt/ 20.3.85 /

B 86

IN THE CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL ALLAHABAD.

COUNTER AFFIDAVIT

IN

REGISTRATION O.A.NO.1219 of 1988/

Jai Hind Prakash Pandey ...... Applicant

Versus

Union of India & others .... Respondents.

Affidavit of R. S. Singh aged about 46 years son of Shri Raj Bahadur Singh posted as Supdt of Post offices Gonda

(Deponent)

I, the deponent abovenamed do hereby solemnly affirm and state on oath as under:-

1. That the deponent is posted as Supdt of Pos Gonda and as such is fully acquainted with the facts of the case deposed to below.

R S Singh

2. That before giving a parawise reply, the

1307

following facts are being asserted in order to facilitate this Hon'ble Tribunal in administering justice.

3. That the applicant was working as Extra Departmental Branch Post Master,Neerpur Khyala. At the time of surprise inspection a sum of Rs. 156.34 was found short in the government cash on 13.10.1984 and the said amount was shown undet the head unclassified amount and on making it good by the the appli cant it was shown credited under the head U.C.R. Not only this, certain other irregularities came to the light in respect of non delivery of Money Orders to Extra Departmental Delivery Agents for its payment inspite of availability of sufficient cash, retention of excess cash against the liabilities were also found and as such on 22.10.1984, order for putting him of duty was passed.

4. That thereafter, certain other irregularities were also came to the light against the applicant that he has misappropriate the government money by making fraudulent withdrawal from Saving Bank Accounts.Ultimately the petitioner was served with a charge sheet on 20.4.1985 under the provisions of rule 8 of the

R.S. Singh

383

EDAs(Conduct & Service) Rules,1964. A photo stat copy of the Charge sheet is being filed herewith and marked as Annexure-CA-I to this affidavit.

5. That thereafter, after the receipt of the reply of the petitioner to the said charge sheet, a regular enquiry under the rules were conducted and the petitioner participated in the said enquiry actively and the Enquiry Officer submitted his report holding that the charges which were levelled against the petitioner were found proved and as such on 20.1.1986, punishment order was passed for removal from service. The said order was followed by an appeal which was also rejected on 14.12.1986. A petition was also submitted to the PMG, U.P.Circle,Lucknow which was also rejected on 30.5.1988.

6. That the contents of para-1,2,3,4 and 5 of the petition are the matters of record,hence need no comments.

7. That the contents of para.6(i)(ii) of the petition are the matters of record,hence need no comments except that enquiry against the petitioner fully established the charges levelled against him and found the charges marked as B and C partially proved and and charges marked as A.D. and E were fully established. It

R S Singh

is absolutely wrongto allege that the Supdt. of Post Offices,Gonda while agreeing with the findings of the enquiry Officer in the punishment order dropped the charges marked H and C in the para under reply.

8. That the contents of para-6(iii) of the petition are not correct as stated,hence denied. It is further submitted that PMG,U,P.Circle,Lucknow has never dropped the charges relating to fraudulent withdrawals of Rs. 100/- on 10.1.1983 and Rs. 50/- on 10.2.83 from the Saving Bank Account no. 871807 standing in the name of illiterate lady Smt. Sitapati W/o Bhagwati Prasad while passing the order dated 30.5.1988. A perusal of the aforesaid order dated 30.5.1988 would itself reveal the facts correctly.

9. That the contents of para-6(iv) of the petition are not correct as stated,hence denied. It is further submitted that there were other charges against the petitioner except the charge of shortage of government cash. As stated above, charges marked as A.D.E stood fully proved and charges B and C were partly proved against the petitioner. It is absolutely

B90

wrong to allege that the petitioner requested certain time as referred in para under reply to bring the short amount from his house, where he kept that amount as safe measure. In fact, in the written statement which has been filed by the petitioner on 13.10.84, he has clearly mentioned that the said shortage of the amount was accepted to him and was expended for his treatment purposes and on 24.10.85 during personal examination by the Enquiry Officer, he had stated that the short found was kept with her wife and rest amount Rs. ~~x135x84xwas~~ 602.72 was kept with his father which was shown to Inspector of Post Offices. A photo stat copy of the writt en statement dated 13.10.84 of the petitioner is being filed herewith and marked as Annexure-CA-II to this affidavit. In view of the aforesaid contradictory stand of the petitioner, the contention that he requested for sometime to make good the short amount, is absolutely an after thought plea and it has got no value in the eye of law. The petitioner was given sufficient time for the purposes of making the said amount good, But it could not yield the fruitful result.

10. That in reply to the contents of para-7 of the

R S Singh

B91

petition, it is submitted that in view of the facts and circumstances mentioned in foregoing paragraphs, it is established that the petitioner is not entitled to any of the reliefs as referred in para under reply.

11. That the contents of para-8 of the petition need no comments.

12. That the contents of para-9 of the petition are the matters of record, hence need no comments.

13. That the contents of para-10 are not within the knowledge of answering respondents, hence no positive reply is being ~~fm~~ offered.

14. That the contents of para-11, 12 and 13 of the petition are matters of record, hence need no comments. The petition is devoid of merits, hence liable to be dismissed with costs.

I, the deponent abovenamed do hereby verify that the contents of para- 1, 2 and 3 of this affidavit are true to my personal knowledge; those of paras 4 to 14 are based on record and those of

R. S. Singh

B92

paras__________are based on legal advice to which I believe to be true; that no part of it is false and nothing material has been concealed.So help me God.

Deponent

I, D.S.Chaubey,Clerk to Shri K.C.Sinha, Advocate,High Court,Allahabad do hereby declares that the person making this affidavit and alleging himself to be the same is known to me from perusal of papers.

Clerk

Solemnly affirmed before me on this____th day of February,1989 at_____am/pm by the deponent who has been identified by the aforesaid Clerk.

I have satisfied myself by examining the deponent that he has understood the contents of this affidavit which have been read over and explained to him by me.

OATH COMMISSIONER.

भारतीय डाक-तार विभाग

कार्यालय- अधीक्षक डाकघर गोण्डा मण्डल गोण्डा 271001.

ज्ञापन सं0- [illegible] दिनांक - [illegible]

अधोहस्ताक्षरी भा॰डा॰ता॰ अतिरिक्त विभाग ऐजेन्ट (सेवा और आचरण) नियमावली 1964 के नियम 8 अन्तर्गत श्री [illegible] (नाम) पद [illegible] के विरुद्ध जाँच करने का प्रस्ताव करते हैं। अवचार अथवा कदाचार के लाँछन का सारांश जिसके सम्बन्ध में जाँच करना प्रस्तावित किया गया आरोप के अनुच्छेद अथवा विवरण अनुबन्ध-। में दिया गया है। आरोप के प्रत्येक अनुच्छेद के समर्थन में अवचार अथवा कदाचार के लाँछनों का एक विवरण संलग्न है अनुबन्ध-।। (उन प्रलेखों की एक सूची तथा उन साक्षियों की एक सूची भी संलग्न है जिनके द्वारा आरोपों को पुष्ट किया जाता है (अनुबन्ध-।।। तथा)

2- श्री [illegible] को यह निदेश किया जाता है कि वह इस ज्ञापन की प्राप्ति के 10 दिन के अन्दर अपना "लिखित प्रतिरक्षा"पत्र प्रस्तुत करें तथा यह भी बताएं कि क्या व्यक्तिगत रूप से सुनवाई चाहते हैं।

3. उन्हें यह सूचित किया जाता है कि आरोप के उन्हीं अनुच्छेदों के सम्बन्ध में केवल जाँच की जाएगी जो स्वीकार नहीं किए गए हैं अतः उन्हें विशिष्ट रूप से आरोप के प्रत्येक अनुच्छेद को स्वीकारना या नकारना चाहिए।

4. श्री [illegible] को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि उपर्युक्त अनुच्छेद 2 में/निर्दिष्ट तारीख को अथवा उससे पहले अपना लिखित प्रतिरक्षा-पत्र प्रस्तुत नहीं करते हैं। अथवा जाँच अधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होते हैं अथवा नियम के अनुसरण में जारी आदेशों/निदेशों का पालन करने में असमर्थ रहता है अथवा इन्कार कर देता है तो जाँच अधिकारी उसके विरुद्ध एक पक्षीय जाँच कर सकता है।

5- श्री [illegible] का ध्यान डा॰ता॰अ॰वि॰एजेन्ट (सेवा तथा आचरण) नियमावली 1964 के नियम (25) की ओर आकर्षित किया जाता है जिसके अन्तर्गत कोई भी सरकारी कर्मचारी सरकार के अधीन अपनी सेवा से सम्बन्धित मामलों के सम्बन्ध में अपनी हित सिद्धि के लिए किसी वरिष्ठ प्राधिकारी पर कोई राजनीतिक बाहरी दबाव नहीं डालेगा अथवा डालने का प्रयास नहीं करेगा। अगर किसी अन्य व्यक्ति से उसकी ओर से कोई अभ्यावेदन न कार्यवाहियों में चल रहे किसी मामले के सम्बन्ध में प्राप्त होता है तो यह माना जाएगा कि श्री [illegible] को ऐसे अभ्यावेदन की जानकारी है तथा यह उसके अनुरोध पर किया गया है तथा डा॰ता॰ अ॰वि॰ एजेन्ट (सेवा तथा आचरण) नियमावली 1964 के नियम (25) के अतिक्रमण के लिए उसके विरुद्ध कार्यवाई की जाएगी।

6- कृपया इस ज्ञापन की पावती भेजें।

अनुशासनिक प्राधिकारी

अधीक्षक डाकघर

गोण्डा मण्डल

गोण्डा 271001

Regd. सेवा में-

श्री [illegible]

[illegible]

प्रतिलिपि :- [illegible]

1- स्थापना अनुभाग मण्डलीय कार्यालय गोण्डा

2- निरीक्षक डाकघर (पश्चिमी) उपमण्डल गोण्डा

3- ~~अ॰वि॰ए॰ कार्य नियुक्ति आदि के विवरणी हेतु~~

4-6 ~~अतिरिक्त~~

B94

अनुलग्नक-1

श्री जय हिन्द प्रकाश पाण्डेय [कार्य निमुक्त] शा॰पो॰मा॰नोरपुर छ्याला [बिहार] के विरुद्ध विरचित आरोपों के अनुच्छेदों का विवरण ।

अनुच्छेद-1

उक्त श्री जय हिन्द प्रकाश पाण्डेय ने शा॰पो॰मा॰ नोरपुर छ्याला के पद पर कार्य करते हुए दिनांक 10॰1॰83 तथा 10॰2॰83 को बचत बैंक खाता संख्या 871807 से क्रमशः 100/- तथा 50/- की निकासी जमाकर्ता की जानकारी के बिना डाकघर के अभिलेखों में दिखाया । इस प्रकार यह आरोपित है कि उक्त श्री जय हिन्द प्रकाश पाण्डेय ने उक्त अवधि के दौरान उक्त पद पर कार्य करते हुए शा॰डा॰नि॰के नियम 134 तथा 133 के नोट 3 में वर्णित प्राविधानों का उल्लंघन किया तथा कर्तव्य निष्ठा व सत्यनिष्ठा न बनाये रखकर अ॰वि॰ए॰ [आचरण तथा सेवा] नियमावली 1964 के नियम 17 के प्राविधानों का उल्लंघन किया ।

अनुच्छेद-2

उक्त श्री जय हिन्द प्रकाश पाण्डेय ने शा॰पो॰मा॰ नोरपुर छ्याला के पद पर कार्य करते हुए दिनांक 29॰2॰84 को बचत बैंक खाता संख्या 871807 में जमाकर्ता से रुपया प्राप्त किये बिना ही 150/- रू जमा दिखाया । इस प्रकार यह आरोपित है कि उक्त श्री जय हिन्द प्रकाश पाण्डेय ने उक्त अवधि के दौरान उक्त पद पर कार्य करते हुए शा॰डा॰ नि॰ के नियम 131 के प्राविधानों का उल्लंघन किया तथा कर्तव्यनिष्ठा व सत्यनिष्ठा न बनाये रखकर अ॰वि॰ए॰ [आचरण तथा सेवा] नियमावली 1964 के नियम 17 के प्राविधानों का उल्लंघन किया ।

अनुच्छेद-3

दिनांक 20॰8॰84 को नोरपुर छ्याला शा॰डा॰ बचत बैंक खाता संख्या 872263 के जमाकर्ता ने 300/- की निकासी के लिए आवेदन पत्र भेजा परन्तु उक्त श्री जय हिन्द प्रकाश पाण्डेय ने अभिलेखों में खाते से 390/- रू॰ निकालने की कार्रवाई की । दिनांक 13॰9॰84 को उक्त जमाकर्ता को केवल 300/- रू॰ दिये जब कि उक्त खाते से 390/- रू॰ की निकासी अभिलेखों में अंकित थी । इस प्रकार यह आरोपित है कि उक्त श्री जय हिन्द प्रकाश पाण्डेय ने उक्त अवधि के दौरान उक्त पद पर कार्य करते हुए शा॰डा॰नि॰ के नियम 134 तथा 133 के नोट 3 में वर्णित प्राविधानों का उल्लंघन किया तथा कर्तव्यनिष्ठा एवं सत्यनिष्ठा न बनाये रखकर अ॰वि॰ए॰ [सेवा तथा आचरण] नियमावली 1964 के नियम 17 के प्राविधानों का उल्लंघन किया ।

अनुच्छेद-4

उक्त श्री जय हिन्द प्रकाश पाण्डेय ने शा॰पो॰मा॰ नोरपुर छ्याला के पद पर कार्य करते हुए दिनांक 26॰8॰83 को श्रीमती मालती देवी पत्नी श्री बैजनाथ पाण्डेय से बचत बैंक खाता सं0- 872472 खोलने के लिए 650/- रुपये प्राप्त किये परन्तु डाकघर के हिसाब में केवल 50/- रू॰ से खाता खोला । इस प्रकार यह आरोपित है कि उक्त श्री जय हिन्द प्रकाश पाण्डेय ने उक्त अवधि के दौरान उक्त पद पर कार्य करते हुए शा॰डा॰नि॰ के नियम 125 के प्राविधानों का उल्लंघन किया तथा कर्तव्यनिष्ठा व सत्यनिष्ठा न बनाये रखकर अ॰वि॰ए॰ [सेवा तथा आचरण] नियमावली 1964 के नियम 17 के प्राविधानों का उल्लंघन किया ।

लगातार॰ 2

(84) B95

अनुच्छेद-5

उक्त श्री जय हिन्द प्रकाश पाण्डेय शा०पो०मा० नीरपुर क्याला के पद पर कार्य करते हुए दिनांक 13.10.84 को डाक निरीक्षक के आकस्मिक निरीक्षण के समय पूरी नकदी नहीं प्रस्तुत कर सके एवं उनके पास डाकघर के अवशेषों में से 155.34 पैसे की कमी पायी गयी । इस प्रकार यह आरोपित है कि उक्त श्री जय हिन्द प्रकाश पाण्डेय ने उक्त अवधि के दौरान उक्त पद पर कार्य करते हुए शा०डा०नि०के नियम 11 के प्राविधानों का उल्लंघन किया तथा कर्तव्यनिष्ठा व सत्यनिष्ठा न बनाये रखकर अ०वि०ए०[आचरण तथा सेवा] नियमावली 1964 के नियम 17 के प्राविधानों का उल्लंघन किया ।

अनुच्छेद-6

उक्त श्री जय हिन्द प्रकाश पाण्डेय ने उक्त अवधि के दौरान शा०पो०मा० नीरपुर क्याला के पद पर कार्य करते हुए दिनांक 13.10.84 को डाक निरीक्षक पश्चिमी के जाँच के समय यह पाया गया कि शा०डाकघर लेखा दिनांक 28.9.84 से नहीं भरा गया था तथा 12.10.84 को लेखा कार्यालय से प्राप्त वस्तुएं शाखा डाकघर जर्नल में नहीं चढ़ायी गयी थी । 5.10.84 8.10.84 तथा 12.10.84 को पर्याप्त नकदी होते हुए भी वितरण के लिए कोई भी धनादेश और नकदी अ०वि०वि०ए० को नहीं दिये गये थे । 5.9.84, 8.9.84 29.9.84 तथा 3.10.84 को आवश्यकता से अधिक नकदी अपने पास रोक रखी थी । इस प्रकार यह आरोपित है कि उक्त श्री जयहिन्द प्रकाश पाण्डेय के उक्त अवधि के दौरान उक्त पद पर कार्य करते हुए शा०डा०नि० के नियम 106,107,169,173,174 तथा शा०पो०मा० को यह कार्य नहीं करना चाहिए ? शीर्षक के अन्तर्गत निर्धारित निर्देश सं0-11 के प्राविधानों का उल्लंघन किया तथा कर्तव्य निष्ठा व सत्यनिष्ठा न बनाये रखकर अ०वि०ए० [आचरण तथा सेवा] नियमावली 1964 के नियम 17 के प्राविधानों का उल्लंघन किया ।

अनुबन्ध-2

श्री जयहिन्द प्रकाश पाण्डेय[कार्य निमुक्त]शाखा पोस्टमास्टर नीरपुर क्याला के विरुद्ध विरचित अवचार एवं कदाचार के आरोपों का विवरण ।

अनुच्छेद-1

उक्त श्री जयहिन्द प्रकाश पाण्डेय ने शा०पा०मा० नीरपुर क्याला के पद पर कार्य करते हुए दिनांक 10.1.83 तथा 10.2.83 को बचत बैंक खाता सं0- 871807 से क्रमशः 100/- तथा 50/- रु० की जमाकर्ता की जानकारी के बिना उसके अशिक्षित होने का लाभ उठाते हुए अपने नाबालिग पुत्र श्री चन्द्रभूषण पाण्डेय तथा अपने चचेरे भाई श्री काशी प्रसाद पाण्डेय को एवं एक अन्य स्थानीय व्यक्ति श्री धनश्याम से गवाही कराकर निकासी एवं निकासी फार्म स्वयं अपने हाथों से भर उन्होंने उक्त खाते की जमाकर्ता श्रीमती सीतापती को उक्त दोनों राशि के 150/-रु० का भुगतान नहीं किया जमाकर्ता से अपनी गलती छिपाने के लिए उन्होंने अपने पास से 150/-रु० अपने चचेरे भाई श्री काशी प्रसाद पाण्डेय से जमापर्ची भराकर दिनांक 28.2.84 को उक्त खाता सं0- 871807 में जमा कर दिया ।

अतः यह आरोपित है कि उक्त श्री जय हिन्द प्रकाश पाण्डेय ने शा०डा० नि० के नियम 134 तथा 133 के नोट 3 में वर्णित प्राविधानों का उल्लंघन किया तथा कर्तव्यनिष्ठा व सत्यनिष्ठा न बनाये रखकर अ०वि०ए०[आचरण एवं तथा सेवा] नियमावली 1964 के नियम 17 के प्राविधानों का उल्लंघन किया

अनुच्छेद-2

उक्त श्री जयहिन्द प्रकाश पाण्डेय ने शा०पो०मा० नीरपुर क्याला के पद पर कार्यकरते हुए दिनांक 28•2•84 को बचत बैंक खाता संख्या 871807 में जमाकर्ता से रुपया प्राप्त किये बिना अपने पास से 150/-रुपये अपने चचेरे भाई श्री काशी प्रसाद पाण्डेय से जमापर्ची भराकर जमा किया । उक्त रुपये को उन्होंने अपने पास से इसलिए जमा किया कि उसे वे जमाकर्ता की जानकारी के बिना फर्जी निकासी फार्म तैयार करके निकाल चुके थे ।

इस प्रकार यह आरोपित है कि उक्त श्री जयहिन्द प्रकाश पाण्डेय ने शा०डा०नि० के नि0- 131 के प्राविधानों का उल्लंघन किया तथा सत्यनिष्ठा व कर्तव्यनिष्ठा न बनाये रखकर अ०वि०ए० (आचरण तथा सेवा) नियमावली 1964 के नियम 17 के प्राविधानों का उल्लंघन किया ।

अनुच्छेद-3

दिनांक 28•8•84 को नीरपुर क्याला शा०डाकघर बचत खाता संख्या 872263 के जमाकर्ता ने 300/- रु० निकालने की इच्छा व्यक्त की परन्तु श्री जयहिन्द प्रकाश पाण्डेय ने निकासी फार्म स्वयं अपने हाथों से भरा तथा अपने सगे भाई श्री जनार्दन प्रसाद पाण्डेय से नि०अ० प्रमाणित कराकर तथा गवाही कराकर जमाकर्ता के अशिक्षित होने का लाभ उठाते हुए 300/- रु० के स्थान पर 390/-रु० (तीन सौ नब्बे रुपये) का निकासी फार्म लेखा कार्यालय को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया वहाँ से स्वीकृति वापस आने पर दिनांक 13•9•84 को श्री राम बिहारी पाण्डेय से नि०अ० प्रमाणित कराकर 390/- रु0 का भुगतान करना दिखाया लेकिन जमाकर्ता को केवल 300/- रु0 का भुगतान किया ।

अतः यह आरोपित है कि उक्त श्री जयहिन्द प्रकाश पाण्डेय ने शा०डा०नि० के नियम 134 तथा 133 के नोट 3 में वर्णित प्राविधानों का उल्लंघन किया तथा कर्तव्यनिष्ठा एवं सत्यनिष्ठा न बनाये रखकर अ०वि०ए० (सेवा तथा आचरण) नियमावली 1964 के नियम 17 के प्राविधानों का उल्लंघन किया ।

अनुच्छेद-4

उक्त श्री जयहिन्द प्रकाश पाण्डेय ने शा०पो०मा० नीरपुर क्याला के पद पर कार्य करते हुए दिनांक 26•8•83को श्रीमती मालती देवी पत्नी श्री वैजनाथ पाण्डेय से नया बचत खाता खोलने के लिए 650/-रु० प्राप्त किये परन्तु उन्होंने केवल 60/-रु० से खाता खोला और जमाकर्ता से प्राप्त शेष 590/-रु० को डाकघर के हिसाब में नहीं लिया ।

इस प्रकार यह आरोपित है कि उक्त श्री जयहिन्द प्रकाश पाण्डेय ने शाखा डा०नि० के नियम 125 के प्राविधानों का उल्लंघन किया तथा कर्तव्यनिष्ठा व सत्यनिष्ठा न बनाये रखकर अ०वि०ए० (सेवा तथा आचरण) नियमावली 1964 के नियम 17 के प्राविधानों का उल्लंघन किया।

अनुच्छेद-5

दिनांक 13•10•84 को डाक निरीक्षक गोंडा दक्षिणी ने नीरपुर क्याला डाकघर का निरीक्षण किया । उनके द्वारा निरीक्षण के लिए माँगे जाने पर डाकघर लेखा के हिसाब से शा०पो०मा० के पास कुल 878•71 पैसे होने चाहिए थे परन्तु उक्त श्री जयहिन्द प्रकाश ने डाक निरीक्षक के सामने केवल निम्नलिखित रकम प्रस्तुत की-

नकदी 602•72

डाक टिकट 45•45
रसीदी टिकट 9•20
अदा किये गये 66•00
बिलों की रसीद

कुल योग = 723•37 शेष राशि रु• 155-34 प्रस्तुत नहीं कर सके•

इस प्रकार उक्त श्री जय हिन्द प्रकाश पाण्डेय के द्वारा सरकारी नकदी बकाये में 155•34 पैसे की कमी पायी गये जिसे डाक निरीक्षक ने अनधिकृत भुगतान मद में दिखाने का निर्देश दिया।

इस प्रकार यह आरोपित है कि उक्त श्री जयहिन्द प्रकाश पाण्डेय ने शा•डा•नि• के नियम 11 के प्राविधानों का उल्लंघन किया तथा कर्तव्यनिष्ठा न बनाये रखकर अ•वि•ए•(आचरण तथा सेवा) नियमावली 1964 के नियम 17 के प्राविधानों का उल्लंघन किया।

अनुच्छेद-6

उक्त श्री जयहिन्द प्रकाश पाण्डेय ने शा•पो•मा• नीरपुर क्याला के पद पर कार्य करते हुए दिनांक 13•10•84 को डाक निरीक्षक गोंडा दक्षिणी की जाँच के समय अधूरा रिकार्ड प्रस्तुत किया। जाँच के समय निम्नलिखित कमियाँ पायी गयी:-

1- शाखा डाकघर लेखा दिनांक 28•9•84 से भरा नहीं गया था•
2- दिनांक 12•10•84 को लेखा कार्यालय से प्राप्त सामान बी•ओ• फर्नीस में अंकित नहीं किये गये थे।
3- 5•10•84, 9•10•84 तथा 12•10•84 को पर्याप्त नकदी होते हुए भी अ•वि•पि•ए• को वितरण के लिए को नकादेश नहीं दिया गया था•
4- 5•9•84, 8•9•84, 29•9•84 तथा 3•10•84 को उक्त श्री जय हिन्द प्रकाश पाण्डेय ने अपने डाकघर में आवश्यकता से अधिक नकदी रोके रखा•

इस प्रकार यह आरोपित है कि उक्त श्री जय हिन्द प्रकाश पाण्डेय ने शा•डा•नि• के नियम 106, 107, 169, 173, 174 तथा "शा•पो•मा• को यह काम नहीं करना चाहिए" शीर्षक के अन्तर्गत निर्धारित निर्देश सं0-11 के प्राविधानों का उल्लंघन किया तथा कर्तव्यनिष्ठा व सत्यनिष्ठा न बनाये रखकर अ•वि•ए•(सेवा तथा आचरण) नियमावली 1964 के नियम 17 के प्राविधानों का उल्लंघन किया।

अनुबन्ध-3

उन प्रलेखों की सूची जिनके आधारपर श्री जय हिन्द प्रकाश पाण्डेय के विरुद्ध विरचित आरोपों की पुष्ट करने का प्रस्ताव है।

1- शाखा डाकघर लेखा नीरपुर क्याला 1•3•84 से 13•10•84 तक
wef 12-8-84 2- अ•वि•पि•ए• डाक वाहक का रजिस्टर 12•8•84 से 13•10•84 तक
3- शाखा डाकघर फर्नीस नीरपुर क्यालक 1•9•84 से 13•10•84 तक
4- नीरपुर क्याला बचत खाता संख्या 871807 की पासबुक•
5- नीरपुर क्याला बचत खाता संख्या 871807 को का पर्ची दि030•8•84
6- बचत खाता सं0- 871807 का निकासी फार्म दिनांक 10•1•83 तथा 10•2•83•
7- श्रीमती सीतापती पत्नी श्री भगौती प्रसाद का बयान दिनांक 19•2•85 24•1•85 तथा 21•11•84•

8- बचत खाता सं0- 072263 की पासबुक।
9- बचत खाता सं0- 072263 का रुपया निकालने का आवेदन पत्र दि० 28•8•84 जिसका भुगतान 13•9•84 को दिखाया गया ।

10- बयान श्री राम सुरेमन दिनांक 19•2•85 24•1•85 तथा 21•11•84ई
11- श्रीमती मालती देवी पत्नी श्री बैजनाथ पाण्डेय का बयान दि•24•1•85•
12- श्री रवीन्द्र प्रकाश पाण्डेय का बयान दिनांक 13•10•84•

अनुबन्ध-4
=========

उन गवाहों की सूची जिनके आधार पर श्री रवीन्द्र प्रकाश पाण्डेय के विरुद्ध विरचित आरोपों को पुष्ट करने का प्रस्ताव है :-

1- श्री जी•पी• सिंह डाक निरीक्षक (विवियो) गोंडा•
2- श्रीमती सीतापती पत्नी श्री भगवती प्रसाद ग्राम भेलहु पो•नीरपुर ब्याला गोंडा•
3- श्री काशी प्रसादपाण्डेय ग्राम व पो• नीरपुर ब्यालड,गोंडा•
4- श्री राम सुरेमन पाण्डेय पुत्र श्री नवरंग पाण्डेय ग्राम •पो•नीरपुर ब्याला, गोंडा ।
5- श्रीमती मालती देवी पत्नी श्री बैजनाथ पाण्डेय,ग्राम पो• नीरपुर ब्याला गोंडा•
6- मेल ओवरसियर हेड क्वाटर-2 गोंडा•

(signature) 20/4/85
(डी0डी0 पाण्डेय)
अधीक्षक डाकघर,
गोंडा मंडल,
गोंडा-271001•

Received all the listed document except that the document at sl. 2 relates not for the period from 12-8.84 but from 18.8.84
(signature)
29/5/85
SDI(P) Balrampur

सिविल [illegible] जय हिन्द प्रकाश पाण्डेय शाखा डाकपाल [illegible]

[illegible] 1980 ([illegible]) जनपद गोण्डा [illegible] B99

[illegible]

मैं श्री जय हिन्द प्रकाश पाण्डेय शाखा-डाकपाल [illegible]पुर (गोण्डा)

सत्यनिष्ठा पूर्वक यह बयान करता हूँ कि आज दिनांक 13.10.84 को अचानक डाक निरीक्षक महोदय गोण्डा पश्चिमी के निरीक्षण के समय मेरे पास उपलब्ध सरकारी कोष में रु० 155-34 (रु० एक सौ पचपन रुपया चौंतीस पैसा) कम पाया गया जिसे निरीक्षक महोदय ने तुरन्त अवर्गीकृत भुगतान मद में चार्ज कराया मेरे पास जाँच के समय नगदी 602-72 डाकटिकट 45-45 व रसीदी टिकट 9.20 पैसे के कुल अवशेष 657-37 पैसे उपलब्ध थे जब कि अभिलेखों के अनुसार कुल 878-71 रु० आठ सौ अठत्तर रु० इकहत्तर पैसे अवशेष होना चाहिए था। जिसमें से मैं 66-00 का अपना कमीशन [illegible] भुगतान लिया था। इस प्रकार सरकारी कोष में एक सौ पचपन रुपया चौंतीस पैसा 155-34 की कमी पाई गई यह कमी इस कारण हुई क्यों कि यह रुपया मैंने कोष से अपने [illegible] में खर्च कर दिया था। यह कमी लगभग 10-12 दिन से है।

B-16

मैंने किसी तरह उक्त कमी की धन राशि इन्तजाम करके पूरा करके इस डाक घर में आज दिनांक 13.10.84 को ही अवर्गीकृत प्राप्तियां मद में जमा करके ही खजाना पूरा कर दिया है।

दिनांक 29.9.84 से आज तक का एकाउन्ट खेती में कार्य अधिकता होने के कारण नहीं भर सका। तथा दिनांक 12.10.84 को B.O. बैग में प्राप्त वस्तुओं का इन्दराज न अभी तक नहीं किया तथा मैंने 5.10.84 तथा 8.10.84, 12.10.84 को EDMP को डिलिवरी नहीं व ~~[illegible]~~ नहीं। भाड़ बिल्टी होते हुए भी नहीं दिया क्यों कि आलस वस नहीं दे सका।

दिनांक 5.9.84, 6-9.84, 8.9.84, 29.9.84 ~~[illegible]~~ 30.9.84, तथा 3.10.84 को भाड़बिल्टी से अधिक नगदी मैं लेखा कार्यालय को इस लिए वापस नहीं कर सका क्यों कि मेरे पास छोटी लागत उपलब्ध नहीं है लेकिन नोट मौजूद है।

आज दिनांक 13.10.84 को EDMP को डिलिवरी नहीं दिया था केवल पत्र बाँटने हेतु दिया था। लेकिन, निरीक्षक महोदय के आने पर EDMP को दूसरा डिलवरी आज ही निरीक्षक महोदय ने दिलवाई।

इन सब भूलों के लिए मैं जिम्मेदार हूँ तथा ऐसी गल्ती भविष्य में नहीं करूँगा।

Recorded in my presence [illegible] 13.10.84

(जय हिन्द प्रकाश पाण्डेय)

C 160

Before the Central Administrative Tribunal, Allahabad.

O.A. Regn. No.1229 of [illegible]

J.N.P.Pandey versus U.O.I. & Others

REJOINDER

In response to Reply affidavit filed by the Respondents the applicant begs to state as under :-

(1) Paras 1 to 8 and 10 to 14 - Contents of all these paras are denied. It is submitted that the applicant filed a revision to DDI UP against the Punishment Order & the appellate order passed by the Supdt Posts Deoria & [illegible] respectively. Although the said Revision was rejected by the learned DDI UP vide his order dated [illegible] copy at Page 27 of the connected application, he (the DDI) had dropped all charges against the applicant except one relating to shortage of cash of Rs.293/24 on [illegible]. As such all averments in paras 1 to 8 and 10 to 14 of the Reply affidavit are quite misrepresented and uncalled for, hence deserve no Notice.

(2) Para 9 - Denied. The statement at Annexure [illegible] of the Reply affidavit was obtained by the SDIs [illegible] under pressure & duress. From safety point of view the applicant had kept the amount viz. Rs.293/24 at his residence. He sought the permission of the SDIs to bring the cash from his residence but he was not allowed any time but to give the dictated st. statement.

(3) In view of facts narrated above the applicant is fully entitled to the relief sought for.

IN VERIFICATION

I, JNP Pandey, the applicant do hereby verify that the contents 1 to 3 above are true to the best of my knowledge and belief. Nothing material has been concealed.

[illegible] R. K. TEWARI Deponent.

Advocate

154, Purs[illegible]ttam Nagar

(K[illegible]abad)

Allahabad-16

C 101

Before The Central Administrative Tribunal, Allahabad-1

O.A. Regn. No. 1219 Of 1988

Jai Hind Prakash Pandey V/S Supdt. Posts Faizabad & Others

Application for the Amendment of Plaint.

* * * * *

The applicant respectfully begs to state that he inadvertently omitted to implead "Union of India" as a Respondent in this case. He, therefore prays that

P R A Y E R

He may kindly be permitted to do the same now & to amend the plaint thus :-

To add on pages 1 & 2 of the paper-book application

"Union Of India, Through The Secretary
Ministry Of Communications, New Delhi"

Just after Item No. 2of the list of Respondents appearing on each Page.

I N   V E R I F I C A T I O N

I, J.H.P. Pandey aged 39 years S/O Shri R.B. Pandey r/o Village Post Neerpur khyde Dist. Faizabad & ex Employee of Faizabad Postal Division do hereby verify that the contents of this application are true to the best of my knowledge & belief. Nothing Material has been concealed.

dated : 6-12-1988

जयहिन्द प्रकाश पाण्डेय
Deponent/Applicant

(R.K.Tewari)
Advocate for the Applicant
154, Purshottamnagar,
Allahabad-16

(15)

[handwritten: To be filed today ... 19/12 C102]

Before Central Administrative Tribunal
Additional Bench Allahabad

Registration No. ....1219............ of 19 88 ....

District Gonda ...

.... J. P. Pandey .... Applicant

VERSUS

.... Union of India .... Respondents

I/We ... Shri R. S. Singh ..... Supdt. Of Post Offices Gonda.

....

in the above matter hereby appoint and retain

SHRI KRISHNA CHANDRA SINHA, Advocate High Court

to appear, act and plead for me/us in the above matter and to conduct/prosecute and defend the same in all interiocutory or miscellaneous proceedings connected with the same or with any decree or order passed therein, appeals and or other proceedings therefron and also in proceedings for review of judgment and for leave to appeal to Suprem Court and to obtain return of any documents filed therin, or receive any money which may be payable to me/us.

2 I/We futher authorise him to appoint and Instruct any other legal practitioner authorising him to exercise the powers and authorities hereby conferred upon the Advocate whenever he may think fit to do so.

3. I/We hereby authorised him/them on my/our behalf to enter into a compromise in the above matter, to execute any decree order therein, to appeal from any decree/order therein and to appeal. to act, add to plead in such appeal or in any appeal preferred by any other party from any decree/order therein.

4. I/We agree that if/we fail to pay the fees agreed upon or to give due instruction at all stages he/they is/are at liberty to retire from the case and recover all amounts due to him/them and retain all my/our monies till such are paid.

5. And I/We. the undersigned do hereby agree to ratify and confirm all acts done by the Advocate or his substitute in the matter as my own acts, as if done by me/us to all intents and purposes.

Executed by me/us this 14th day of Dec 19 88 at

[signature]
(R. S. Singh)
Signature
Supdt. Post Offices
Gonda-271001

Executant/s are personally known to me he has/they have/signed

Satisfied as to the identity of executant/s signature/s.

(where the executant/s is/are illiterate blind or unaquainted with the language of vakalat)

Certified that the content were explained to the executant/s in my presence in...................... the language known to him/them who appear/s perfectly to understand the same and has/have signed in my presence.

Accepted

[signature]

K. C. SINHA
Advocate
Additional Standing Counsel
Central Government
High Court–Allahabad
Counsel for Applicant/Respondents
No......................................

C/103

To,

The Vice Chairman
C.A.T.Allahabad

Sir,

My O.A.Regn.No. 1219/88 XXXXX Jai Hind Pandey vs. U.O.I. & others is pending for final disposal in your Hon'ble Tribunal since long. It is learnt that the abovementioned case is being transferred to C.A.T.Lucknow. Being dismissed from service and having no source of earning at my Home Town. I have shifted myself to Mirzapur and am residing with my nearest relation Shri S.K.Tewari, P.A. HPO Mirzapur.

PRAYER

As Mirzapur lies in the jurisdiction of C.A.T.Allahabad it is prayed that my case may not be transferred to C.A.T. Lucknow. It will cause great hardship to me.

Yours faithfully,

जयहिन्द पाण्डेय

(Jai Hind Pandey)

Dated 24-1- 1992

R.K.Tewari

R. K. TEWARI
Advocate
154, Purshottam Nagar
(Khuldabad)
Allahabad-16

Submitted before Hon'ble V.C. for his kind perusal and order.

Dy. Reg.

Prayer rejected by Hon'ble V.C.

967 to 968

IN THE CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL
LUCKNOW BENCH : LUCKNOW
Opp. Residency Gandhi Bhavan, Lucknow.

....

No. CAT/CE/LKO/JUDL/ T.A. 100/92 T.L. in OA 12 19/88 Date / /

REGISTRATION NO ______ OF ~~1991/92 (L)~~

J. P. Pandey ______ Applicant.

VERSUS

D. P. S. Lucknow & others ______ Respondents.

(1) Sri R. K. Tewari, Adv., 154, Purshottam-Nagar, Khuldabad, Allahabad.

(2) Sri K. C. Sinha, Adv., CAT, 23-A, Thornhill Road, Allahabad.

Please take notice that the applicant above named has presented an application a copy ______ thereof is enclosed herewith which has been registred in this Tribunal and the Tribunal has fixed 29 day of Jun for hearing.

If no appearance is made on your behalf, your pleader of by some one duly authorised to Act and plead on your behalf in the said application, it will be heard and decided in your absence. Given under my hand and the seal of the Tribunal this 21 day of 4 1992.

For Deputy Registrar.
O/C

M.Panda./

IN THE CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL(ALLAHABAD BENCH)
ALLAHABAD.

(109)

O.A.NO. 1219/88
T.A.NO. 100/92 (T.L.)

OF 199

28/8/92
Date of decision:-

J.P.Pandey .... Petitioner

P.K.Tiwari .... Advocate for the Petitioner.

Versus

Union of India & Others .... Respondent

Shri K.C.Sinha .... Advocate for the Respondent(s)

xxx xxxxxxxxxx xxx

CORAM:-

The Hon'ble Mr. Justice U.C.Srivastava, V.C.

The Hon'ble Mr. K. Obayya, A.M.

1. Whether Reporters of local papers may be allowed to see the judgment ?
2. To be referred to the Reporter or not ?
3. Whether their Lordships wish to see the fair copy of the judgment ?
4. Whether to be circulated to all other Benches?

Signature

Naqvi/